

भारतीय रिज़र्व बैंक  
**बुलेटिन**



दिसंबर 2019

खंड 73 अंक 12

संपादन समिति

राजीव रंजन  
डी. पी. रथ  
सितीकांत पट्टनाईक  
जी. पी. सामंता  
एस. गंगाधरन  
पल्लवी चट्टाण  
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित।  
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,  
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से  
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

# विषय-वस्तु

## मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

पाँचवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 1

## भाषण

चौराहे पर भारतीय बैंकिंग: कुछ विचार 11

शक्तिकांत दास

श्री एन के सिंह द्वारा 17वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान : 17

उद्बोधन वक्तव्य

शक्तिकांत दास

राजकोषीय परिसंघवाद: सिद्धांत और व्यवहार 19

एन के सिंह

वित्तीय समावेशन के अगले दौर में सूक्ष्म वित्त 29

एम.के.जैन

ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए 35

महत्वपूर्ण जानकारी

एम.के.जैन

## लेख

सरकारी वित्त 2019-20 : छमाही समीक्षा 41

परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं: एक झलक 59

समष्टि आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण 71

की प्रभावकारिता

वर्तमान सांख्यिकी 99

बुलेटिन 2020 के लिए लेख का सांकेतिक कैलेंडर 143

हाल के प्रकाशन 144



मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

पाँचवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20



## पाँचवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने आज (5 दिसंबर 2019) की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखे जाए।

- एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहती है, तब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है और इसके लिए उदार रुख बरकरार रखा जाए।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

### आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. अक्टूबर 2019 में एमपीसी की बैठक के बाद से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि मंद रही है, हालांकि लचीलेपन के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के बीच, तीसरी

\* 05 दिसंबर 2019 को जारी किया गया।

तिमाही में अमेरिका में जीडीपी की संवृद्धि में मजबूत निजी निवेश और व्यक्तिगत खपत व्यय में वृद्धि हुई। हालांकि, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि कारखाने की गतिविधि नवंबर में लगातार चौथे महीने संकुचित हुई, जबकि अक्टूबर में खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई। यूरो क्षेत्र में, जीडीपी संवृद्धि उन्नत घरेलू खपत और सरकारी खर्च पर पिछली तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में स्थिर रही, हालांकि विनिर्माण गतिविधि में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण संघर्ष जारी रहा। कमजोर वैश्विक मांग के कारण निर्यात में गिरावट आई, जापानी अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में गति खो दी। मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र और निर्माण गतिविधि द्वारा संचालित यूके में आर्थिक गतिविधि तीसरी तिमाही में तीव्र हुई।

3. उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच, चीन में जीडीपी की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में और कम हो गई, जो कमजोर औद्योगिक उत्पादन और अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच निर्यात में गिरावट को दर्शाती है। अक्टूबर में खुदरा बिक्री कम होने से राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन में मंदी के आसार हैं। रूस में तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कृषि उत्पादन और औद्योगिक गतिविधि में तेजी के कारण में तेज हुई। दक्षिण अफ्रीका में, आर्थिक गतिविधि तीसरी तिमाही में संकुचित हुई, जिसका मुख्य कारण खनन और विनिर्माण गतिविधि में मंदी रही। ब्राजील में, कृषि, उद्योग और कारोबार निवेश गतिविधि द्वारा संचालित सकल घरेलू उत्पाद में तीसरी तिमाही में तेजी आई।

4. एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से कच्चे तेल की कीमतें दोनों दिशाओं में एक संकीर्ण सीमा में चली गई हैं, जो यूएस-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति से संबंधित बदलते मनोभाव को दर्शाती है। नवंबर की शुरुआत में सोने की कीमतों में सुरक्षित मांग के रूप में जोखिम के पुनरुद्धार से गिरावट आने के पहले कारोबार में कमी आई। प्रमुख ईई और ईएमई में मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही में सौम्य बनी रही, सिवाय चीन में जहां यह आठ साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

5. अक्टूबर में वैश्विक वित्तीय बाजारों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर नए आशावाद से उपजे जोखिम मनोभाव और ब्रेक्सिट सौदे की संभावना के कारण उछाल आ गया था।

अमेरिका में, इस माहौल में इक्विटी बाजारों में रुकावट आयी, जो बेहतर कॉर्पोरेट आय और मजबूत नौकरियों के आंकड़ों द्वारा भी समर्थित है। ईएमआई में स्टॉक बाजार ने नवंबर की दूसरी छमाही में हांगकांग में चल रही यूएस-चाइना व्यापार वार्ता की नई आशंकाओं पर कुछ बिक्रय दबाव से पहले अक्टूबर में बढ़त दर्ज की। अक्टूबर की शुरुआत में अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल जोखिम-बिक्री पर मजबूत हुए; हालांकि, वे व्यापार विवादों के जल्द समाधान की उम्मीद से नवंबर के मध्य से नरम हो गए। यूरो क्षेत्र में बॉन्ड प्रतिफल नकारात्मक रहे, लेकिन नो-डील ब्रेक्सिट से मनोभाव में सुधार की संभावना कम है। ईएमई में, बॉन्ड प्रतिफल ने मिश्रित गति दिखाई, जो शुरुआत में यूएस-चीन व्यापार वार्ता और देश-विशिष्ट कारकों पर आशावाद द्वारा संचालित है। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ, जबकि ईएमई मुद्राएं एक प्रशंसनीय पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर रही हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

6. घरेलू मोर्चे पर, 2019-20 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 4.5 प्रतिशत मंद रही, जो लगातार छठी तिमाही में अनुक्रमिक गिरावट को बढ़ाती है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में तीव्र गिरावट द्वारा वास्तविक जीडीपी वृद्धि को मापा गया जिसे सरकारी सकल उपभोग व्यय (जीएफसीई) में तीव्र उछाल द्वारा बचाया गया। जीएफसीई को छोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही होगी। वास्तविक निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) में वृद्धि 18-तिमाही के गिरावट से ठीक हुई। निर्यात की तुलना में आयात में तीव्र संकुचन के कारण निवल निर्यात आसान हुई।

7. आपूर्ति पक्ष पर, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि 2019-20 की दूसरी तिमाही में घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन के कारण गिरावट आयी थी। विनिर्माण गतिविधि में मंदी 2019-20 की दूसरी तिमाही में क्षमता उपयोग (सीयू) में 68.9 प्रतिशत तक के गिरावट में भी दर्शायी गयी थी, जो रिजर्व बैंक के आदेश बही, माल सूची सक्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के पूर्ववर्ती परिणाम में पहली तिमाही में 73.6 प्रतिशत थी। इसी अवधि में मौसमी समायोजित सीयू भी

74.6 प्रतिशत से गिरकर 69.6 प्रतिशत पर आ गया। सेवा क्षेत्र में संवृद्धि मंद रही जो मुख्य रूप से व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण सेवाओं और निर्माण गतिविधि द्वारा दबा हुआ है। हालांकि, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि के अनुरूप तेज हुई। पहले अग्रिम अनुमानों में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में संकुचन के बावजूद कृषि जीवीए वृद्धि में मामूली वृद्धि हुई।

8. दूसरी तिमाही से परे, रबी की बुवाई अक्टूबर में और नवंबर की शुरुआत में खरीफ की कटाई में देरी और बेमौसम बारिश के कारण हुए झटके को झेल रही है। 29 नवंबर तक, यह एक साल पहले कवर किए गए एकड़ों की तुलना में केवल 0.5 प्रतिशत कम था। उत्तर-पूर्व मानसून वर्षा 4 दिसंबर तक लंबी अवधि के औसत से 34 प्रतिशत अधिक थी। 28 नवंबर को प्रमुख जलाशयों में भंडार, रबी मौसम के दौरान सिंचाई का मुख्य स्रोत, पूर्ण जलाशय स्तर का 86 प्रतिशत था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 61 प्रतिशत थी।

9. आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन का संकुचन - जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 40 प्रतिशत हिस्सा है - अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने में विस्तारित हुआ और यह और भी स्पष्ट हो गया कि यह कोयला, बिजली, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल के कारण हुआ। हालांकि, रबी मौसम में मजबूत बुवाई गतिविधि की उम्मीदों को दर्शाते हुए उर्वरकों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। रिजर्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के शुरुआती परिणामों के अनुसार, उत्पादन, घरेलू और बाहरी मांग और रोजगार परिदृश्य पर निरंतर निराशाजनक मनोभाव के कारण 2019-20 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में समग्र मनोभाव निराशावादी रहे।

10. उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि सेवा क्षेत्र की गतिविधि आम तौर पर अक्टूबर में कमजोर रही। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बिक्री - ग्रामीण मांग के संकेतक - मध्यम गति से संकुचित बनी रही; हालांकि, यात्री वाहन बिक्री - शहरी मांग का एक संकेतक - 11 महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर में एक धीमी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जो त्यौहारी मौसम की मांग और ऑटो कंपनियों द्वारा प्रचार के उपायों को दर्शाता है। वाणिज्यिक वाहन बिक्री

और रेलवे माल यातायात संकुचित हुई। नए निर्यात कारोबार में गिरावट और कारोबार की उम्मीदों के टूटने के कारण अक्टूबर (49.2) में सेवाओं के लिए पीएमआई नकारात्मक क्षेत्र में रहा। हालांकि, यह नए व्यवसाय में तेजी पर नवंबर में विस्तार क्षेत्र में 52.7 पर पहुंच गया।

11. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, अक्टूबर में तेजी से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई, जो खाद्य कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी। ईंधन समूह की कीमतें अपस्फीति में बनी हुई हैं, जबकि सीपीआई में मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन को छोड़कर एक महीने पहले अपने स्तर से और मंद हो गई है।

12. सीपीआई के परिचालकों की ओर रुख करते हुए, अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई - 39 महीने की उच्च- जिसका मुख्य कारण भारी बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि है। विशेष रूप से प्याज की कीमतों में सितंबर में 45.3 प्रतिशत और अक्टूबर में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कई अन्य खाद्य पदार्थों जैसे कि फल, दूध, दाल और अनाज में मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, जो विभिन्न कारकों को दर्शाती है- दूध के मामले में चारे की कीमतों के लागत में तेजी; दालों के उत्पादन और बुवाई क्षेत्र में गिरावट; और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभाव। चीनी और कन्फेक्शनरी की कीमतें अक्टूबर में अपस्फीति से बाहर हो गईं क्योंकि गन्ना उत्पादन एक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संकुचित हुआ।

13. एलपीजी, जलाऊ लकड़ी और चिप्स की कीमतों में अपस्फीति के कारण अक्टूबर में लगातार चौथे महीने ईंधन समूह की कीमतें कमजोर बनी रहीं। हालांकि, बिजली की कीमतों अक्टूबर में 13 राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम) द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि के बाद तेजी आयी थी, जैसा कि सीपीआई में परिलक्षित होता है।

14. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में मुद्रास्फीति सितंबर में 4.2 प्रतिशत से सौम्य होकर अक्टूबर में 3.4 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभावों के कारण हुई। कतिपय क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि भी मंद रही जैसे यातायात किराया, टेलीफोन प्रभार, ट्यूशन शुल्क और घर के किराए में दर्शाया गया है।

15. रिज़र्व बैंक के नवंबर 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, परिवारों की मुद्रास्फीति की उम्मीदें 3 महीने के आगे क्षितिज के आधार पर 120 आधार अंकों और 1 साल के आगे क्षितिज के 180 आधार अंकों के रूप में बढ़ीं, क्योंकि वे हाल के महीने में खाद्य कीमतों में तेजी के अनुकूल थे। रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के आधार पर, खपत की गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च एक साल पहले की तुलना में संकुचित हुआ है; हालांकि, उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि कीमतों में वृद्धि के कारण उनके समग्र खर्च में अपरिवर्तित बने रहने की उम्मीद है। विनिर्माण कंपनियों ने रिज़र्व बैंक की औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में उम्मीद है कि (i) कमजोर मांग की स्थिति और 2019-20 कि तीसरी और चौथी तिमाही में इनपुट मूल्य के दबाव को कम किया; और (ii) उत्पादन मूल्यों को मंद किया जो आगे मूल्य निर्धारण कमजोरी को दर्शाता है।

16. त्यौहार की मांग के कारण प्रचलन में मुद्रा के विस्तार के बावजूद अक्टूबर और नवंबर 2019 में सिस्टम में कुल चलनिधि अधिशेष में रही। एलएएफ़ के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण अक्टूबर में ₹1,98,566 करोड़ था। केंद्र ने अपने खर्च के वित्तपोषण के लिए पहले सप्ताह और महीने के आखिरी तीन दिनों में अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का लाभ उठाया। नवंबर में, अधिशेष चलनिधि का औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण सरकार द्वारा डब्ल्यूएमए के लिए लगातार और बड़े पैमाने पर सहयोग के साथ ₹2,40,566 करोड़ हो गया। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने ओवरनाईट परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों के अलावा 4 नवंबर, 2019 से दीर्घावधि परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया। अब तक, चार दीर्घावधि प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों का आयोजन किया गया है - 21 दिनों के अवधि की दो नीलामी और 35 दिनों और 42 दिनों प्रत्येक के लिए एक जिसके द्वारा ₹78,934 करोड़ अवशोषित किए गए। आसान चलनिधि की स्थिति को दर्शाते हुए, अक्टूबर में 8 आधार अंकों (बीपीएस) और नवंबर में 10 बीपीएस द्वारा पॉलिसी रेपो दर (औसतन) से नीचे भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) का कारोबार हुआ।

17. विभिन्न मुद्रा बाजार खंड और निजी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में मौद्रिक संचलन पूर्ण और यथोचित तेजी से हुआ है। फरवरी-अक्टूबर 2019 के दौरान नीतिगत रेपो दर में 135 बीपीएस की

संचयी कमी के मुकाबले, विभिन्न मुद्रा और कॉर्पोरेट ऋण बाजार खंडों में संचलन 137 बीपीएस (ओवरनाइट मांग मुद्रा बाजार) से 218 बीपीएस (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 3 महीने का सी.पी.) के बीच रहा। तथापि, सरकारी प्रतिभूति बाजार में संचलन 113 बीपीएस (5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति) और 89 बीपीएस (10-वर्ष की सरकारी प्रतिभूति) पर आंशिक रूप से रहा। अग्रिम बाजार संचलन में देरी हुई है लेकिन वह गति पकड़ रहा है। निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की माध्यिका लागत में 49 आधार अंकों की गिरावट आई है। बैंकों द्वारा स्वीकृत नए रुपये ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डबल्यूएलआर) में 44 आधार अंकों की गिरावट आई है, जबकि इस अवधि के दौरान बकाया रुपये ऋणों पर 2 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। तथापि, संचलन के सुधरकर आगे बढ़ने की उम्मीद है चूंकि (i) आधार दर ऋणों की हिस्सेदारी, ब्याज दरें जिस पर यह अटका हुआ था, उसमें गिरावट आई है; और (ii) एमसीएलआर-आधारित अस्थिर दर वाले ऋण, जो आमतौर पर वार्षिक रूप से पुनर्निर्धारित होते हैं, नवीनीकरण हेतु बाकी हैं।

18. बाह्य बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, अधिकांश बैंकों ने अपनी ऋण दरों को रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर से जोड़ा है। फरवरी-नवंबर 2019 के दौरान माध्यिका अवधि की मीयादी जमा दर में 47 बीपीएस की गिरावट आई है। फरवरी-सितंबर के दौरान आठ महीनों में सिर्फ 7 बीपीएस की गिरावट के मुकाबले अक्टूबर में भारित औसत मीयादी जमा दर में 9 बीपीएस की गिरावट आई है। आगे बढ़ते हुए, यह उधार दरों के संप्रेषण के लिए एक शुभ संकेत है।



19. सितंबर-अक्टूबर 2019 में निर्यात संकुचित हुआ जो कि वैश्विक व्यापार में कमजोर कमजोरी को दर्शाता है। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़ कर निर्यात में गिरावट कम थी और वास्तव में गैर-तेल निर्यात वृद्धि दो महीने के अंतराल के बाद अक्टूबर में सकारात्मक क्षेत्र में वापस आ गई थी। निर्यातों की तुलना में आयातों में तेजी से संकुचन हुआ और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण तेल आयात बिल में गिरावट आई। सोने की आयात की मात्रा में तेज संकुचन ने इस खाते से निर्यात पर अंकुश लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला और मोती और कीमती पत्थरों के कारण गैर-तेल और गैर-सोने के आयात में भी संकुचन आया।

इन घटनाओं को दर्शाते हुए सितंबर-अक्टूबर में व्यापार घाटा कम हुआ। वित्त पोषण में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक साल पहले के 17.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019-20 की पहली छमाही में 20.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है। सकल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अप्रैल-नवंबर 2019 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसके अलावा 11 मार्च 2019 से स्वैच्छिक संस्थाओं के मार्ग के तहत एफपीआई द्वारा सकल निवेश 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान बाहरी वाणिज्यिक विक्रेताओं का सकल वितरण 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि के दौरान यह 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 3 दिसंबर 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 451.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था - मार्च 2019 के अंत तक 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

### संभावनाएं

20. अक्टूबर 2019 में चौथे द्विमासिक संकल्प में, समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.4 प्रतिशत, 2019-20 दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.7 प्रतिशत और 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 3.6 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक मुद्रास्फीति परिणाम मोटे तौर पर - औसत 3.5 प्रतिशत - अनुमानों के अनुरूप रहें। हालांकि, अक्टूबर के लिए मुद्रास्फीति उम्मीद से बहुत अधिक रही।

21. आगे जाकर, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण कई कारकों से प्रभावित होने की संभावना है। सबसे पहले, सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव तत्कालिक महीनों में जारी रहने की संभावना है; हालांकि, सरकार द्वारा आयात में वृद्धि के साथ-साथ आपूर्ति बढ़ाने के उपायों और देर से खरीफ के मौसम से आने वाली आपूर्ति में फरवरी 2020 की शुरुआत में सब्जियों की कीमतों में नरमी लाने में मदद होनी चाहिए। दूसरा खाद्य मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र के निहितार्थ के साथ दूध, दाल और चीनी जैसे अन्य खाद्य पदार्थों में देखी जाने वाली कीमतों पर दबाव के बने रखने की संभावना है। तीसरा, रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिवारों की 3-महीने और 1-वर्ष की आगे की मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं, दोनों में तेजी आई है



और अन्य सर्वेक्षणों में भी ये अव्यक्त भावना परिलक्षित हो रही है। चौथा, घरेलू वित्तीय बाजारों में अस्थिरता परिलक्षित हो रही है। पांचवीं, घरेलू मांग कम हो गई है, जो खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में नरमी को दर्शा रही है। छठे, कच्चे तेल की कीमतें भू-राजनीतिक तनाव के कारण किसी भी आपूर्ति अवरोध को रोकते हुए सीमाबद्ध रहने की उम्मीद है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, मोटे तौर पर संतुलित जोखिम के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमानों को 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 5.1-4.7 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही के लिए 4.0-3.8 प्रतिशत के रूप में संशोधित किया गया है (चार्ट 1)।

22. वृद्धि संभावनाओं की ओर मुड़ते हुए अक्टूबर नीति में 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ 6.1 प्रतिशत - 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 5.3 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 6.6-7.2 प्रतिशत की रेंज में और 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि अनुमानित से काफी कम रही। विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि घरेलू और बाहरी मांग की स्थिति कमजोर बनी हुई है। शुरुआती परिणामों के आधार पर, रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण की व्यावसायिक अपेक्षाओं का सूचकांक चौथी तिमाही में व्यापारिक

भावनाओं में मामूली उछाल दर्शाता है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष पर, फरवरी 2019 से मौद्रिक नीति उदार हो रही है और पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों से भावना और घरेलू मांग को पुनर्जीवित किए जाने की उम्मीद है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि को अक्टूबर की नीति में 6.1 प्रतिशत से घटकर 5.0 प्रतिशत - दूसरी छमाही में 4.9-5.5 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही के लिए 5.9-6.3 प्रतिशत के रूप में निचले स्तर पर अनुमानित किया गया (चार्ट 2)। जबकि सुधारित मौद्रिक संचरण और वैश्विक व्यापार तनावों के त्वरित समाधान से सकारात्मक विकास अनुमानों की संभावना है, घरेलू मांग के पुनरुद्धार में देरी, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में एक और मंदी और भू-राजनीतिक तनाव से नकारात्मक जोखिम की संभावना है।

23. एमपीसी नोट करता है कि आर्थिक गतिविधि और कमजोर हो गई है और आउटपुट अंतर नकारात्मक है। हालांकि, सरकार द्वारा पहले से ही शुरू किए गए कई उपायों और फरवरी 2019 से रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई मौद्रिक उदारता से धीरे-धीरे वास्तविक अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ाने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट वित्त और बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर आकड़ें निवेश गतिविधि में वसूली के कुछ शुरुआती संकेत देते हैं हालांकि इसकी स्थिरता को बारीकी से देखने की जरूरत है। इस मोड़ पर

जरूरत है, उन बाधाओं को दूर करने की जो निवेश को वापस ले रही हैं। बाहरी बेंचमार्क की शुरुआत से मौद्रिक संचरण मजबूत किए जाने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में समायोजन में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है। एमपीसी के निर्णय में, निकट अवधि में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, लेकिन यह 2020-21 की दूसरी तिमाही तक लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है। इसलिए, मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण पर स्पष्टता हासिल करने के लिए आने वाले आकड़ों की सावधानीपूर्वक निगरानी करने में समझदारी है। इसी तरह, आगामी केंद्रीय बजट सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों और विकास पर उनके प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करेगा।

24. एमपीसी मानता है कि भविष्य की कार्रवाई के लिए मौद्रिक नीतिगत अवसर है। हालांकि, उभरती वृद्धि - मुद्रास्फीति

गतिशीलता को देखते हुए एमपीसी ने इस समय एक विराम लेना उचित समझा है। तदनुसार, एमपीसी ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखते हुए विकास को पुनर्जीवित करने के लिए जब तक आवश्यकता है नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखने और उदार रुख को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

25. एमपीसी के सभी सदस्यों - डॉ.चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री बिभू प्रसाद कानूनगो और श्री शक्तिकांत दास - ने इस निर्णय के पक्ष में मतदान किया।

26. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 19 दिसंबर, 2019 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

27. एमपीसी की अगली बैठक 4-6 फरवरी, 2020 के दौरान आयोजित की जाएगी।

## विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने; वित्तीय बाजारों को व्यापक और मजबूत करने और भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

### 1. विनियमन और पर्यवेक्षण

#### 1. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – एक्सपोजर सीमा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के एक्सपोजर में जोखिम के संकेन्द्रण को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में यूसीबी की भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से, यूसीबी से संबंधित कुछ विनियामक दिशानिर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। दिशानिर्देश मुख्य रूप से एकल और समूह / परस्पर रूप से संबद्ध उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर मानदंडों, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने से संबंधित होंगे। इन उपायों द्वारा यूसीबी की आघात सहनीयता और धारणीयता को मजबूत करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना अपेक्षित है। संशोधित मानदंडों के अनुपालन के लिए एक उचित समय सीमा प्रदान की जाएगी। हितधारक के मत को प्रकाश में लाने के लिए उपर्युक्त परिवर्तनों को प्रस्तावित करने वाला एक मसौदा परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

#### 2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - वृहद ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को रिपोर्टिंग

रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वृहद ऋणों पर सूचना का एक बहुउद्देशीय केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) बनाया है जिसमें अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ ऑफसाइट पर्यवेक्षण और वित्तीय संकट की जल्द पहचान करने की प्रक्रिया को मजबूत करना शामिल है। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा दिए गए वृहद ऋणों के लिए इसी प्रकार का डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से, ₹500 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली यूसीबी को सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग ढांचे के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश 31 दिसंबर 2019 तक जारी कर दिए जाएंगे।

### 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा – एक क्रमिक दृष्टिकोण

रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बेसलाइन साइबर सुरक्षा नियंत्रण का एक सेट निर्धारित किया था। आगे जांच करने पर, यूसीबी के लिए क्रमिक दृष्टिकोण के रूप में एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, जो उनकी डिजिटल व्यापकता, भुगतान प्रणाली परिदृश्य के साथ अंतर्संबंध, उनके द्वारा पेश किए गए डिजिटल उत्पादों और साइबर सुरक्षा जोखिम के आकलन पर आधारित होगा। इस ढांचे से बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल उत्पाद की प्रकृति, विविधता और पैमाने के आधार पर उत्तरोत्तर मजबूत सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन अनिवार्य किया जाएगा। ऐसे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल रहेंगे बैंक विशिष्ट ईमेल डोमेन का कार्यान्वयन; सार्वजनिक उपयोग वाली वेबसाइटों / एप्लिकेशन का आवधिक सुरक्षा मूल्यांकन; साइबर सुरक्षा घटना के रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना; अभिशासन ढांचे को मजबूत करना; और सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना करना। इससे साइबर सुरक्षा तत्परता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि भुगतान सेवाओं की शृंखला पेश करने वाली और उच्च सूचना प्रौद्योगिकीय व्यापकता दिलाने वाली यूसीबी साइबर सुरक्षा खतरों का समाधान करने में वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष बनेगी।

इस संबंध में विस्तृत निर्देश 31 दिसंबर 2019 तक जारी कर दिए जाएंगे।

#### 4. कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार का विकास – स्व-विनियामक निकाय की स्थापना

जैसा कि कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्य दल द्वारा अनुशांसा की गई है, रिजर्व बैंक कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास की दिशा में पहले कदम के रूप में एक स्व-विनियामक निकाय (एसआरबी) की स्थापना को सुगम बनाएगा। एसआरबी अन्य बातों के साथ-साथ कॉर्पोरेट ऋणों में द्वितीयक बाजार लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों, प्रसंविदाओं और प्रथाओं के मानकीकरण और विनियामक उद्देश्यों के अनुरूप द्वितीयक बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा।

## 5. लघु वित्त बैंकों की 'मांग पर' लाइसेंस

06 जून 2019 को जारी द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में यह घोषणा की गई थी कि लघु वित्त बैंकों की 'मांग पर' लाइसेंस के लिए मसौदा दिशानिर्देश अगस्त 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे। तदनुसार, हितधारकों और जनता से मत आमंत्रित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश 13 सितंबर 2019 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए थे। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच करने के बाद, लघु वित्त बैंकों के लिए 'मांग पर' लाइसेंस दिशानिर्देशों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें आज जारी किया जा रहा है।

## 6. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई (आईबीयू)

आईबीयू के परिचालन को आसान करने के उद्देश्य से और उनके द्वारा बनाए रखे जाने वाले चलनिधि कवरेज अनुपात के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि आईबीयू को:

- फेमा 1999 के प्रावधानों और उनमें जारी विनियमों, जहां भी लागू हों, के अधीन अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा चालू खाते खोलने की अनुमति है; और
- गैर-बैंक संस्थाओं से एक वर्ष से कम अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में सावधि जमा को स्वीकार करने की अनुमति है और इसके परिणामस्वरूप जमा की समयपूर्व निकासी पर वर्तमान प्रतिबंध को हटा दिया जाता है।

हालांकि, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) सहित खुदरा जमा की स्वीकृति पर वर्तमान रोक जारी रहेगी। आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं।

## 7. एनबीएफसी-पी2पी निदेशों की समीक्षा - सकल उधारदाता सीमा और एस्करो खाते

रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी) के लिए निदेश जारी किए थे। वर्तमान में, सभी पी2पी प्लेटफॉर्म पर उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के लिए कुल सीमा ₹10 लाख है, जबकि एकल उधारकर्ता के लिए एक एकल ऋणदाता का एक्सपोजर सभी एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म पर ₹50,000 तक सीमित है। ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म की कार्यपद्धति और उधार देने की

सीमा की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी समय सभी उधारकर्ताओं को एक ऋणदाता का कुल एक्सपोजर सभी पी2पी प्लेटफॉर्म पर ₹50 लाख तक सीमित होगा। इसके अलावा, बैंक द्वारा प्रवर्तित ट्रस्टी द्वारा निधियों को अंतरित करने के लिए आवश्यक रूप से संबंधित बैंक में खोले जाने वाले एस्करो खातों के परिचालन की वर्तमान आवश्यकता को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। इस संबंध में आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

## 8. रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के एटीएम स्विच एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण

एटीएम स्विच एप्लिकेशन हेतु साझा सेवाओं के लिए कई वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक और अन्य विनियमित इकाइयां तृतीय पक्ष एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं पर निर्भर हैं। चूंकि इन सेवा प्रदाताओं का भी भुगतान प्रणाली परिदृश्य में एक्सपोजर है और इसलिए ये संबंधित साइबर खतरों के संपर्क में हैं। यह निर्णय लिया गया है कि विनियमित संस्थाओं द्वारा इन सेवा प्रदाताओं के साथ किए जाने वाले अनुबंध में कुछ आधारभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण अनिवार्य किए जाएंगे। दिशानिर्देशों में परिनिर्णयन प्रक्रिया को मजबूत करने और ईकोसिस्टम में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए कई उपायों के क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी, जिसमें निरंतर निगरानी; संवेदनशील डेटा के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रसारण पर नियंत्रण का कार्यान्वयन; फोरेंसिक परीक्षा के लिए क्षमता निर्माण और घटना प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना शामिल है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 31 दिसंबर 2019 तक जारी किए जाएंगे।

## II. वित्तीय बाजार

### 9. निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम की हेजिंग – अंतिम दिशा-निर्देश जारी

फरवरी 2019 में विदेशी मुद्रा विनिमय हेजिंग सुविधाओं की समीक्षा के संबंध में एक घोषणा की गई थी, इसके बाद 15 फरवरी 2019 को सार्वजनिक मत के लिए मसौदा विनियम जारी किए गए थे। ऑफशोर रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स (अध्यक्ष: श्रीमती

उषा थोरात) ने अपनी समीक्षा के आधार पर कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया था। मसौदा विनियमों को फीडबैक और टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है। किए गए बदलाव निम्नानुसार हैं: -

- उपयोगकर्ता अंतर्निहित एक्सपोजर के साक्ष्य की आवश्यकता के बिना 10 मिलियन अमरीकी डालर तक के मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन काउंटर पर (ओटीसी) कर सकते हैं।
- बैंकों को असाधारण परिस्थितियों में प्रत्याशित एक्सपोजर पर बुक किए गए हेज लेनदेन पर शुद्ध लाभ हस्तांतरित करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान किया जाएगा।
- सुरक्षा उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत करना कि जटिल डेरिवेटिव केवल उन उपयोगकर्ताओं को बेचे जाते हैं जो जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम हैं।

अंतिम निर्देश विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) विनियमों में बदलाव की अधिसूचना के बाद जारी किए जाएंगे।

### III. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

#### 10. नए प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई)

प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके उपयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए, एक नए प्रकार के पीपीआई को पेश करना प्रस्तावित है, जिसका उपयोग केवल ₹10,000 की सीमा तक माल और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। ऐसे पीपीआई की लोडिंग / पुनः लोडिंग केवल एक बैंक खाते से होगी और इसका उपयोग केवल डिजिटल भुगतान जैसे बिल भुगतान, व्यापारिक भुगतान आदि के लिए किया जाएगा। ऐसे पीपीआई ग्राहक से प्राप्त न्यूनतम अनिवार्य विवरण के आधार पर जारी किए जा सकते हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश 31 दिसंबर 2019 तक जारी किए जाएंगे।



## भाषण

चौराहे पर भारतीय बैंकिंग: कुछ विचार  
शक्तिकांत दास

श्री एन के सिंह द्वारा 17वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान :  
उद्बोधन वक्तव्य  
शक्तिकांत दास

राजकोषीय परिसंघवाद: सिद्धांत और व्यवहार  
एन के सिंह

वित्तीय समावेशन के अगले दौर में सूक्ष्म वित्त  
एम.के.जैन

ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए  
महत्वपूर्ण जानकारी  
एम.के.जैन



## चौराहे पर भारतीय बैंकिंग: कुछ विचार\*

- शक्तिकांत दास

अमृत मोदीस्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में संबोधन के लिए आज आप लोगों के बीच आकर खुश हूँ। सम्मेलन का विषय – 'बैंक राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष : भारतीय बैंकिंग चौराहे पर' - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विकास, विगत 50 वर्षों में उनकी यात्रा और उनके भविष्य के विज्ञान पर चर्चा के लिए बिल्कुल सही पृष्ठभूमि है। हमारे देश के उत्थान में बैंकिंग प्रणाली ने एक अहम भूमिका निभाई है, विशेषतः हाल के दशकों में जिसमें अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हुई है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली, विशेषतः सरकारी (पब्लिक सेक्टर) बैंक, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद, भारी अनर्जक ऋणों (एनपीएल), वैश्विक व घरेलू आर्थिक गिरावट, तकनीक को अपनाने व नए युग की फिनटेक कंपनियों के साथ स्पर्धा से जूझने में भारी मंथन का अनुभव किया है। मैं अपने संबोधन में आज उन चुनौतियों पर चर्चा करूँगा जो वृहत्तर बैंकिंग क्षेत्र के सामने हैं, और आगे चलकर हमें उनसे क्या प्रत्याशा है। मैं, गैर-वित्तीय कंपनियों व शहरी सहकारी बैंकों, जो कि वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, के मुद्दों से निपटने में अपने अप्रोच के बारे में भी संक्षेप में बताऊँगा।

कई बार, इतिहास को पलटकर देखने से ऐसी दृष्टियाँ मिलती हैं, जो भविष्य को देखने में काफ़ी सहायक होती हैं। उस सीमित उद्देश्य के साथ, अपनी चर्चा को संदर्भ से जोड़ने के लिए थोड़ा सा मैं भूत की ओर जाऊँगा। 1967 में, उद्योग के 64.3 के जबर्दस्त विपरीत कृषि को मिलने वाला ऋण वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम का केवल 2.2 प्रतिशत था। 1969 में देश के पाँच शहरों, यथा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई

से बैंक जमाराशियों का 44 प्रतिशत और बकाया बैंक ऋण का 60 प्रतिशत आता था। इससे यह व्यापक राजनैतिक अवधारणा बनी कि निजी बैंकों पर छोड़ दिया जाए तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में उनमें पर्याप्त जागरूकता नहीं होती। उस समय नीति निर्माताओं ने जो हल सोचे, उनमें बैंकिंग प्रणाली पर विभिन्न स्तर के नियंत्रण शामिल थे, जिसकी परिणति अंततः 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उसके बाद 1980 में छह और निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में हुई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय के प्रभाव को रिजर्व बैंक के इतिहास के खंड III में बड़े सटीक ढंग से बताया गया है: *राष्ट्रीयकरण के समय देश के 2700 में से 617 शहर वाणिज्यिक बैंकों से बाहर थे। और, इससे भी बदतर गाँवों की हालत थी जहाँ 600,000 गाँवों में बमुश्किल 5,000 में बैंक थे। इनका विस्तार भी असमान था....'*

### वर्तमान चुनौतियाँ और बाह्य कारकों की भूमिका

इतिहास में थोड़े से इस भ्रमण के बाद, अब मैं बैंकों के सामने पेश आ रही आज की चुनौतियों पर आता हूँ जिनमें से कई विगत वर्षों में बाह्य कारकों के परिणाम थे। सर्व-संबंधितों को समझना चाहिए कि बैंकों का कारोबार ही वास्तविक जोखिमों का है। इसका अर्थ हुआ कि बैंक जो एक्सपोज़र लेना चाहता है, उनमें कुछ के परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। सरकार के विकास एजेंडा को लागू करने का माध्यम रहे पीएसबी को कई उद्देश्य प्राप्त करने और बढ़ाने होते थे। जीएफसी (2008) के पहले, उच्च वृद्धि का चरण काफी हद तक अधिकांशतः पीएसबी द्वारा बैंक ऋण (क्रेडिट) के कारण आया जिससे उधारदाताओं के बैलेंस शीट में जोखिम बढ़े। विशेषतः बुनियादी क्षेत्र को जाने वाला बैंक ऋण अभूतपूर्व दर से बढ़ा। इससे पीएसबी का एक्सपोज़र आधारभूत क्षेत्र की मुश्किलों में हुआ और इनमें कई जोखिम संकट के बाद उल्लेखनीय रूप से घटित हो गए।

आगे, आधारभूत क्षेत्र को अग्रिम में इस उच्च वृद्धि अवधि का पुछल्ला सिरा, आर्थिक वृद्धि में सुस्ती और पर्यावरणीय अनुमतियों (क्लीयरेंस) के सख्त होने की अवधि के साथ आया।

\* 16 नवंबर 2019 को अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद विश्वविद्यालय में प्रथम वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का उद्घाटन संबोधन।

साथ ही, उधार देने वाली प्रमुख संस्थाओं के वैश्विक बैंकों/एनबीएफसी में बदल जाने से वाणिज्यिक बैंक आधारभूत व मूल उद्योगों (कोर इंडस्ट्रीज़) के लिए दीर्घावधि ऋण के प्राथमिक स्रोत हो गए। इन परिस्थितियों का एक तत्काल परिणाम यह था कि इनसे 'पुनर्रचित मानक आस्तियों' अर्थात् अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में ड्राउनग्रेड किए बिना पुनर्रचित की गई आस्तियों की मात्रा में उछाल आया। बाद में, अधिकांश पुनर्रचित आस्तियां, जिनको 'मानक' के रूप में वर्गीकरण की अनुमति मिली थी, वे एनपीए हो गईं क्योंकि पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) पैकेज व्यवहार्य सिद्ध नहीं हुआ। बैंकों द्वारा अपर्याप्त ऋण आकलन और अभिशासन मुद्दों ने भी जोखिम के बढ़ने में अपना-अपना योगदान दिया।

जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, एनपीए में वृद्धि निजी व विदेशी बैंकों की तुलना में विशेषतः पीएसबी में अपेक्षतया अधिक थी। संभवतः अपने अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में पीएसबी अर्थव्यवस्था के कुछ अहम क्षेत्रों में उच्चतर एक्सपोजर ले बैठे, जैसे खनन, लोहा व स्टील और बुनियादी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बाहरी आघातों के कारण एनपीए के स्तर बढ़े जिससे तत्संबंधी दबाव बढ़ा – खनन व ऊर्जा को कोयला ब्लॉकों के आबंटन रद्द होने का आघात; लोहा और स्टील पर चीन से सस्ते स्टील की डंपिंग के चलते लागत दबाव; 2जी स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के रद्द होने से संचार क्षेत्र में उथल-पुथल; और निर्माण क्षेत्र में आवश्यक सरकारी अनुमोदनों के मिलने, विशेषतः पर्यावरणीय क्लियरेंस में विलंब के कारण बदहाली।

इनके अलावा, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की ऋण माफ़ियों/अधिस्थगनों के आघात से राजकोष की हानि हुई तथा बैंकिंग क्षेत्र की सेहत व ऋण संस्कृति पर बुरा असर पड़ा। रोचक बात यह है कि भारतीय बैंक संघ का डेटा बताता है कि 2017 से जिन 10 राज्यों ने ऋण माफ़ी योजनाओं की घोषणा की, उनमें से केवल तीन ने वादे की मुताबिक लगभग पूरी प्रतिपूर्ति की है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि, राइट ऑफ़ राशियों की प्रतिपूर्ति बैंकों को हो और डिस्कॉम वाले भुगतान समय से किए

जाएं ताकि आने वाले वर्षों में बैंकों की सेहत और उधार देने की उनकी क्षमता बेहतर हो।

### कंपनी अभिशासन पर मौन

इसके बाद मैं, पीएसबी को पेश आ रही कुछ आंतरिक चुनौतियों पर आता हूँ और उनके अभिशासन को बड़ी आसानी से एक प्रमुख समस्या बताया जा सकता है। वास्तव में, कई समस्याएं, जिनका पीएसबी वर्तमान में सामना करते प्रतीत हो रहे हैं, जैसे बढ़े हुए एनपीए, पूँजी की कमी, धोखाधड़ी और अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन को ज्यादातर अंतर्निहित अभिशासन समस्या का नतीजा बताया जा सकता है। नियंत्रण, लेखा परीक्षा (ऑडिट), और कारोबार व जोखिम प्रबंधन की अलग रिपोर्टिंग की समुचित प्रणालियां स्थापित करके अनुपालन संस्कृति विकसित करने में कुछ पीएसबी में स्वतंत्र बोर्ड अपनी भूमिका में खरे नहीं पाए गए हैं जिसके कारण एनपीए का अंबार बढ़ा है। साथ ही, कारोबारी परिप्रेक्ष्य से, कुछ बैंकों के बोर्डों में, कौशल व सक्षमता के अभाव के कारण, जोखिम की पर्याप्त समझ नहीं रही है। यह तथ्य है कि पारदर्शिता व जवाबदेही पर केंद्रित सुदृढ़ कॉरपोरेट अभिशासन की धारा मजबूत बोर्ड से चलेगी जो अपने नेतृत्व से उदाहरण दे।

अब मैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों (पीवीबी) के अभिशासन मुद्दों पर भी आता हूँ जिनकी जड़ें कुछ और हैं। यहाँ मुद्दे मुख्यतः उनके प्रबंध तंत्र के प्रोत्साहन के ढाँचे, ऑडिट व अनुपालन की क्वालिटी और ऑडिट व जोखिम प्रबंध समितियों के कार्य से भी जुड़े हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल में निजी बैंकों में मुआवजे (कम्पेनशंसन) पर दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें न्यूनतम परिवर्तनशील वेतन घटक और दिए गए पैसे की वसूली व्यवस्थाएं आदि शामिल हैं।

### दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान

अभिशासन के अलावा, पीएसबी तथा समग्र तौर पर पूरी बैंकिंग व्यवस्था के सामने दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान प्रमुख चुनौतियों में से एक है। एक लंबे समय तक भारत के पास दिवालिया कानून नहीं था और इसलिए रिज़र्व बैंक विभिन्न पुनर्रचना ढाँचों को ले आया जिनमें दिवालिया कानून के

वांछनीय तत्वों को लेने का प्रयास किया गया। शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता, 2016 (आईबीसी) का अधिनियमन इस मामले में बड़े बदलाव लाने वाला रहा है। इस अवधारणा के बावजूद, कि बहुत सी मुकदमेबाजियों से त्रस्त होने के कारण आईबीसी में निपटान में विलंब होता है, मुझे यह उम्मीद है कि ये सब एक नए कानून में शुरूआती दौर की समस्याएँ हैं। आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाहियों से गुजरने और परिसमापन (लिक्विडेशन) में समाप्त होने वाली अधिकांश कंपनियाँ पहले ही लंबे समय से दवाग्रस्त इकाइयाँ थीं जिनके मूल्य में काफ़ी हास हो चुका था जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीएफआईआर) में लंबित थीं। आईबीसी का वास्तविक असर नए मामलों में देखा जाए जहाँ इस कानून से मुझे निपटारे का एक प्रभावी मार्ग मिलने की उम्मीद है।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 के परिपत्र के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान का एक ढाँचा प्रस्तुत किया है जिसमें निपटान योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन की परिकल्पना है जिसके असफल होने पर अतिरिक्त प्रावधान के रूप में दंडात्मक कार्यवाहियाँ शुरू होंगी।

एक ओर वास्तविक/वस्तु क्षेत्र फर्मों के लिए जहाँ ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं, वहीं वित्तीय फ़र्मों के निपटान के मामले में हालात एकदम अलग हैं। इस मामले में, सरकार ने 15 नवंबर 2019 को आईबीसी के अंतर्गत वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के निपटान हेतु नियमों का एक ढाँचा जारी किया है। इन नियमों का प्रयोग क्षेत्र कुछ वित्तीय सेवा प्रदाताओं तक सीमित रहेगा जिसे कि विनियामकों से परामर्श के बाद सरकार अलग से अधिसूचित करेगी।

पहचान, मरम्मत और निपटान की दिशा में हमारे दृढ़ प्रयासों से 7 वर्षों के बाद पहली बार मार्च 2019 में अनर्जक आस्तियों में कमी आई। नई गिरावटें कम हुईं और प्रणाली स्तरीय प्रावधान कवरेज अनुपात एक वर्ष पहले के 48.3 प्रतिशत से बढ़कर 60.5 प्रतिशत पर आ गया। बैंकिंग प्रणाली का पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गया है जो बासल मानकों से काफ़ी अधिक है। इसमें हाल में सरकार द्वारा

पीएसबी के 2.9 लाख करोड़ के पुनपूँजीकरण का लाभ मिला है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय

सरकार ने मजबूत व स्पर्धात्मक बैंक बनाने की दृष्टि से पीएसबी के समामेलन की घोषणा की ताकि वैश्विक उपस्थिति वाले सुदृढ़तर बैंक बनें। यह समेकन नरसिंहम समिति की प्रथम रिपोर्ट की संस्तुतियों की दिशा में उठाया गया कदम है, जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में कम किंतु सुदृढ़ बैंकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। विचार यह था कि इन बैंकों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा के लायक बनाया जाए। अच्छी तरह कार्यान्वित एक विलय से कार्यबल व पूँजी की उत्तम सहक्रिया घटित होती है, कार्यों को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलती है और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय उन्नति होती है। इससे बैंकों के बीच सभी बोर्डों में सर्वोत्तम तौर-तरीकों का प्रसार भी हो सकता है। सिद्धांततः, बड़े और चुस्त बैंक, बेहतर ब्रांडिंग के जरिये अपने आपको नई स्थिति में प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि यह जल्द जोड़ दूँ कि विलय इस प्रकार हो कि इस प्रक्रिया से इन बैंकों के सामान्य कार्यकलाप में कोई उथल-पुथल न हो।

### गैर-बैंक वित्तीय कंपनी क्षेत्र (एनबीएफसी सेक्टर)

यह भली भाँति मानी हुई बात है कि व्यापक प्रकार के ग्राहकों और विशिष्ट क्षेत्रों की वित्तीय जरूरत को पूरा करके भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एनबीएफसी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं तथा बैंकों के लिए पूरकता व स्पर्धा का कार्य करते हैं। एनबीएफसी क्षेत्र अधिकांशतः बाजार और बैंक उधारियों पर निर्भर है जिससे बैंकों व वित्तीय बाजारों के साथ अंतर्निभरता का एक जाल तैयार होता है। चूँकि आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) अब रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में आती हैं, हम वर्तमान विनियमों की एक समीक्षा कर रहे हैं और एनबीएफसी के लिए लागू विनियमों के साथ एचएफसी के इन विनियमों को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया में है।

इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग कंपनी (आईएलएफएस) संकट और तत्पश्चात कुछ कंपनियों द्वारा चूक के बाद आस्ति गुणवत्ता की चिंताएं सामने आई हैं जिसके चलते एनबीएफसी

पर तरलता/चलनिधि (लिक्विडिटी) का दबाव बना है। इन चिंताओं के समाधान हेतु विभिन्न उपाय उठाने एवं एनबीएफसी की विनियामकीय व पर्यवेक्षीय संरचना को मजबूत करने और इस प्रकार इस क्षेत्र की स्थिरता व सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में रिज़र्व बैंक अग्रसक्रिय रहा है।

विनियमों के सुसंगतिकरण व मजबूत चलनिधि ढाँचे के जरिए उनको समुत्थानशील बनाने पर हमने काफ़ी बल दिया है। 4 नवंबर 2019 को रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के चलनिधि प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी में समुचित अभिशासन व जोखिम प्रबंधन ढाँचा सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है।

### शहरी सहकारी बैंक

अब मैं सहकारी बैंकों की ओर मुड़ता हूँ। वे ऋण वितरण और लोगों तक अन्य वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तथापि इनमें से कुछ संस्थानों का प्रदर्शन परिचालन व अभिशासन के मामलों से बाधित हुआ है। हाल में एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) में फ़्रॉड का पता चलने से उनके अभिशासन, विवेक सम्मत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नियंत्रण व संतुलन की पर्याप्तता संबंधी मुद्दे सामने आए हैं।

इतिहास पर नजर डालें, तो शहरी सहकारी बैंकों को 1 मार्च 1966 से बैंकिंग रेग्यूलेशन (बीआर) ऐक्ट 1949 की परिधि में लाया गया। तथापि, बीआर ऐक्ट के कुछ प्रावधान उन पर लागू नहीं थे जिससे उन पर विनियमन व पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित रहा<sup>1</sup>। मोटे तौर पर कहा जाए, तो शहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं और प्रबंधन संबंधी कार्य संबंधित राज्य / केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रण का यह द्वैत रिज़र्व बैंक के विनियामकीय नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। राज्यों/ केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टैफ़कब) के गठन द्वारा रिज़र्व बैंक ने अतीत में दोहरे नियंत्रण के दुष्प्रभाव को कम करने के प्रयास किए हैं। तथापि, चुनौतियां अभी भी

बनी हुई हैं। वर्तमान में रिज़र्व बैंक सरकार के साथ मिलकर सहकारी बैंकों को चलाने वाले ऐक्ट में संशोधन पर कार्य कर रहा है। यूसीबी के बेहतर विनियमन व पर्यवेक्षण के लिए हमने केंद्र सरकार को कई विधायी परिवर्तन सुझाए हैं। अपनी ओर से हम यूसीबी के विनियमन व पर्यवेक्षण की वर्तमान संरचना की समीक्षा कर रहे हैं और उभरती आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

आगे चलकर, यूसीबी को लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (एमएफआई) जैसे खिलाड़ियों से अधिकाधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। अतः आवश्यक है कि वे अच्छी तकनीक अपनाएं ताकि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ कम लागत पर वे बैंकिंग सेवाएं दे पाएं। आईटी का एक मजबूत आधार अपनाने में रिज़र्व बैंक अग्रसक्रिय होकर इन संस्थाओं की सहायता कर रहा है। ऐसी प्रत्याशा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तरीय छत्र संगठन (यूओ) सदस्य सहकारी बैंकों को चलनिधि व पूंजीगत सहायता देकर इस क्षेत्र की सुदृढ़ता व जीवन्तता में योगदान देगा।

### बैंकिंग के नए क्षितिज

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के रूप में बैंकिंग के नए मॉडलों ने भारत में बैंकिंग के क्षितिज को विस्तृत कर दिया है। 'अल्प नकद' समाज की दिशा में सरकार व रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों<sup>2</sup> के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के फलस्वरूप, डीजीपी की तुलना में डिजिटल भुगतानों<sup>3</sup> का अनुपात मार्च 2016 के अंत के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 के अंत में 8.6 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 4.6 से बढ़कर 17.6 हो गया। इसी प्रकार, फिनटेक उधार देने और पूंजी उगाहने के वैकल्पिक मॉडल दे रहा है। इस क्षेत्र में, क्राउड फंडिंग, समकक्षीय उधार (पीयर टू पीयर लेंडिंग), इनवॉयस फाइनेंसिंग (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस)) और

<sup>2</sup> जैसे तत्काल (इमीडियेट) भुगतान (पेमेंट्स) सेवा (सर्विस) (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएम), आधार-इनेबलड पेमेंट सिस्टम (ईईपीएस), भारत क्यूआर कोड और मोबाइल वैलेट्स।

<sup>3</sup> डिजिटल भुगतानों में आरटीजीएस (ग्राहक लेन-देन और अंतर-बैंक लेन-देन), खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और कार्ड भुगतान (प्वॉइंट ऑफ सेल (पॉस) टर्मिनलों पर पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन-देनी-पेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स के माध्यम से किए गए भुगतान)।

<sup>1</sup> सहकारी बैंक बीआर ऐक्ट, 1949, कुछ संशोधनों सहित, की धारा 56, के अंतर्गत विनियमित हैं। चूंकि सहकारी बैंक ऐक्ट के कुछ प्रावधानों से मुक्त हैं, यूसीबी पर रिज़र्व बैंक का विनियामक प्राधिकार सीमित है।

डिजीटल लैंडिंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इन्होंने लागत घटाकर, उत्पादों व सेवाओं के छोटे पैकेट बनाकर मध्यस्थता की सक्षमता को बढ़ाने और वृहत्तर जन समुदाय के लिए वित्तीय सेवाओं को विस्तार देने में सहायता की है।

अधिक हाल की बात करें, तो वित्तीय सेवाओं के नवोन्मेष में कृत्रिम बौद्धिकता (एएल), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा केंद्रीय बनते जा रहे हैं। इन तकनीकों से भारी मात्रा में संरचनाबद्ध व संरचनाविहीन डेटा का विश्लेषण संभव हो पाया है। विनियमों के अनुपालन को लेकर प्रत्याशा के बढ़ते स्तर तथा डेटा व रिपोर्टिंग पर अधिक फोकस से रेगटेक व सुपटेक चर्चा में आ गए हैं। इनका प्रयोग जोखिम प्रबंधन, विनियामक रिपोर्टिंग, आँकड़ा प्रबंधन, अनुपालन, ई-केवाईसी / एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी), और धोखाधड़ी के रोकथाम (फ्रॉड प्रिवेंशन) के क्षेत्रों में हो रहा है।

इन घटनाक्रमों के कारण, पारंपरिक बैंकिंग का स्थान अब अगली पीढ़ी की बैंकिंग ले रही है जिसका फोकस डिजीटलीकरण और आधुनिकीकरण है। ईंट पत्थर वाली शाखाओं की आवश्यकता की सतत समीक्षा हो रही है क्योंकि डिजीटलीकरण से बैंकिंग लोगों की ऊँगलियों पर आ गई है जिससे भौतिक रूप से बैंक शाखा में जाने की जरूरत खत्म हो रही है। भुगतान जैसे बैंकों के पारंपरिक गढ़ में तकनीक के महारथियों के तेजी से आगे बढ़ने के कारण तकनीकी नवोन्मेष से वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में हुए परिवर्तन से किसी बैंक व टेक्नॉलॉजी कंपनी के बीच की विभाजक रेखा धुँधली हो सकती है। इससे विनियामकों को इस बात को आजमाने का एक अवसर मिलेगा कि नवोन्मेष के प्रोत्साहन और समान पर्यवेक्षी व विनियामक ढाँचा लागू करने के बीच नाजुक संतुलन कैसे कायम किया जाए।

### समापन टिप्पणी

मैं यह कहकर समापन करना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अरक्षित देयताओं को समाज

से उगाहने तथा विभिन्न अवसरों व उद्यमों में इसके विनियोजन द्वारा आय उत्पन्न करने के विशेषाधिकार के लिए इस विनियोजन के जोखिम का समझदारी से आकलन आवश्यक है। इस प्रक्रिया में, आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के विकास में योगदान की जब बात हो तो इसमें बैंकों की जिम्मेदारी तो बनती है।

आगे, आरबीआई में हम बैंकों में अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा व अनुपालन कार्यों पर अधिक गहनता से ध्यान दे रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर निगरानी को मजबूत करने के लिए हमने 1 नवंबर 2019 से एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) और एक एकीकृत विनियमन विभाग बनाया है। चूँकि ये इकाइयाँ परस्पर व्याप्ति वाले कार्यक्षेत्रों के साथ अधिकाधिक एकीकृत परिवेश में कार्य करेंगी, इससे पर्यवेक्षण व विनियमन अधिक प्रभावी होगा। हमारा प्रयास है कि पर्यवेक्षकों का ज्ञान व कौशल लगातार अद्यतन होता रहे। हम इस मामले में एक बहुमुखी तरीका अपना रहे हैं। हम विनियामक व पर्यवेक्षी स्टाफ के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने व सुदृढ़ करने के लिए एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स बनाने की प्रक्रिया में हैं इसके अतिरिक्त, एक आंतरिक शोध व विश्लेषण स्कंध बनाया जा रहा है जो विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों के पूरक व सहायक का कार्य करेगा। जैसा कि पहले बताया गया है, विनियमन व पर्यवेक्षण को अधिक कारगर बनाने में तकनीक की अहम भूमिका लगातार बनी रहेगी।

दीर्घकाल से बने हुए विनियामक व पर्यवेक्षी ढाँचे के कुछ मुद्दों के व्यवस्थित व समयबद्ध ढंग से हल पर भी हम विचार कर रहे हैं ताकि एक अधिक कुशल व सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली बनाई जा सके।

आशा करता हूँ कि अपने वक्तव्य में मैंने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, उनमें से कुछ पर आने वाले सत्रों में सम्मेलन के सहभागी विस्तार से चिंतन करेंगे। मैं सम्मेलन की भरपूर सफलता की कामना करता हूँ।



## श्री एन के सिंह द्वारा 17वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान : उद्बोधन वक्तव्य\*

शक्तिकांत दास

मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एन के सिंह जी का स्वागत कर रहा हूँ जो यहाँ एल. के. झा स्मारक व्याख्यान देने आए हैं। यह इस शृंखला का सत्रहवाँ व्याख्यान है और प्रसंगवश आज श्री एल. के. झा की 106वीं जयंती है। मेरे लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि इस अवसर पर उनकी बेटी श्रीमती दीपिका महाराज सिंह भी यहाँ हैं। रिज़र्व बैंक से पधारें विशिष्ट आमंत्रित जनों का हार्दिक स्वागत।

प्रारंभ में मैं, इस अवसर की स्मृति में श्री एल. के. झा पर कुछ कहना चाहूँगा। 'एलके' के नाम से लोकप्रिय, श्री लक्ष्मीकंत झा का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ट्रिनिटी कॉलेज केंब्रिज के स्नातक थे। केंब्रिज में वे सुविख्यात अर्थशास्त्रियों, केंस और रॉबर्टसन के छात्र रहे। 1936 में वे इंडियन सिविल सर्विस से जुड़े। उन्होंने सरकार में कई पदों पर काम किया। प्रशुल्क (टैरिफ़) और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) की बैठकों में वे भारत के प्रमुख प्रतिनिधि और 1957-58 में इसके अध्यक्ष रहे। 1960 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में वे सचिव रहे और 1964 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के मुख्य सचिव रहे, एक पद जो नया-नया बना था। बाद में, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के तहत उसी पद पर बने रहे।

1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक श्री एल के झा भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रहे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने एवं बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने में रिज़र्व बैंक की विकासात्मक भूमिका को बहुत महत्व दिया।

\* 22 नवंबर 2019 को श्री एन के सिंह द्वारा 17वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान।

रिज़र्व बैंक के बाद, उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया और बाद में जम्मू और कश्मीर के गवर्नर बने। 16 जनवरी 1988 को श्री एल के झा पंचतत्व में विलीन हुए और अपने कर्म के प्रति अंत तक पूर्णतः प्रतिबद्ध रहे। देश और रिज़र्व बैंक के प्रति उनके योगदान के सम्मान में यह व्याख्यान माला 1990 में प्रारंभ की गई थी।

### वक्ता के बारे में

यह बड़े हर्ष का विषय है कि एल के झा स्मारक शृंखला का 17वां व्याख्यान देने श्री एन के सिंह आए हैं। देश के प्रति योगदान के मामले में, श्री एन के सिंह ने विभिन्न पदों पर श्री झा के कार्य को आगे बढ़ाया है। वर्तमान में वे पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जिससे मैं भी गवर्नर बनने के पहले एक सदस्य के रूप में जुड़ा था। उसके पहले, श्री सिंह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) समीक्षा पैनल का नेतृत्व कर रहे थे। गत वर्ष सरकार द्वारा अपनाए गए संशोधित एफआरबीएम नियम के वे प्रमुख शिल्पकार हैं।

इधर हाल तक वे बिहार राज्य से राज्य सभा के सदस्य रहे हैं। इस रूप में उन्होंने विदेश मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति, लोक लेखा समिति और वित्त संबंधी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1964 में आईएस ज्वाइन करने के बाद एक कैरियर ब्यूरोक्रेट के रूप में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया जैसे, भारत के व्यय और राजस्व सचिव, योजना आयोग के सदस्य और प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव।

श्री एन के सिंह के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अनुभव का फलक बड़ा व्यापक है। 1990 के शुरुआती वर्षों में भारत के भुगतान संतुलन संकट के दौरान वे कई बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ प्रमुख वार्ताकार रहे। उन्होंने महत्वपूर्ण परामर्शी पदों पर भी सेवाएं दी हैं और विगत 20 वर्षों में भारत की आर्थिक सुधार रणनीति में अग्रसक्रियता से जुड़े रहे हैं।

आज के व्याख्यान के लिए श्री सिंह द्वारा चुना गया 'राजकोषीय परिसंघवाद: सिद्धांत और व्यवहार' का विषय, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही प्रासंगिक और समयानुकूल है विशेषतः जीएसटी के लागू होने और नीति आयोग के आने के

बाद। ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मिलकर हमारे परिसंघीय ढाँचे में राज्यों को वृहत्तर भूमिका दी है।

भारतीय परिसंघवाद का सार है कि संघ व राज्य दोनों राजकोषीय रूप से मजबूत हों। संघ का कमजोर होना राष्ट्रीय संप्रभुता और विकास दोनों के लिए हानिकारक है; और कमजोर राज्य विकास नहीं दे पाएंगे। और इन विषयों पर बोलने के लिए आज श्री एन के सिंह से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इतना तो तय है कि राजकोषीय परिसंघवाद की भावी रूपरेखा 15वें वित्त आयोग के परामर्शों से निर्धारित होने वाली है।

इसके साथ ही, स्पर्धात्मक परिसंघवाद केंद्र-राज्य संबंधों को उत्तरोत्तर परिभाषित करने वाली विशेषता बनती जा रही है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला योजना ऐसी स्पर्धा और विकास का एक उदाहरण है। कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग दूसरा ऐसा उदाहरण है जिसमें दीर्घावधि उत्पादकता को बढ़ाने की संभावना है। इसी बात को केंद्र में रखकर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी राज्य वित्त रिपोर्ट में राज्यों के बजट से विवरण लेते हुए कुछ राजकोषीय मानकों पर राज्य-वार तथ्यों को एक साथ

रखने का प्रयास किया गया है ताकि राज्यों में अपने संभाव्य राजस्व को प्राप्त करने की स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ाया जा सके या एक दूसरे से सीखकर जोखिमों को कम किया जा सके। इस बार, हमने राज्य वित्त पर समय श्रृंखला डेटाबेस भी जारी किया है जिससे इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिले।

राजकोषीय परिसंघवाद का दूसरा पहलू जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वह स्थानीय निकायों से संबंधित है। राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को निधियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान है। वित्त राज्य आयोगों को संस्थागत बनाना और राजस्व अर्जन की उनकी क्षमता को बढ़ाकर अभिशासन के तीसरे स्तर को शक्ति देना बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री एन के सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगा कि राजकोषीय परिसंघवाद के आधारभूत सिद्धांतों और इससे जन्मने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर अपने विचार साझा करें। व्याख्यान के बाद एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र के लिए सदन खुला रहेगा।

## राजकोषीय परिसंघवादः सिद्धांत और व्यवहार \*

### एन के सिंह

इस प्रतिष्ठित एल के झा स्मारक व्याख्यान में बोलना मेरे लिए विशेष सम्मान और गौरव की बात है। मेरे लिए कई कारणों से यह एक व्याख्यान से बढ़कर है। प्रथम और सर्वोपरि, श्री एल के झा ( मेरे लिए एलके अंकल), के साथ मेरा जुड़ाव बचपन के दिनों का है। वे न सिर्फ उसी जिले के थे, जहाँ से मेरे पिता थे, बल्कि वे दोनों साथ-साथ लंदन गए – वे केंब्रिज गए जबकि मेरे पिता जी लंदन स्कूल ऑफ़ इकनॉमिक्स में। दोनों ने एक ही साथ वर्ष 1936 में इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की। जब तक मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की, प्रशासक, नीति निर्माता तथा अर्थशास्त्र व वित्त के जानकार के रूप में एलके की ख्याति दूर-दूर तक फैल चुकी थी। उनके बारे में कई किस्से हैं जिनका जिक्र मैंने अपनी आगामी आत्मकथा में किया है और यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। तथापि, एक को बताने से नहीं रोक पा रहा हूँ।

जापान में भारतीय दूतावास में अर्थ व वाणिज्य मंत्री के रूप में मेरे कार्य-काल में एलके के नेतृत्व में 1984 में वरिष्ठ नीति निर्माताओं और वरिष्ठ कॉरपोरेट्स का एक उपक्रमात्मक शिष्ट मंडल (प्रिपरेटरी मिशन) प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आसन्न दौरे की तैयारी के लिए आया था। मुझे याद आता है कि निशो इवाई की मेजबानी में उनके लिए एक छोटा सा रात्रि भोज (डिनर) आयोजित किया गया था जो प्रसिद्ध शोगा-शोशा से भी जुड़े थे - यानी कई प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाली एक बड़ी जापानी कंपनी। इस डिनर में एक वृद्ध सज्जन, जो अब रिटायर हो चुके हैं, ने एलके से हाथ मिलाया और एक कार्ड दिया जिस पर उनका नाम व पदनाम संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय के रूप में दर्ज था। एलके से वे दशकों पहले मिले थे और तब से एलके एक लंबी यात्रा कर चुके थे – उद्योग मंत्रालय के सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के

सचिव, प्रधान मंत्री के सचिव और आरबीआई के गवर्नर। एलके चकित हुए कि उस व्यक्ति ने क्यों व कैसे उनके संतुक्त सचिव के दौर का पुराना विजिटिंग कार्ड संभाल रखा था। वृद्ध सज्जन ने कहा कि पहली मुलाकात में ही वे एलके की मेधा से प्रभावित हुए थे और तब से दशकों तक इस कार्ड को संभाल रखा था इस उम्मीद में, कि उनसे फिर मुलाकात होगी और अवश्य ही वे किसी ऊँचे पद पर पहुँचेंगे। एलके मुस्कुरा दिए और वृद्ध सज्जन की तो साध ही पूरी हो गई थी।

एलके एक सच्चे उदार चिंतन के प्रतिनिधि थे। अनेकानेक दायित्वों में उन्होंने उन उपायों को खोजने के अविराम प्रयास किए जो अर्थव्यवस्था को मुक्त करें, स्पर्धा द्वारा उत्पादकता बढ़ाएं, विकास में योगदान दें और गरीबी व कल्याण के मुद्दों पर कार्य करने लायक पर्याप्त राजकोषीय अवकाश दें। वाकई यह दृष्टिकोण उनमें कूट-कूटकर भरा था और उनसे जुड़े किस्से बताते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर का दायित्व संभालने के लिए जब इंदिरा गांधी के सचिव का पद छोड़कर वे गए, साउथ ब्लॉक से एक उदार दृष्टिकोण जाता रहा। उसके बाद के वर्षों में एक वामपंथी रुख का दबदबा रहा जो सरकारी खर्च को बढ़ाने व नियमों की कड़ाई में बहुत ज्यादा विश्वास करता था।

मेरी उनसे अंतिम भेंट तब हुई थी जब वे 1986 में राज्य सभा का नामांकन भरने के लिए पटना आए थे। तब तक में पहले ही बिहार लौट चुका था और उद्योग विभाग का प्रधान सचिव था। मेरे पैतृक घर के लॉन में बाहर बैठे उन्होंने स्मृति के कोश पलटते हुए बताया कि कैसे वे बीते दिनों को, हमारे परिवार के साथ अपने सुदीर्घ संबंधों और मेरे माता-पिता की कमी को महसूस करते हैं जिनके साथ उनके परिवार के बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। अफ़सोस की यह मेरी अंतिम मुलाकात थी क्योंकि बिहार से राज्य सभा के सदस्य रहने के दौरान ही उनका निधन हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि 'झा जी भारत सरकार के इस्पाती ढाँचे का मूर्त रूप थे।' कुछ समय पहले इसमें यह भी कहा गया था कि 'वाशिंगटन और लंदन के सत्ता दलालों के साथ झा जी उतने ही सहज थे जितने नई दिल्ली वालों के साथ। अपनी औपचारिक सरकारी सेवा के समाप्त होने के बाद भी बड़ी राजनैतिक हस्तियां उनकी राय लेती थीं और किसी बड़े मुद्दे पर जब भी उनको बोलना जरूरी लगा, उनकी बात सुनी जाती थी।'

\* 22 नवंबर 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में दिया गया 17वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान। दृष्टिकोण और विचार लेखक के ही हैं।

राजकोषीय परिसंघवाद के इस विषय पर मैंने आज के व्यापक थीम का चुनाव किया है, इसलिए कि कुछ अंतिम सार्वजनिक पद जिन पर उन्होंने कार्य किए, उनमें से एक 1980 के दशक में आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता थी जिसमें हमारे अभिशासनिक नियमावली की पुनर्संरचना पर कई विचार थे, उस युग में जिसे वो वैश्वीकरण कहते थे।

आज के व्याख्यान में मैं केंद्र-राज्य संबंधों के बदलते परिदृश्य और भारत के जीवंत संघीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करना चाहता हूँ। परिसंघवाद अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ रखता है। संघीय रूमानियों का मानना है कि भारत का भविष्य वृहत्तर स्वयात्तता व राज्यों को अधिकार में है तथा राज्य व्यवस्था के विकास क्रम ने राज्यों को हमारी विकास प्रक्रिया में एक अधिक सार्थक योगदान देने से वंचित कर दिया है। वे ऐसी ही बात सरकार के तीसरे स्तर अर्थात् पंचायत व शहरी स्थानीय निकायों के बारे में कह सकते हैं। वैसे, दूसरे भी हैं जो विषय को एक अधिक वस्तुनिष्ठ भाव से देखते हुए राजकोषीय परिसंघवाद के ढाँचे का व्यापक परीक्षण करते हैं और मूल संरचना की कसौटी पर कसकर इसे देखते हैं। पर जैसा कि चार्ल्स कैनेडी ने कहा कि, 'विज्ञान में सफल होने से पहले हमें शब्दावली को जीतना है'। राजकोषीय परिसंघवाद के मामले में भी यह सच है।

वास्तव में, जर्मनी में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड मुसग्रेव ने 1959 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। बहुत बाद में राजकोषीय परिसंघवाद पर 1999 में लिख रहे वैलेस ई. ओक्स ने कहा कि 'यह इस बात के ज्ञान से संबंधित है कि किन कार्यों व उपकरणों को केंद्रीकृत करना श्रेष्ठ है और सरकार के विकेंद्रीकृत स्तरों के क्षेत्र में किनको रखना श्रेयस्कर है।' यह अवधारणा सरकार के सभी स्वरूपों पर लागू होती है : एकात्मक, परिसंघात्मक और महासंघात्मक।

## विकास

भारत में राजकोषीय परिसंघवाद के विकास पर कुछ चर्चा उपयोगी रहेगी। इसकी बहुत सारी विशेषताएं ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के इतिहास के साथ गुंफित हैं।

ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलीजाबेथ की ओर से सन् 1600 में निगमन का एक चार्टर दिया गया था जिससे कंपनी को भारत से व्यापार का अनन्य अधिकार मिला था।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर कई फैक्टरियों व व्यापार केंद्रों की स्थापना की। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रमुख उपनिवेश बने और प्रेसिडेंसी घोषित किए गए।

1773 के अधिनियम के तहत, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अन्य दो प्रेसिडेंसियों मद्रास व बॉम्बे पर पूर्ण अधिकार दिए गए जो पहली बार एक सरकार बनने जैसा था। तथापि 1833 के चार्टर अधिनियम में जाकर एक केंद्रीय राजकोषीय प्राधिकार बना जिसकी घटक प्रेसिडेंसियां थीं। इसके द्वारा भारत की वित्तीय व विधायी शक्तियां पूरी तरह बंगाल के गवर्नर जेनरल को दी गईं और उनको भारत का गवर्नर जेनरल कहा गया और इस प्रकार पूरा प्रशासन केंद्रीकृत किया गया।

1858 में राज (क्राउन) के सीधे नियंत्रण के साथ ही 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्तीय वर्ष और इंग्लिश बजट सिस्टम अपनाए गए।

भारतीय संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उद्गम नई प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत 1860-61 के पहले बजट में है।

प्रशासनिक विषयों को दो वर्गों - केंद्रीय और प्रादेशिक - में बाँटने वाली द्वैध शासन व्यवस्था - गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1919 में अधिनियमित मॉन्टेग - केम्सफर्ड सुधारों का परिणाम थी। अधिनियम के अंतर्गत प्रदेशों (प्रॉविंस) को प्रतिनिधित्व (डेलीगेशन) द्वारा अधिकार प्राप्त थे और किसी विषय पर पूरे देश के लिए विधान बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायी के पास था। राजस्व के स्रोत भी केंद्र व प्रॉविंसों में बाँटे हुए थे।

1927 में, 1919 के अधिनियम के कार्य की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन नियुक्त हुआ। कमीशन ने भारतीय रियासतों (इंडियन प्रिंसली स्टेट्स) और प्रदेशों के गठन का पक्ष लिया जो ब्रिटिश सरकार के प्रशासकीय मंडल थे।

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट, 1935 ने एक संघीय व्यवस्था स्थापित की जिसमें भारतीय राज्य व प्रदेश दो अलग-अलग इकाइयां थीं। इस अधिनियम (ऐक्ट) के अंतर्गत विधायी शक्तियां तीन सूचियों में बँटी हुई थीं – संघीय सूची (फेडरल लिस्ट), प्रादेशिक सूची (प्राविसियल लिस्ट) और समवर्ती सूची। अधिनियम ने प्रादेशिक सरकार एवं संघीय सरकार के राजस्व व वित्त को अलग-अलग रखा। अधिनियम में संघ सरकार द्वारा उगाही (लेवी) एकत्र करने और रखने का प्रावधान था तथा वित्तीय संसाधनों के वितरण और प्रॉविसों को सहायता अनुदान का विस्तृत ब्यौरा बताया गया था।

अधिनियम के अनुसार, महामहिम द्वारा परिषद (काउंसिल) में निर्धारित राशियां संघ के राजस्व पर लगाई जानी थीं। गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट, 1935 ने भारत में राजकोषीय परिसंघवाद का मूलभूत ढाँचा दिया जो आज भी जीवित है।

संविधान सभा 1946 में गठित हुई जिसने सरकार का एकात्मक स्वरूप अपनाया। वैसे, परिसंघीय स्वरूप कालक्रम में देश में विकसित हुआ। सरकार के परिसंघीय स्वरूप व परिसंघीय वित्त के अंतिम आकार को गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट (भारत सरकार अधिनियम), 1935 में निगमित किया गया। इसमें संसदीय प्रणाली की भी कुछ विशेषताएं थीं। तथापि प्रस्तावित परिसंघ सरकार व रियासतों (प्रिंसली स्टेट्स) के सापेक्ष ब्रिटिश इंडिया के प्रदेशों (प्रॉविसंज़) के बीच संबंधों का स्वरूप स्वतंत्रता के बाद ही तय किया गया, लेकिन संविधान अपनाए जाने के पहले।

### स्वतंत्रता के बाद

स्वतंत्रता के समय, भारत के पास नौ प्रॉविस और 500 से अधिक रियासत/(रजवाड़े/प्रिंसली स्टेट्स) थे। क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत और आबादी का 30 प्रतिशत इन रियासतों से था तथा इनके आकार, चरित्र, प्रणालियों और ब्रिटिश इंडिया के साथ उनके संबंधों के स्वरूपों में बड़ी विविधता थी। स्वतंत्रता

के बाद, भारत से उनका एकीकरण हुआ और 26 जनवरी 1950 को राज्यों का संघ अस्तित्व में आया।

इस प्रकार भारत में राजकोषीय परिसंघवाद के विकास का उदगम सुदीर्घ रहा है। मूलतः यह 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट जितना पुराना है। 1919 के अधिनियम में जहाँ केंद्र व प्रदेशों के बीच राजस्व मदों के बँटवारे का प्रावधान है, 1935 वाले अधिनियम ने केंद्र के राजस्व की शेयरिंग और प्रदेशों (प्रॉविस) के लिए सहायता अनुदान के प्रावधान की अनुमति दी।

हमारे संविधान की धारा 1 इंडिया अर्थात् भारत को 'राज्यों का संघ (यूनियन)' न कि 'राज्यों का परिसंघ (फेडरेशन)' कहती है।

संविधान सभा में देश के नाम के बारे में सहमति नहीं थी। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम (भारत) सुझाया जबकि दूसरों ने आधुनिक नाम (इंडिया) की वकालत की। अतः संविधान सभा को दोनों का मिश्रण अपनाना पड़ा ('इंडिया' डैट इज़ 'भारत')।

दूसरे, देश को 'संघ' ('यूनियन') कहा जाता है, जबकि इसकी सरकार परिसंघीय है। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप रखते हुए बीआर अंबेडकर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भारत क्यों एक 'संघ' है और 'राज्यों का एक महासंघ' नहीं :

*प्रारूप समिति यह स्पष्ट करना चाहती थी कि यद्यपि भारत को एक परिसंघ होना था, पर परिसंघ राज्यों द्वारा एक परिसंघ (फेडरेशन) में मिलने के किसी समझौते का परिणाम नहीं था और चूँकि परिसंघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी राज्य को इससे अलग निकलने का अधिकार नहीं है। परिसंघ एक संघ है क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता।'*

राजनीति शास्त्री अल्फ्रेड स्टेपान ने भारत को 'साथ आने वाला' के विपरीत 'साथ बंधने वाला' परिसंघ कहा है। अटूट राज्यों से बने अटूट संघ के रूप में वर्णित यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के परिसंघीय स्वरूप के विपरीत भारत टूट सकने वाले राज्यों का अटूट संघ है।

भारतीय परिसंघ की इकाइयां 1947 से कई बार रूपांतरित हुई हैं। क्योंकि संविधान की धारा 3 संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार देती है। ऐसे प्रावधान को जहाँ संघ को बहुत ज्यादा अधिकार देने वाले के रूप में देखा जा सकता है, इतना तो मानना पड़ेगा कि भारत को साथ बाँधने वाला यह केंद्रीय तत्व है क्योंकि यह परिसंघ को विकसित होने और उप-राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रतिसाद की अनुमति देता है।

प्रारंभ में 1950 में, संविधान ने जहाँ भारतीय संघ के राज्यों को चार वर्गों - ए, बी सी, डी में रखा। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम/स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट (1956) द्वारा भाग -ए और भाग -बी के राज्यों में भेद समाप्त कर दिया गया जबकि भाग - सी और भाग -डी के राज्यों को हटा दिया गया। जम्मू और कश्मीर को संघ/केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने के बाद हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं; संघ-शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नया नाम 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर और लद्दाख का जुड़ा।

व्यापक रूप में राजकोषीय परिसंघवाद के विकास की प्रक्रिया व पद्धतियों में उल्लेखनीय स्थिरता रही है। केंद्र व परिसंघ सरकारों की वार्षिक बजटीय प्रक्रियाएं स्वतंत्र कार्य हैं और इनको संसद या राज्य विधानमंडल से होकर गुजरना है। संविधान की धारा 280 के अंतर्गत 1951 में पहली बार गठित वित्त आयोग की परंपरा अविच्छिन्न रही है। संविधान की धारा 280 में निहित कार्यों को यह संपन्न करता है।

धारा 280 कहती है:

- (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
- (2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श दे

(ए) संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगम, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में;

(बी) भारत की संचित निधि से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(सी) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में।

- (3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

स्वतंत्रता के उपरांत अधिकांशतः योजना आयोग एकाधिक ढंग से केंद्रकारी निर्भरता लेकर आया। राज्यों के संघ से संसाधनों के अंतरण के लिए योजना आयोग एक समानांतर संस्थान बन गया। वित्त आयोग का फोकस जहाँ राजस्व खाते पर बना रहा, योजना आयोग का मुख्य सरोकार पूँजी खाता था। एक के एक बाद वित्त आयोगों ने इसे संसाधनों के न्यागमन की संविधान की भावना से असंगत माना। कुछ अन्य घटनाक्रम भी हुए जैसे 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन जिससे पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को विशेष दर्जा मिला और ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूचियों के तहत उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गए।

केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय इकाई के रूप में दो प्रमुख संस्थाएं बनीं रहीं, योजना आयोग का काम देखने, उनकी पंच वर्षीय योजनाओं और उनके मध्यावधि मूल्यांकन के लिए 1952 में गठित राष्ट्रीय विकास परिषद और सरकारिया आयोग रिपोर्ट के परामर्शों के आधार पर 1990 में संवैधानिक संशोधन द्वारा

अंतर राज्य परिषद का गठन। स्वयं को जो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वह यह है कि क्या केंद्र-राज्य संबंध और उनके समीकरण बदलते समय की माँग के अनुसार चले हैं? आर्थिक नीतियों और सरकारी नियमों को लें तो भारत में हुए बदलाव एकदम से यकायक नजर नहीं आते।

### भविष्य में मुझे कुछ प्रमुख चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं

प्रथम और सर्वोपरि VIIवीं अनुसूची का भविष्य। इस पर मुझे थोड़ा रुकने की जरूरत है। संविधान की VIIवीं अनुसूची अभिशासन के कार्यों को मोटे तौर पर तीन इकाइयों में बाँटती है। यह अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी व वित्तीय अधिकारों को बाँटती है। सूची I संघ के विषयों से संबंधित है जबकि सूची II राज्यों के विषय से और समवर्ती सूची के नाम से जानी जाने वाली सूची III संघ व राज्यों दोनों से संबंधित है जिसमें विरोधी विधान के मामले में संघ द्वारा पारित कानून लागू होगा।

समय के साथ, समवर्ती सूची का दायरा बढ़ा है। इसका कारण संविधान का 42वां संशोधन (1975) मात्र ही नहीं जिसने जंगल व शिक्षा के विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा।

यद्यपि यह पूर्णतः संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से किया गया एक औपचारिक कार्य था अन्य तरीके भी रहे हैं जिसमें मूल रूपरेखा को काटा-छाँटा और प्रायः रूपांतरित करने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए पात्रता आधारित अलग विधानों का मामला लिया जाए। कुछ समय पहले हमने पात्रता आधारित अलग विधान के युग में प्रवेश किया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इसके आदर्श उदाहरण हैं। ये स्वतंत्र विधान संविधान की VIIवीं अनुसूची के साथ कैसे फिट होते हैं? क्या वे निर्धारित सीमाएं लाँघते हैं? और ऐसा कैसे कि किसी

भी राज्य ने किसी भी स्टेज पर इन उल्लंघनों का विरोध नहीं किया? यह वह क्षेत्र था जहाँ राजकोषीय रूमानियों को दरखल देना चाहिए था क्योंकि रोजगार, शिक्षा और खाद्य को तो पूर्णतः राज्यों के दायरों में होना था। राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा कभी भी गंभीर विश्लेषणात्मक आलोचना में आया हो, ऐसा मुझे तो याद नहीं।

दूसरे, VIIवीं अनुसूची के शब्द व भाव के साथ संविधान की धारा 282 की विसंगति का मुद्दा। धारा 282 का कहना है, 'संघ या राज्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान दे सकता है, बावजूद इसके कि उद्देश्य वह नहीं जिसके बारे में संसद या विधान मंडल, जैसा मामला हो, कानून बना सकता है।'

मूलतः संविधान में इसे एक सर्वव्यापी के बजाय असाधारण प्रावधान के रूप में देखा गया था जिसका प्रयोग सावधानी से किया जाए और यदि 2सरे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री के संधानम को उद्धृत करूँ, तो धारा 282 पर उन्होंने कहा था – 'मूलतः इसका उद्देश्य संघ व राज्यों के बीच पुनर्व्यवस्थापन के एक बड़े प्रावधान के रूप में नहीं था, यदि वैसा विचार होता, तो हिस्सों, कार्यभार और अनुदानों के संबंधों का ऐसा जटिल समूह विकसित करने का कोई मतलब नहीं था। राज्यों को सहायता करने हेतु केंद्र को सक्षम बनाने की दो धाराएं रखने का कोई मतलब नहीं – एक वित्त आयोग के माध्यम से और दूसरा अधिक कार्यपालक विवेक द्वारा। दूसरे में संसदीय विधान की भी आवश्यकता नहीं। यह जरूर है कि इसे बजट में शामिल करना होगा। लेकिन, बजट में एक मद होने से अधिक किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। अतः मेरे विचार से यह धारा एक अवशिष्ट, एक रिजर्व धारा थी ताकि केंद्र अप्रत्याशित आकरिमकताओं से निपट सके। इस धारा का उपयोग ब्रिटिश सरकार और ट्रांसफ़र ऑफ़ पावर के बाद, पहली पंचवर्षीय के प्रथम वर्ष के पहले किया गया। इस धारा के तहत, केवल कुछ अधिक-खाद्य-उगाओ और पुनर्वास अनुदान दिए गए।'

संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने 9वें वित्त आयोग को अपने ये विचार दिए - 'धारा 282 संघ को यह अधिकार देने के लिए नहीं बनी कि वे ग्रांट दिए जा सकें जो समुचित रूप से धारा 275 के अंतर्गत आते हैं। धारा 282 केवल एक अवशिष्ट अधिकार को मूर्त रूप देती है जिससे संघ या राज्य किसी भी उद्देश्य के लिए ग्रांट दे सकें, बिना इस सवाल के कि ग्रांट देने वाले को उस उद्देश्य पर विधायी अधिकार है या नहीं।'

केंद्रीय तौर पर स्पॉन्सर की गई सभी स्कीमों की वैधता जिसमें से अधिकांश राज्यों के दायरे में हैं, आर्टिकल (धारा) 282 के उपयोग या इसका सहारा लेकर दुरुपयोग से जन्मती है। वस्तुतः योजना आयोग का उद्देश्य ही कई मायनों में स्कीमों के जंगल न कहें तो भी झुंड में धारा 282 के अततिशय प्रयोग से पैदा हुआ। यहाँ पुनः, इन योजनाओं (स्कीमों) को युक्तिसंगत करने की बारंबार कोशिश, जो आखिरी बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली समिति के अंतर्गत हुई थी, के बावजूद इनकी संख्या व विविधता बड़ी जबरदस्त रही। 15वें वित्त आयोग के आंतरिक कार्य के आधार पर, 29 छत्र मूल (कोर) व मूल की मूल (कोर ऑफ़ द कोर) योजनाओं के अंतर्गत लगभग 211 योजनाएं/उप-योजनाएं हैं। इनमें से कई तथाकथित छत्र योजनाओं के तहत मुखौटा लगाए बैठी हैं। सर्वाधिक चौंकाने वाली बात यह कि केंद्रीय रूप से स्पॉन्सर्ड इन योजनाओं पर 2019-20 बीई में केंद्र सरकार का परिव्यय लगभग 3.32 लाख करोड़ है। यह देखते हुए कि राज्य प्रायः यह विरोध करते हैं कि इन योजनाओं का प्रारूप ठीक नहीं व उनके विशिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं तथा इनमें उनका वित्तीय परिव्यय काफ़ी बड़ा है, किसी राज्य ने उनको छोड़ने का वास्तव में कोई निर्णय नहीं लिया है। सूर्यास्त की ओर बढ़ रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं से दूर, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से इनकी पहुँच व विविधता को बढ़ाना अभिप्रेत है।

### उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में आगे की राह क्या है

सर्वप्रथम, हमें यह मानना होगा कि विकास क्रम में भारतीय राज्यतंत्र का स्वरूप बहुत बदल गया है। जन संविधान की

रूपरेखा खींची गई, तकनीक व देशांतरण द्वारा राज्यों में बनी सहनिर्भरता ने उतनी गति नहीं पकड़ी थी। लेकिन वैश्वीकरण-पूर्व युग में राज्यों की स्वायत्तता उस युग से बहुत अलग थी जहाँ देशांतरण व तकनीक दोनों ने राज्यों की सीमाएं उल्लेखनीय रूप से खत्म कर दी हैं। वैश्विक मूल्य वर्धित श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भारतीय मूल्य वर्धित श्रृंखला भी है। अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले, एक राज्य में शुरू किए गए उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाओं में कई राज्य शामिल हो सकते हैं। दरअसल, स्पर्धात्मक परिसंघवाद का दर्शन, राज्यों की रैंकिंग पर नीति आयोग की पहल इस तरीके से पनपी है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और स्वच्छ भारत, नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन द्वारा स्वच्छ जल जैसे उल्लेखनीय कदम केंद्र व राज्यों के बीच दायित्वों के बदलते स्वरूप का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मुद्दे राज्यों की सीमाओं के परे हैं क्योंकि वे समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले विकास गुणांक के मूलभूत सिद्धांतों पर स्वास्थ्य, आवास व रोजगार जैसी अपरिहार्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं कार्य करते हैं। ये बात प्रशासकीय हदों व कमियों को लांघ जाती हैं।

इसे संविधान के भाग XII में हुए बदलावों के साथ देखें जिसकी परिणती भारत को एक साझा बाजार व इकाई बनाने वाली जीएसटी को अपनाए जाने के रूप में हुई। एक प्रकार से जीएसटी परिषद जो एक संवैधानिक निकाय भी है जो जीएसटी दरों पर अपने फिटमेंट समितियों के जरिये निर्णय लेती है क्योंकि संसद व राज्य विधान मंडल दोनों ने अपनी वित्तीय शक्तियां इस अधिकार प्राप्त समिति को सौंपी हैं। जिन राज्यों में हम गए हैं, वित्त आयोग का हिस्सा होने के कारण, राज्यों ने प्रायः शिकायत की है कि जीएसटी के कारण उनकी राजकोषीय स्वायत्तता में कटौती हुई है और राजस्व में कुछ करने का अवकाश काफ़ी हद घट गया है। मामला सर्व साधारण की भलाई के लिए एकत्रित संप्रभुता का है। तथापि जीएसटी परिषद अभी भी शैशवावस्था में है तथा इसे अपनी रूपरेखा व निर्णय के मामले में

अधिक आधारभूत स्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि यह अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम हो।

### तो राजकोषीय परिसंघवाद को सुदृढ़ करने के मेरे पाँच सुझाव इस प्रकार हैं

प्रथम व सर्वोपरि, अभिशासन का आधारभूत स्वरूप बदल गया है। उदाहरण के लिए, क्या किसी राज्य के दौरे पर किसी प्रधानमंत्री का यह समझाना उचित है कि जल आपूर्ति, बेहतर बिजली आपूर्ति या उन्नत कृषि के लिए वे कोई सहयोग नहीं दे सकते क्योंकि ये विषय VIIवीं अनुसूची के हैं जो राज्य के दायरे में आते हैं? यह व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह आवश्यक है कि संविधान लोगों की इन बदलती उम्मीदों के अनुसार ढले और कार्य करे

चुनावी आधार पर चलने वाले राजनैतिक नेतृत्व में लोगों का राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर भरोसा होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, राज्य-व्यवस्था, तकनीक, बढ़ती आकांक्षाओं वाला समाज, जनसांख्यिकीय स्वरूप और तकनीक की ताकत ने संविधान की रूपरेखा को नाटकीय रूप से बदला है।

व्यवहार व सिद्धांत दोनों में, बहुत से विश्वास व सिद्धांत जिसके देखते हुए हमारे पूर्वजों ने जिस संविधान को वर्तमान आकार दिया है, उस पर कुछ मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। मेरे कहने के बहुत पहले औपचारिक रूप से केंद्र-राज्य संबंध अन्वेषण समिति के रूप में जानी जाने वाली राजामन्नार समिति द्वारा 1971 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट कहती है 'यह वांछनीय है कि बड़े वकीलों व न्यायविदों और प्रशासकीय अनुभव वाले वरिष्ठ राजनेताओं को लेकर एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग बने जो संविधान की VIIवीं अनुसूची में दर्ज सूची I व सूची III की प्रविष्टियों की परीक्षा करे और इनके पुर्वितरण का सुझाव दे।'

निचोड़ यह कि समकालीन संदर्भ में VIIवीं अनुसूची पर पुनर्विचार हो। जब तक हम अनुसूची की रूपरेखा फिर से

नहीं खींचते, संविधान की VIIवीं अनुसूची व धारा 282 और इन विषयों के स्वतंत्र विधान प्राथमिक रूप से अव्यवस्थित व अस्पष्ट बने रहेंगे।

दूसरे, जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के कार्य में तालमेल पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है। वित्त आयोग संघ व राज्यों के बीच और उसके पश्चात और आगे तीसरे स्तर पर राज्यों में राजस्व वितरण का सुझाव देते हैं। वे व्यय और राजस्व के अनुमान देखते हैं, लेकिन जीएसटी दरों में छूट, बदलाव और अप्रत्यक्ष करों का कार्यान्वयन पूरी तरह जीएसटी काउंसिल के अधीन हैं। इसके चलते राजस्व परिणामों को मॉनिटर करने, जाँचने और उस हेतु सही कदम उठाने के तरीकों से जुड़े प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। चूँकि वित्त आयोग और जीएसटी परिषद दोनों संवैधानिक निकाय हैं, दोनों के बीच समन्वय एक अपरिहार्यता है। पहले पाँच वर्षों के लिए माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम) 2017 द्वारा 14 प्रतिशत गारंटीड क्षतिपूर्ति राज्यों को दी जाती है।

यह व्यवस्था 2022 में समाप्त हो जाएगी। लेकिन कई राज्य उसके बाद इसका विस्तार चाहते हैं। जहाँ तक वित्त आयोग का संबंध है, इसके भावी मार्ग का उन सुझावों पर असर है जो यह राज्यों के संभावित राजस्वों, टिकाऊ विकास दरों एवं धारा 275 के अंतर्गत राजस्व घाटे पर दे सकता है।

तीसरा, पहले वाले से इसकी कड़ी, केंद्र प्रयोजित योजनाओं और केंद्रीय परिव्यय के औचित्यीकरण के लिए हमें उससे कहीं अधिक विश्वसनीय नीति चाहिए जितनी अब तक संभव हुई है। अतीत में कई समितियों ने ऐसा करने की कोशिश की है लेकिन परिणाम हाथ नहीं आए हैं। यह और भी अधिक प्रासंगिक है क्योंकि नीति आयोग की भूमिका, जो प्राथमिक तौर पर वित्तीय निकाय नहीं बल्कि एक थिंक टैंक संस्था है, की भूमिका वित्तीय क्षेत्र में स्पष्ट है। अभी ऐसी कोई केंद्रीय इकाई नहीं जो समग्र तौर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को देखे तथा यह कि केंद्रीय क्षेत्र परिव्यय के साथ कितने व किस रूप में समामेलित किए जा सकते हैं। हमें विषय के विशेषज्ञों का एक

अधिकार प्राप्त समूह बनाने की दरकार है जो इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अधिक व्यापक व गहरे औचित्यकरण की रूपरेखा पर वित्त मंत्री व प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपे।

चौथे, योजना आयोग के हटने के बाद, बहुत से अर्थशास्त्री व नीति निर्माताओं ने संस्थागत शून्य की बात की है। एनडीसी जहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, राज्यों ने केंद्र के साथ नीतिगत संवाद की एक कड़ी का काम करने वाले एक विश्वसनीय संस्था की वकालत की है। विश्व के कई देशों में राज्यों ने अपने हितों का संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व की पहल की है जैसे ऑस्ट्रेलिया में 2005 में कैनबरा में राज्यों द्वारा बनाया गया ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन का परिषद। हमारे पास एक संस्थागत इकाई है और अंतर-राज्य परिषद को जगाने और उसमें जीवन भरने पर गंभीर विचार की आवश्यकता है।

विसंगति का पाँचवा क्षेत्र राजकोष से संबंधित है। इस वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक संघ व राज्यों के वर्तमान ऋण-स्तर की समीक्षा करना और अच्छे राजकोषीय प्रबंध के लिए एक राजकोषीय समेकन मार्ग सुझाना है।

संशोधित एफआरबीएम ऐक्ट के अनुसार, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी कि:

- ए. सामान्य सरकारी ऋण 60 प्रतिशत से अधिक न हो;
- बी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार ऋण जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।
- सी. 2018-19 संशोधित आकलन (आरई) के लिए केंद्र सरकार ऋण जीडीपी के 48.4 प्रतिशत पर आँका गया है। उम्मीद है कि 2019-20 बजट आकलन (बीई) में केंद्र सरकार देयताएं घटकर जीडीपी के 48 प्रतिशत पर आ जाएंगी।
- डी. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं 2017 में सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के 25.1 प्रतिशत पर हैं जिसमें पंजाब 42.8 प्रतिशत और छत्तीसगढ़

17 प्रतिशत का रेंज दिखाता है (राज्य बजटों पर आरबीआई के अद्यतन अध्ययन के अनुसार)।

दूसरा, केंद्र व राज्यों दोनों के राजकोषीय व ऋण मार्ग का तालमेल एक दुष्कर किंतु अपरिहार्य कार्य है। वर्तमान अवरोधों व परंपरा के मुद्दों को समझने वाले राज्यों के एक पृथक ऋण मार्ग को बड़ी समझदारी व संवेदनशीलता से संभालना होगा।

इन घटनाक्रमों ने आयोग के समक्ष आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2020 से 2025 के लिए एक कार्ययोजना बनाने का एक महत्वपूर्ण व चुनौतीपूर्ण कार्य प्रस्तुत किया है।

जन वित्त प्रबंधन (पीएफएम) प्रणाली में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। पिछले वित्त आयोगों ने बजटीय व लेखांकन प्रक्रियाओं, वित्तीय रिपोर्टिंग आदि पर बल देते हुए संघ व राज्यों दोनों की पीएफएम प्रणाली के विभिन्न पक्षों पर सुझाव दिए हैं।

### उपसंहार

मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे कुछ सुझावों पर यदि नए प्रयास किए जाएं तो इससे राजकोषीय संघवाद को नई जीवंतता मिल सकती है। सिद्धांत को लेकर कोई संदेह नहीं, अपितु व्यवहार उत्तरोत्तर धुंधला होता गया है और व्यवहार पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। आज का भारत, इसके अभिशासन का मिश्रण, इसकी आर्थिक खोज उस भारत से काफी अलग है जिसने 1950 में अपना संविधान गढ़ा।

क्या हम एक ऐसे वास्तविक राजकोषीय साझेदारी की रूपरेखा व संरचना पर पुनर्विचार कर सकते हैं जो महज अधिक संसाधन जुटाने की एक दौड़ नहीं होगी, बल्कि एक जीवंत भारतीय मूल्य वर्धित श्रृंखला की ओर एक रचनात्मक प्रयास होगा जो हमारी वृद्धि-दर को उछालकर दुहरे अंक वाली वृद्धि की तलाश के करीब ला खड़ा करेगी। आर्थिक मंदी के दौर को किस्से की तरह देखें क्योंकि उनका स्वरूप अल्पकालिक है और हमारी संभावनाओं पर हमारे विज्ञान व हमारे ऐतिहासिक मजबूरियों पर अधिक समान रूप से कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते। मेरा मानना

है कि जब हम अपने सिद्धांतों को सामयिक संदर्भ में ढालेंगे तभी जाकर व्यवहार भी अधिक पारदर्शी व सार्थक होगा।

सिद्धांत व व्यवहार में बेहतर तालमेल व समरूपता की दिशा में हम बढ़ें तो यह एल के झा के उदार विचारों के प्रति उपकार होगा। राज्यों में अथवा राज्यों व केंद्र के बीच अपने को दूसरों से बड़ा दिखाने वाली बेइमान दुनिया में रहने से भारत की विकास संभावनाओं को साकार करने की अपनी क्षमता से हम भटकेंगे ही।

*इस टिप्पणी के संदर्भ में कि जितनी देर में शोधक्षम रह सकता हूँ, उससे अधिक समय तक बाजार अटपटे रह सकते हैं, कहा जाता है कि जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा है कि जब तथ्य व परिस्थितियां बदलती हैं, मैं अपना निर्णय बदल लेता हूँ – आप क्या करते हैं?*

*राजकोषीय संघवाद पर तथ्य व परिस्थितियां बदल गई हैं। समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें।*

धन्यवाद



## वित्तीय समावेशन के अगले दौर में सूक्ष्म वित्त\*

एम.के.जैन

श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), डॉ. चरण सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशक, आर्थिक विकास और कल्याण फाउंडेशन, श्री गेविन मैकगिलिब्रे प्रमुख, डीएफआईडी इंडिया, अन्य गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागीगण, देवियों और सज्जनों। गुडमॉर्निंग! मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वरिष्ठ बैंकर, क्षेत्र विशेषज्ञ, शिक्षाविद और व्यवसायीगण इस राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त सम्मेलन में भारत में सूक्ष्म वित्त के दृष्टिपथ पर विचार-विमर्श करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए हैं और एक विकसित नियामक, राजनीतिक और अर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में उसे प्राप्त करना है। यह वास्तव में गर्व की बात है कि आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ।

यह सम्मेलन समयोचित और सामयिक है, क्योंकि वित्तीय समावेशन में लगभग डेढ़ दशक के प्रयासों के बाद, जहां बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारी जनसंख्या के बड़े हिस्से को वित्तीय समावेशन के अगले चरण में वित्तीय सेवाओं के योग्य उपभोक्ताओं के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इससे संबंधित क्षेत्रों में हो रहे प्रौद्योगिकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया में मुझे सूक्ष्म वित्त उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है, जिसमें वित्तीय सेवाओं का तर्कसंगत रूप से उपभोग करने के लिए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को पहचानना, उसे सक्षम बनाना और उसकी सहायता करना ताकि उसे गरीबी से बाहर निकाल सकें तथा देश का एक कार्यक्षम नागरिक बना सकें।

भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूक्ष्म वित्त प्रदान

\* 26 नवंबर 2019 को सिडबी राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त सम्मेलन 2019 में श्री एम.के.जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

करने वाले संस्थानों की संख्या के साथ-साथ इस अवधि के दौरान वित्तीय सेवाओं से वंचित ग्राहकों को दीए गए क्रेडिट की मात्रा भी काफी बढ़ गई है। इसलिए इस मोड़ पर, आगे बढ़ने के तरीके की चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस सम्मेलन में हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तनों के कारण उभरती चिंताओं / मुद्दों; कार्यनीतिक उत्प्रेरक, रुझानों और उद्योगों की वृद्धि के लिए संभावित समाधान, अभिनव, भविष्यवादी और उच्च प्रभाव वाले व्यापार मॉडल को पूरे क्षेत्र में अपनाया जाना तथा उद्योग में नीतिगत हस्तक्षेप और तकनीकी परिवर्तन के अवसर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

### अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त की भूमिका

सूक्ष्म वित्त, निम्न आय समूहों के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने, वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और गरीबों को गरीबी से बाहर निकलने के लिए सहायता हेतु तैयार किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है। यह तर्क दिया जाता है कि सूक्ष्म वित्त, राष्ट्रीय नीतियों के गरीबी कम करना, महिलाओं का सशक्तीकरण, कमजोर समूहों की सहायता और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता कर सकता है।

पिछले दो दशकों में वित्तीय समावेशन की यात्रा गहन प्रयासों और वृद्धिशील प्रयोगों की रही है। हालांकि, बहुत बड़ा परिवर्तन तब आया जब 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) शुरू की गई, जिसने लगभग हर घर में वयस्क लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराए। मोबाइल फोन की पहुंच और ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ये खाते उन लोगों के पास हैं जिन्हें वित्तीय सेवाओं में शामिल किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के लाभप्रद क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने की अपनी नीति जारी रखते हुए और देश में सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकरहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाएं बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

दो दशक पहले तक, आपूर्ति क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी बाधा थी क्योंकि इसने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार

को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें 600 हजार से अधिक गाँव शामिल थे। कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) ढांचे को संस्थागत रूप देना बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिज़र्व बैंक ने भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक बैंकिंग संरचना के संयोजन की वकालत की। इन सभी उपायों के साथ, गांवों में बैंकिंग आउटलेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

नई बैंकिंग संस्थाओं (यानी दो नए सर्वव्यापी बैंकों और दस छोटे वित्त बैंकों) ने भी देश में वित्तीय समावेशन हेतु सहायता की है। वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणालियों के बीच मजबूत संबंध को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने भी कई कदम उठाए हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करना, प्री-पेड इंस्ट्रुमेंट्स जैसे डिजिटल और मोबाइल वॉलेट्स आदि शामिल हैं। एक दशक से अधिक समय से, बैंकों ने वित्तीय समावेशन उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयोजन से गति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है।

वित्तीय समावेशन बैंकों, एनबीएफसी, वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। लघु वित्त बैंकों को मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिक, कम आय वाले घरों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं में शामिल ग्राहकों को आधार बनाकर वित्तीय समावेशन के लिए स्थापित किया गया है। आज, जब वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म वित्त की बात आती है, तो सर्वव्यापी बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, बीसी आदि जैसे कई चैनल सामने आते हैं। इसलिए, एक देश के रूप में जो सस्ती लागत पर सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है, यह एक निर्णायक क्षण है, और हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए।

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुकूल वातावरण बनाने और बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अभिनव उपाय किए गए हैं। स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुकूल वातावरण के निर्माण और बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अभिनव उपाय किए गए हैं जिससे सेवारहित और कम सेवा प्राप्त लोगों की सेवा की जा सके। सह-उत्पत्ति मॉडल, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्त बैंकों को छोड़कर) प्राथमिकता-प्राप्त

क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - जमाराशि स्वीकार न करने वाली- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के साथ सह-उत्पत्ति मॉडल की शुरुआत की गई है। यह अपेक्षा की जाती है कि इससे सूक्ष्म उद्यमों, लघु और सीमांत किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), आदि को उधार दिया जा सकता है।

जरूरतमंद उधारकर्ता समूहों को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को ऋण देने के लिए दिया गया बैंक ऋण संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा।

रोजगार सृजन, नई पद्धति, निर्यात और समावेशी विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधानों के लिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू. के. सिन्हा) का गठन किया था। समिति द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए विधायी और संस्थागत ढांचे, वित्त की पहुंच, क्षमता निर्माण और नए तकनीकी हस्तक्षेप जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सिफारिशों की गई हैं। कार्यान्वयन के लिए इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

वर्ष 2006 के बाद, रिज़र्व बैंक ने मांग और आपूर्ति दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन के मुद्दों समाधान के लिए एक योजनाबद्ध और संरचित दृष्टिकोण अपनाया है। आपूर्ति क्षेत्र के बाद, अब मैं वित्तीय समावेशन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण लेकिन कम ध्यान दिए गए मांग क्षेत्र के पहलुओं पर चर्चा करूंगा। वित्तीय सेवाओं की बढ़ती औपचारिकता के साथ, हमें अब मांग क्षेत्र पर अपने प्रयासों को तेज करना होगा, जो क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है ताकि निम्न आय वर्ग के व्यक्ति केवल प्रस्तावित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों / अपनी पसंद के अनुकूल पसंदीदा उत्पादों की मांग करने में भी सक्षम हों।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) इसका स्पष्ट उदाहरण है। जबकि इस तरह के बड़े पैमाने पर कई लाभार्थियों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा लेकिन इन उधारकर्ताओं के बीच गैर-निष्पादित आस्तियों के बढ़ते स्तर पर कुछ चिंताएं हैं। बैंकों को मूल्यांकन चरण में पुनर्भुगतान क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने और उनके जीवन चक्र के माध्यम से ऋणों की अधिक बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

हमारी अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की भूमिका और इसका महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। स-धन द्वारा तैयार भारत सूक्ष्म वित्त रिपोर्ट 2019 के अनुसार एमएफआई भारत में 29 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों और 570 जिलों में काम करते हैं। एमएफआई अपने केंद्रीकरण जोखिम को कम करने के लिए नए क्षेत्रों में भी इसका विस्तार कर रहे हैं।

बिना क्रेडिट स्कोर वाले, उद्यमशीलता और उपभोग ऋण, हैंडहोल्डिंग, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक अवसर पर लिए जाने वाले ऋण और बीमा (जीवन और गैर जीवन), लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए तैयार उत्पादों की सूची सभी पैमाने और आकार में उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीमित स्तर पर सशक्त प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी तक पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाए हैं।

रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन को, सामान्य रूप से समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों और विशेष रूप से निम्न आय समूह वाले कमजोर वर्गों तक, विनियमित, मुख्यधारा के संस्थागत भागीदारियों द्वारा उचित और पारदर्शी तरीके से सस्ती कीमत पर आवश्यक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) 2019-24 हमने तैयार की है। यह सभी नागरिकों को समावेशी और आघात सहनीय बहु हितधारी वृद्धि का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने के लिए दृष्टिपथ प्रदान करता है।

### सूक्ष्म वित्त की क्षमता

हमारे देश में विशाल और बढ़ती श्रमजीवी आबादी के साथ एक बड़ा जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। संस्थागत ऋण समर्थन से मध्यम वर्ग विकसित होने की बड़ी संभावना है।

इसलिए, सूक्ष्म वित्त उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लक्ष्यों को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

कम आय समूहों को आपातकालीन ऋण, उपभोग ऋण, व्यवसाय ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, आवास आदि ऋण की जरूरत होती है जो इसमें शामिल हैं। इस ऋण के अलावा, गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाओं के संयोजन से लाभ होगा, जिसमें बचत, प्रेषण, ऋण, सूक्ष्म बीमा, माइक्रो-पेंशन, और इसी तरह के लाभ शामिल हैं।

आज की दुनिया में, प्रौद्योगिकी वित्त के भविष्य के रूप में आकार ले रही है। सभी प्रमुख सहभागी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं ताकि अंतिम उपयोगकर्ता को एक प्रभावी अनुभव प्रदान किया जा सके। भारतीय संदर्भ में, इसके लिए सबसे प्रमुख कार्य फिनटेक का उपयोग करके वित्तीय प्लेटफार्मों की पहुंच में सुधार करना है। इसके लिए जरूरी यह है कि वित्तीय सेवाओं से वंचित आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक वित्तीय उत्पादों को डिजाइन करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए।

सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन का लक्ष्य मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं और एमएफआई, फिनटेक आदि जैसे अन्य सहभागियों के बीच तालमेल बैठाने के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वे इसे पूरा करने में एक पूरक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए, बैंकों और एनबीएफसी को अपने बीच और फिनटेक फर्मों के साथ व्यापार सहयोग स्थापित करने की संभावना तलाशने की जरूरत है, क्योंकि नई पद्धति के माध्यम से वित्तीय समावेशन की कार्ययोजना को तेज करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उभरती हुई प्रौद्योगिकी को तेजी से अपने व्यवसायों में शामिल करने के अलावा, सूक्ष्म वित्त में शामिल संस्थाएं फिनटेक और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करने पर भी विचार कर सकती हैं, जो उन्हें अपना ग्राहक बना सकते हैं, लेनदेन डेटा की सहायता कर सकते हैं, उत्पादों को बेचने और नए ग्राहकों को उत्पाद पेश कर सकते हैं और सेवाओं तथा संचालन को कारगर बनाने में सहायता कर सकती हैं। उनके पास अपने ग्राहकों को, जो अधिक जानकार और जागरूक नहीं हैं और इसलिए इसके आभाव में धोखाधड़ी में आसानी से पड़ सकते हैं, डिजिटल साक्षरता देने का अवसर भी होगा।

## आगे का रास्ता

इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास के लिए धन्यवाद क्योंकि इसकी वृद्धि के कारण, आज हम अपनी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में हुई अचानक डेटा वृद्धि को देख रहे हैं। इसी तरह, सूक्ष्म वित्त में, कम आय वाले ग्राहक जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनके बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक डेटा डिजिटल फुटप्रिंट्स के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। इन डिजिटल फुटप्रिंट्स का उपयोग अग्रणी बैंकों और ऑनलाइन ऋण देने वाली फर्मों द्वारा व्यक्तियों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उधार देने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग का भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है।

यह देखना दिलचस्प है कि अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियों ने प्रतिस्पर्धी शर्तों पर अपने आपूर्तिकर्ताओं को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों और एनबीएफसी के साथ करार किया है।

माल और सेवा कर (जीएसटी), जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक है, की शुरुआत भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करने में सहायता कर रही है। इसके अत्यंत उन्नत डिजिटल फुटप्रिंट के परिणामस्वरूप, मालिकाना कारोबार, सूक्ष्म और लघु उद्यम में लगे लोग अब बैंकों और एनबीएफसी के लिए आकर्षक ग्राहक बन गए हैं। इस कारण अब धन के अनौपचारिक स्रोतों पर से उनकी निर्भरता कम हो गई है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की लागत में भी काफी कमी आएगी क्योंकि ऋण अब संपार्श्विक आधार से नकदी प्रवाह आधार में शिफ्ट हो जाएगा।

जब हम अवसरों की एक नई दुनिया खोलते हैं, तो वित्त में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अपना एक जोखिम होता है जो नियामकों और पर्यवेक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन जोखिमों की प्रारंभिक पहचान करना और संबंधित विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियों को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू करना महत्वपूर्ण है ताकि इनके विकास के लिए इसकी पूरी क्षमता को काम में लाया जा सके। इसके लिए एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी प्रकार, निरंतर ऋण वृद्धि, कम लाभप्रदाता द्वारा अभिव्यक्त अंतर-संबद्धता, प्रति-चक्रीयता, और वित्तीय जोखिम में वृद्धि होने से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो

सकता है। डेटा गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

संक्षेप में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आम जनता की बढ़ती अपेक्षाओं, तकनीकी प्रगति और एक विकासशील नियामक परिदृश्य के बीच सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कई बदलाव हो रहे हैं। इसलिए, इस क्षेत्र से उम्मीद है कि उधारकर्ताओं की आजीविका को बदलने के लिए माइक्रो क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया जाए। बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में हो रहे तकनीकी परिवर्तन के बारे में निरंतर सावधानी बरतते हुए इस क्षेत्र को अभिनव, अत्याधुनिक और उच्च प्रभाव वाले व्यापार मॉडल को अपनाया जा रही रखना चाहिए।

सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं को पारदर्शिता बढ़ाने, ग्राहक केंद्रित मुद्दों पर ध्यान देने और कम आय वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने ग्राहकों के हितों को आगे रखना चाहिए और उत्तरदायी ऋण और आचार संहिता दोनों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। एमएफआई और स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण करने के लिए इसे अपने कार्ययोजना में शीर्ष पर रखना चाहिए।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों को चाहिए कि वे केंद्रीकरण जोखिम को कम करने के लिए और एक व्यापक ग्राहक आधार की सेवा देने के लिए उनके ग्राहकों के साथ आउटरीच को व्यापक बनाये। वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ क्षेत्र अनर्जित न रहे। इसके लिए उन्हें अपने कार्यों की गंभीर रूप से समीक्षा करनी चाहिए।

पिछली कुछ तिमाहियों में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, लेकिन हमें इस क्षेत्र के अतिसंवेदनशील कारकों जैसे बाहरी विकास, तकनीकी परिवर्तन, घटना जोखिम और उधारकर्ताओं की आय में होने वाली विसंगतियों से अवगत होना चाहिए। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से परिचालन जोखिम बढ़ेगा और इससे ग्राहक के डेटा सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ेगी इसलिए इसे दूर करने की आवश्यकता है।

बैंक, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थान अत्याधुनिक तकनीकों में चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आदि हो, कुछ नया करने के लिए मजबूत

स्थिति में हैं। इस प्रक्रिया में सिडबी विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने के संबंध में, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली, डिफॉल्ट का संभावित अनुमान आदि के लिए सूक्ष्म वित्त प्रदाताओं को सहारा दे सकता है। सिडबी, तेजी से बदलती इस तकनीक के दौर में, एक मजबूत विनियामक समिति की देख-रेख में आधारभूत ढांचा का निर्माण करने के लिए एक इकोसिस्टम बना सकता है जो टर्नअराउंड समय को कम करके एक सुदृढ़ जोखिम राहत सहित ग्राहक केंद्रित उत्पाद प्रदान करेगा। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यह अत्याधुनिक उत्पादों का परीक्षण करने और नियामकों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के साधन के रूप में भी कार्य करेगा।

मुझे यकीन है कि इस राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की उन्नति के लिए समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु ठोस कार्रवाई बिंदुओं पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।

मैं सूक्ष्म वित्त सम्मेलन और इसके प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ!

#### संदर्भ:

RBI (2019), *Reserve Bank of India Annual Report 2018-19 and 2017-18*

The Bharat Microfinance Report 2019, published by Sa-Dhan

[https://www.business-standard.com/article/pti-stories/mfn-sa-dhan-release-code-for-responsible-](https://www.business-standard.com/article/pti-stories/mfn-sa-dhan-release-code-for-responsible-lending-for-micro-credit-industry-119091600745_1.html)

[lending-for-micro-credit-industry-119091600745\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/pti-stories/mfn-sa-dhan-release-code-for-responsible-lending-for-micro-credit-industry-119091600745_1.html), September 16, 2019, accessed online on November 23, 2019

Opportunities and Challenges of FinTech (Shri Shaktikanta Das, Governor, Reserve Bank of India, March 25, 2019, Keynote Address Delivered at the NITI Aayog's FinTech Conclave)

<https://qz.com/india/1139501/indias-online-lenders-are-looking-at-social-media-and-other-unconventional-data-to-determine-credit-worthiness/>, accessed online on November 23, 2019 <https://www.financialexpress.com/opinion/one-year-of-gst-formalising-the-informal-economy/1229009/July-3-2018> accessed online on November 23, 2019

Financial Inclusion in India - The Journey so far and the Way Ahead (Shri S. S. Mundra, Deputy Governor, September 19, 2016 - at the BRICS Workshop on Financial Inclusion in Mumbai)

Formalizing India's informal economy, Shri Anil Padmanabhan, July 11, 2016, accessed on [www.livemint.com](http://www.livemint.com) on November 23, 2019

Strengthening Governance in Microfinance Institutions (MFIs) - Some Random Thoughts (Keynote Address by Shri Anand Sinha, Deputy Governor, Reserve Bank of India at FICCI's Workshop on 'Strengthening Microfinance Institutions (MFIs): Good Governance and Strategic People Practices, April 23, 2012 at Mumbai



## ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी\*

### एम.के.जैन

श्री सेनारथ बांदरा, अध्यक्ष, एपीआरएसीए (एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन), डॉ. हर्ष कुमार भनवाला, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और एपीआरएसीए के उपाध्यक्ष, डॉ. प्रशांत कुमार दास, महासचिव, एपीआरएसीए, यहां उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार!

सर्वप्रथम, मैं एपीआरएसीए और नाबार्ड को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे 6ठें विश्व सम्मेलन के इस समापन कार्यक्रम में अलग-अलग देशों से आए प्रतिभागियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि आपने ग्रामीण और कृषि वित्त के लिए वैश्विक सर्वोत्तम दृष्टिकोणों को जानने के उद्देश्य से 'ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी' इस विषय को चुना है। इस व्यवसायिक सत्र के जो विषय रखे गए हैं वह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने, स्थायी और व्यवहार्य वित्तीय सेवाओं को विकसित करने के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने में सहायता प्रदान करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के सभी विषय सरकार की विकास कार्ययोजना और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय समावेशन कार्यनीति के अनुरूप हैं। हम कई वर्षों से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए औपचारिक वित्त की अधिक से अधिक पहुंच हो सकें। मेरे लिए वास्तव में यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।

1960 के दशक से हम भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन के प्रयास देख रहे हैं। इस दौरान अर्थव्यवस्था के

\* श्री एम.के.जैन, उपगवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 13 नवंबर 2019 को दिया गया भाषण।

उपेक्षित क्षेत्रों और जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। भारत सरकार ने 1969 और 1980 दो भागों में कुछ वाणिज्यिक बैंकों के बैंकिंग परिचालन का राष्ट्रीयकरण किया जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने, अग्रणी बैंक योजना तैयार करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (आरआरबी-1975-76), सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (1989), स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1989-90), स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना और हाल ही में, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की पहल की। इन सभी विकास कार्यों ने कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या सहित ग्रामीण आबादी को संस्थागत ऋण के प्रवाह में एक गहरा परिवर्तन लाया। देश किसानों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमशः एक बहु-एजेंसी पद्धति की ओर अग्रसर हुआ।

मुझे यकीन है कि सभी विशिष्ट पैनलिस्ट, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय प्रतिभागियों और आयोजकों ने पिछले दो दिनों के दौरान फलदायक चर्चाएँ और विचार-विमर्श किया है। इसके साथ ही वे कार्यनीति तैयार करने और आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई योग्य मदों पर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे हैं।

### दीर्घकालिक विकास लक्ष्य

वैश्विक समुदाय जिसमें 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य शामिल हैं द्वारा अनुसरण किए जानेवाले दीर्घकालिक विकास फ्रेमवर्क को 2030 तक प्राप्त किया जाना है। जबकि एसडीजी के दूसरे लक्ष्य में कृषि उत्पादकता और स्थिरता के लक्ष्य शामिल थे, फिर भी भूख, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रोजगार से संबंधित कई अन्य एसडीजी प्राप्त करना कृषि के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए, गरीबी को समाप्त करने और समावेशी विकास में लाने के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कृषि से संबंधित नीतिगत उपायों को एसडीजी लक्ष्यों के साथ घनिष्ठ रूप से एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आगे, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए नीतियों को संसाधन के कुशल तरीके, गतिशील फसल पैटर्न, खेती जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और उत्तरदायी हो तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का गहन उपयोग के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, कृषक समुदाय को ऋण प्रदान करने के

लिए भारतीय कृषि क्षेत्र और मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क पर मुझे ध्यान देना चाहिए।

### भारतीय कृषि पर एक संक्षिप्त विवरण

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। लगभग 44 (2018 के आईएलओ अनुमान के अनुसार) प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्र<sup>1</sup> में कार्यरत है। हालाँकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)<sup>2</sup> के आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी में कृषि का योगदान 1950 के 52 प्रतिशत से घटकर 1990 में 30 प्रतिशत हो गया और 2010 के बाद से 20 प्रतिशत से अधिक नीचे चला गया है। 2018-19 में, (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएनडएफडब्ल्यू) के वार्षिक रिपोर्ट 2018-19) के अनुसार योजित सकल मूल्य में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योजित सकल मूल्य (जीएवी) का हिस्सा 16 प्रतिशत था। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार पिछले पांच छह वर्षों में जीवीए (2011-12 की कीमतों में) की विकास दर फसलों<sup>3</sup> की तुलना में पशुधन, मछली पकड़ने और जलीय कृषि के लिए अधिक रहा है। कृषि उत्पादन में संबद्ध गतिविधियाँ का योगदान लगभग 40 प्रतिशत हैं, जबकि कृषि ऋण का प्रवाह संबद्ध गतिविधियों<sup>4</sup> की ओर मात्र 6-7 प्रतिशत है। भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मुख्य रूप से छोटे धारकों की खेती है, जिनके भूमि का औसत आकार 1.08 हेक्टर<sup>5</sup> है। छोटे और सीमांत किसान अपनी सभी भू-संपत्ति का 86 प्रतिशत और संचालित क्षेत्र<sup>6</sup> का 47 प्रतिशत का लेख-जोखा रखते हैं। वे कुल कृषि और संबद्ध उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। छोटे किसानों की खेती में, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना एक चुनौती बनी हुई है। इसके लिए आधुनिक निवेश वस्तुओं की आसान पहुंच और फिर सबसे अधिक पारिश्रमिक बाजारों में उन उपजों को बेचने के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है। मूल्य श्रृंखला के साथ उचित लागत पर संस्थागत ऋण एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है

1. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS>

2. एमओएसपीआई के विभिन्न रिपोर्ट

3. आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 भाग II अध्याय 7 कृषि और खाद्य प्रबंधन

4. कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आरबीआई आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट 2019

5. कृषि जनगणना 2015-16

6. कृषि जनगणना 2015-16

जो कई जीविका किसानों को व्यावसायिक किसानों में परिवर्तित करके इस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। फिर वे फल और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती से अपने कृषि कार्यों में विविधता ला सकते हैं और डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य, शहद, मधुमक्खी पालन, आदि जैसे संबद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इन संबद्ध गतिविधियों में अपार क्षमता है तथा इनके लिए ऋण प्रवाह में सुधार से और किसानों को संबद्ध गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित करके इसका पूंजीकरण किया जा सकता है।

समय-समय पर सरकार ने विभिन्न नीतिगत आदेश दिए हैं जिसके परिणामस्वरूप, भारतीय कृषि क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि चावल, समुद्री उत्पाद, कपास, आदि जैसे कई वस्तुओं के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल में कम ब्याज दर पर फसल उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता स्कीम (आईएस) का कार्यान्वयन, कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत पता करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम) शामिल है। इसके साथ ही किसानों को आय अनुदान के लिए संबद्ध गतिविधियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

इन पहलों के बावजूद, भारतीय कृषि के सामने घटते और कम होते प्राकृतिक संसाधन, भोजन की तेजी से बढ़ती मांग (न केवल मात्रा के लिए, बल्कि गुणवत्ता के लिए भी), स्थिर कृषि आय, खंडित भूमि जोत और अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन, जैसी कई चुनौतियां हैं। भारतीय कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार्यता के लिए इससे निपटने की आवश्यकता है।

### भारतीय कृषि में संस्थागत ऋण की क्या भूमिका रही है?

भारत में कृषि के क्षेत्र में औपचारिक ऋण के स्तर पर और आउटरीच के संदर्भ में बैंकों ने सराहनीय प्रगति की है। वर्ष 1981 में ₹31.71 बिलियन से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बकाया अग्रिम 2017-18 में ₹13694.56 बिलियन तक (कुल

बैंक ऋण का 16 प्रतिशत) बढ़ गया है। संस्थागत कृषि ऋण में दीर्घकालिक रुझान से पता चला है कि समय के साथ, स्तर में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण 1970 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2018 तक 52 प्रतिशत हो गया, जो यह दर्शाता है कि बैंकों ने कृषि को ऋण देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (79 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र में ऋण की आपूर्ति करने वाले प्रमुख सहभागी हैं, इसके बाद ग्रामीण सहकारी बैंक (15 प्रतिशत), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (5 प्रतिशत) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (1 प्रतिशत) हैं। वित्तीय समावेशन को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से स्थापित लघु वित्त बैंकों ने हाल ही में अपना परिचालन शुरू किया है। वे छोटे और सीमांत किसानों, कम आय वाले घरों, छोटे व्यवसायों और अन्य असंगठित संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करेंगे।

### कृषि वित्तपोषण की चुनौतियां

औपचारिक कृषि ऋण में प्रभावशाली वृद्धि होने के बावजूद, अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। नाबार्ड के वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, कृषि परिवारों द्वारा लिए गए औसत ऋण डेटा यह संकेत देता है कि संस्थागत स्रोतों से ऋण की 72 प्रतिशत और गैर-संस्थागत स्रोतों से 28 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा किया गया। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुल कृषि परिवारों में से लगभग 30 प्रतिशत अभी भी गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। भूमिहीन कृषकों के लिए कानूनी ढाँचे की कमी जैसे कि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण जो मौखिक पट्टे पर खेती का काम करते हैं, ऐसे किसानों के समुदाय के तबके को ऋण देना एक प्रमुख बाधा है। इसके अलावा, संस्थागत कृषि ऋण के राज्यवार प्रवाह के विश्लेषण से राज्यों के बीच समग्र उत्पादन में उनकी समान हिस्सेदारी की तुलना में ऋण के असमान वितरण का पता चला है। एक निश्चित सीमा तक इस तरह की क्षेत्रीय असमानता इन क्षेत्रों की ऋण समावेश करने की क्षमता में भिन्नता का कारण है। बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण की कमी के कारण ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) जैसे फंड का निर्माण किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण समावेश करने की क्षमता को और गहरा करने तथा ग्रामीण बुनियादी संरचना को

सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकारों को ऋण देने के बुनियादी सिद्धांत के साथ नाबार्ड की स्थापना की गई है।

आरआईडीएफ से प्राप्त मंजूरी के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है कि निधि के अंतर्गत उच्च ऋण प्रवाह वाले राज्यों ने संसाधनों की अधिक मांग की है। इसके विपरीत, न्यूनतम ऋण प्रवाह वाले राज्य आरआईडीएफ से निधि उधार लेने में पिछड़े रहे थे। इस प्रकार, सबसे कम विकसित राज्यों, जो पहले से ही ऋणग्रस्त हैं, उन्हें आरआईडीएफ से कम निधि प्राप्त हो रहा है। इस दुष्चक्र को तोड़ने और कुछ उपायों के बारे में सोचने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिसके द्वारा देश में सबसे पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे पिछड़े / ऋण-पीड़ित क्षेत्रों में धनराशि डाली जा सकती है। बैंकों को इन पिछड़े क्षेत्रों में ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों के बारे में भी हमें सोचना पड़ सकता है ताकि मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। ये मुद्दे और चुनौतियां कृषि ऋण प्रणाली की दक्षता, समग्रता और स्थिरता पर प्रभाव डालती हैं, जोकि चिंता का विषय है।

### भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित आंतरिक कार्य समूह

इसे देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 में एक आंतरिक कार्य समूह (IWG) की स्थापना की थी, ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके और बाधाओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक उपायों की सिफारिश की जा सके। आंतरिक कार्य समूह (IWG) ने व्यापक डेटा विश्लेषण और अनुसंधान तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों और व्यवसायियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद सितंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आंतरिक कार्य समूह की सिफारिशों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, भूमि पट्टे के ढाँचे में सुधार, कृषि संबंधी नीतिगत सुधारों के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी का निर्माण करना और ऋण वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंकों और किसानों के बीच सूचना के अंतर को पाटने हेतु अभिनव डिजिटल समाधान करना शामिल है। इसमें अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों की भी

सिफारिश की गई है, जैसे: सभी बैंकों में लागू प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण दिशा-निर्देश में उपयुक्त संशोधन और किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से ऋण वितरण चैनलों को मजबूत करना। किसान उत्पादक संगठन, एक सीमा तक कृषक समुदाय के वित्तीय सेवाओं से वंचित क्षेत्रों के साथ-साथ देश के ऋणग्रस्त क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा क्योंकि ये भारतीय कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

### वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए वित्तीय समावेशन (एफआई) एक नीति प्रमुख क्षेत्र हैं और इसके विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, पिछले 10 साल से देश को मिशन मोड में स्थापित करने के बाद से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है। आगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के आरंभ के साथ, लगभग हर परिवार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के घेरे में लाया गया है। इसके चलते दोनों जमा खातों और क्रेडिट उत्पादों के मामले में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सभी नागरिकों को वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध, सुलभ और वहन करने योग्य बनाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति स्थापित करने की पहल की है। वित्तीय समावेशन कार्यनीति के कार्यनीतिक स्तंभों में, सर्व साधारण तक वित्तीय सेवाएँ, बुनियादी वित्तीय सेवाएँ, आजीविका और कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा, ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है। एफआई कार्यनीति का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और एक बहु हितधारक दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्थायी वित्तीय समावेशन करना है।

एफआई कार्यनीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं: बैंक शाखाओं की बेहतर नेटवर्किंग, कारोबार प्रतिनिधि एजेंट्स, माइक्रो एटीएम, पोइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जिससे की ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग अर्थात् ऑनलाइन बैंक खाता

खोलने और लेन-देन करने के लिए सक्षम होना। यह ग्राहकों को डिजिटल भुगतानों को अपनाने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार के डिजिटल लेनदेन के माध्यम से दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार की कार्यनीति ग्राहक को केंद्र में रख कर अपनाई गई है और इसके लिए वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान की दिशा में उचित प्रयास किए गए हैं। अंत में, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में नए प्रवेशकों के भरोसा और विश्वास के निर्माण के लिए यह कार्यनीति ग्राहक की शिकायत और सुरक्षा के ढांचे पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय समावेशन कार्यनीति का कार्यान्वयन सभी हितधारकों के प्रभावी समन्वय और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों / सिविल सोसायटी / गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए एक मंच बनाकर विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने से सफल होगा। हमने अपने विशाल देश के वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों और वर्गों तक वित्तीय सेवाएँ पहुंचाने में एक लंबा सफर तय किया है। आगे बढ़ते हुए, एफआई कार्यनीति वित्तीय समावेशन की पहुंच, उसके उपयोग और उसकी स्थिरता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

### प्रौद्योगिकी - स्थायी कृषि के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक

प्रौद्योगिकी ने भारतीय कृषि की उत्पादकता में ठहराव को दूर करने में सहायता, बाजार संबंधों को मजबूत करने और कृषि प्रबंधन को बढ़ाने में बार-बार प्रेरित किया है। वैश्विक स्तर पर, यह स्थापित किया गया है कि किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने से उनके उत्पादन पद्धतियों का आधुनिकीकरण होता है जिससे किसानों को एक समान वार्षिक लाभ प्राप्त होता है। इससे फसल खराब होने का खतरा भी कम होता है और पैदावार में वृद्धि होती है। इसलिए, कृषि विकास नीतियों को वृहद स्तर पर निम्नलिखित लक्ष्यों (i) उत्पादकता बढ़ाकर उच्च विकास प्राप्त करना (ii) पिछड़े क्षेत्रों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन / किरायेदार / मौखिक पट्टेदार और महिला किसानों के कवरेज में सुधार करके समावेश (iii) कृषि स्थिरता, के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुझे ऐसा लगता है कि कृषि-स्टार्टअप द्वारा उत्पाद, सेवा या अनुप्रयोग के रूप में नए युग के तकनीकी समाधान कृषि स्थिरता

को बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट कृषि मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। एग्री-स्टार्ट-अप आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे के विकास, वित्त संबंधी समाधान, कृषि डेटा विश्लेषण और सूचना प्लेटफार्मों जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

### निष्कर्ष

संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय कृषक वर्ग को अतीत में, अधिक अन्न उगाने के लिए कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हम एक खाद्य अधिशेष देश और कई कृषि और उससे संबद्ध उत्पादों के शुद्ध निर्यातक बन गए हैं। इसके लिए कृषि से जुड़ी सरकारी नीतियों को खाद्य अभाव प्रबंधन से खाद्य अधिशेष के प्रबंधन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

आज, भारतीय कृषि एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रही है: वह है कृषि उत्पाद कि संधारणीय वृद्धि, समावेशी और जिम्मेदारी पूर्वक बढ़ाना। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी हितधारक अपनी नीतियों और कार्यों को एसडीजी के अनुरूप करेंगे। जहां तक कृषि वित्तपोषण का संबंध है, कृषि क्षेत्र में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और दीर्घकालिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए बैंकों को अपनी व्यावसायिक कार्यनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में 'स्थिरता' को लाना होगा। इसके लिए, बैंकों को चाहिए कि वे उन्नत कृषि वित्तपोषण मॉडल को अपनाए ताकि पर्यावरण के अनुकूल और दीर्घकालिक परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ।



# लेख

सरकारी वित्त 2019-20 : छमाही समीक्षा

परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं: एक झलक

समष्टि आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की प्रभावकारिता



## सरकारी वित्त 2019-20 : छमाही समीक्षा\*

यह केंद्र और राज्य सरकार के वित्त की छमाही समीक्षा की श्रृंखला में दूसरा आलेख है। यद्यपि उच्च-आवृत्ति वाले स्पष्ट राजकोषीय आंकड़े जुटा पाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, तथापि ऐसा देखा गया है कि आय और व्यय संबंधी प्रमुख अनुमान जो मासिक डेटासेट [केंद्र और राज्यों के लिए क्रमशः महालेखा-नियंत्रक (सीजीए) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी किए गए ] से प्राप्त होते हैं, वे समवर्ती रूप से उपलब्ध संशोधित / बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक लेखा के अधिक करीब होते हैं और यहीं से इस प्रकार की समीक्षा के लिए आधारभूमि तैयार होती है। नीति निर्माताओं, बहुआयामी संस्थानों और बाजार सहभागियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, इस लेख में समेकन की आवृत्ति में सुधार किया गया है और इसे छमाही से कम करके तिमाही कर दिया गया है तथा जी 20 डाटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई 2) की अपेक्षाओं के अनुरूप पहली बार सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) का समेकित लेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

### परिचय

सरकार के वित्त पर उच्च आवृत्ति डेटा का महत्व नीति निर्माताओं, बहुआयामी एजेंसियों और बाजार सहभागियों के लिए सर्वोपरि है। नीति निर्माताओं के लिए, यह मासिक या तिमाही आवृत्ति पर समष्टि आर्थिक घटना की बेहतर मॉडलिंग से अनुभवजन्य निष्कर्षों की उपलब्धता को संभव बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और विश्व बैंक जैसी बहुआयामी एजेंसियों के लिए, सरकार की राजकोषीय स्थिति का नियमित विश्लेषण, देश-वार निगरानी के उनके दायित्व के निर्वहन में एक प्रमुख घटक बनता है। इसके अलावा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थिति की निगरानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम के प्रारंभिक

\* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर के राजकोषीय प्रभाग में संगीता मिश्रा के नेतृत्व में राहुल अग्रवाल, खाई जमांग मते, कौशिकी सिंह और बिचित्रानंद सेठ द्वारा तैयार किया गया है। इसमें निर्मल कुमार और साक्षम सूद का भी योगदान है। पूरी टीम डॉ. राजीव रंजन, परामर्शदाता और प्रभारी अधिकारी, डीईपीआर, के प्रति आभार व्यक्त करती है जिनके सतत मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप तिमाही आवृत्ति पर सामान्य सरकारी आंकड़ों का संकलन करके उसे जारी करना संभव हुआ। सामान्य अस्वीकरण लागू है।

चेतावनी संकेत के रूप में काम कर सकती है। इस महत्व को देखते हुए, वैश्विक वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में गठित, जी -20 डेटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई और डीजीआई-2) के दोनों चरणों के तहत सरकारी वित्त पर उच्च आवृत्ति डेटा को एक बड़ा अवरोध माना गया है। बाजार सहभागियों के लिए, राजकोषीय डेटा राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारी प्रतिभूतियों और निजी क्षेत्र में निवेश के निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है क्योंकि निवेश के फैसले जोखिम लेने के प्रति देश के दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं।

जहाँ अच्छी हाउसकीपिंग प्रथाएं, सरकारी वित्त की समीक्षा की उच्च आवृत्ति का महत्व आर्थिक मंदी के वर्तमान संदर्भ में और अधिक बढ़ जाता है, वहीं जैसे-जैसे यह वित्तीय वर्ष आगे बढ़ा है, यह मंदी और भी गहराती गयी है और इससे 2019-20 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों से जुड़े जोखिम भी बढ़ गए हैं। विकास-दर में मंदी का सभी प्रकार की सरकारों के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि राजस्व जुटाने की घटी हुई क्षमता और व्यय की विभिन्न मदों में की गिरावट में आयी जड़ता या तो भविष्य की देनदारियों/ उधारों में जबरन वृद्धि या पूंजीगत व्यय में कटौती के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे विकास-दर में और अधिक तेजी से गिरावट आएगी (आरबीआई, 2019)। छमाही समीक्षा से वृद्धि दर को पुनः पटरी पर लाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश का आकलन करने में मदद मिल सकती है, और इसकी राजकोषीय लागत भी नियंत्रित की जा सकती है।

केंद्र, राज्यों और सामान्य सरकार के लिए अर्ध-वार्षिक आवृत्ति पर राजकोषीय चरों के संकलन और विश्लेषण में आंकड़ों से जुड़ी चुनौतियां रहती ही हैं। ये चुनौतियाँ हैं - उपलब्धता में अलग-अलग प्रकार के अंतराल, डेटा की अनुपलब्धता, अलग-अलग मासिक डेटा के समेकित मान और पूरे वर्ष के अनुमानों के बीच एकरूपता की कमी और विभिन्न राज्यों में डेटा रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत प्रारूप का अभाव। जैसा कि डीजी1 और डीजी2<sup>1</sup> की एक के बाद एक प्रगति रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है, भारत सरकार सरकारी वित्त के आंकड़ों और सार्वजनिक क्षेत्र ऋण के आंकड़ों के प्रसार में पीछे है। इसके बावजूद, केंद्र और राज्यों के वित्त पर उच्च आवृत्ति डेटा एकत्र

<sup>1</sup> अक्टूबर, 2019 में जारी डीजीआई-2 की चौथी प्रगति रिपोर्ट में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी रेड मार्किंग की गई है जिसका मतलब है "लक्ष्य/मध्यवर्ती लक्ष्य पूरा नहीं किया गया"।

करने में हाल के वर्षों में एक बार फिर से तेजी आई है और अब भारत के महालेखा परीक्षक (सीजीए) द्वारा केंद्र के लिए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा राज्यों के लिए केंद्र के लिए हर माह बड़ी मात्रा में आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि, डेटा केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों के लिए प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट<sup>2</sup> में इस बात को रेखांकित किया गया था कि “अगर केंद्र का राजकोषीय डेटा और राज्यों का राजकोषीय डेटा एक सामान्य मंच पर संकलित किया जाए और सभी राज्यों से संबंधित राजकोषीय डेटा भी मासिक आवृत्ति पर उपलब्ध हो जाए तो यह बहुत उपयोगी होगा।”

“सरकारी वित्त 2018-19: एक अर्धवार्षिक समीक्षा”<sup>3</sup> सरकारी वित्त के अर्ध-वार्षिक आवृत्ति पर संकलन और विश्लेषण की दिशा में एक छोटा कदम था। इसके तहत केंद्र सरकार और ऐसे 24 राज्यों के वित्त की अर्धवार्षिक समीक्षा की गयी, जिनके लिए डेटा की एक सुसंगत टाइम सीरीज़ उपलब्ध थी। यह लेख इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, और इसके अलावा डेटा उपलब्धता में अंतर को पाटने की दिशा में भी कुछ कदम उठाता है। सबसे पहले, समेकन की आवृत्ति अर्ध-वार्षिक से बढ़ाकर तिमाही कर दी गयी है और राजस्व तथा व्यय में मौसमी प्रभाव का विश्लेषण भी किया गया है। दूसरे, सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) के समेकित लेखा को आवश्यक अंतर-सरकारी समायोजन कराते हुए तिमाही आवृत्ति पर प्रस्तुत किया जाता है।

शेष आलेख को पांच भागों में विभाजित किया गया है। भाग 2 में उच्च आवृत्ति वाले राजकोषीय आंकड़ों उपलब्धता, गुणवत्ता और अंतराल पर विचार व्यक्त किए गए हैं। इस भाग में केंद्र और राज्यों की प्राप्ति और व्यय के मौसमी पैटर्न का विश्लेषण भी किया गया है। भाग 3 वर्ष 2019-20 के पहली और दूसरी तिमाही के लिए केंद्र के लिए अलग से और सभी राज्यों की समेकित प्राप्ति और व्यय के परिणामों का विश्लेषण करता है। भाग 4 में घाटे के प्रमुख संकेतकों के रूप में परिणामों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है और सकल राजकोषीय घाटे के मिश्रित वित्तपोषण पर चर्चा की गई है। भाग 5 में तिमाही आवृत्ति पर समेकित सामान्य सरकारी लेखा के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं और भाग 6 में निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं।

<sup>2</sup> राजकोषीय सांख्यिकी समिति की रिपोर्ट (सितंबर, 2018)।

<sup>3</sup> आरबीआई बुलेटिन, दिसंबर 2018।

## II. राजकोषीय डेटा की उच्च आवृत्ति पर रिपोर्टिंग

केंद्र सरकार के वित्त पर मासिक आंकड़े सीजीए से 1997-98 से एक सुसंगत प्रारूप में उपलब्ध हैं जिनसे विशिष्ट समयावधि में दीर्घ समय-श्रृंखला वाले आंकड़ों का समेकन संभव हो पाता है। मासिक आंकड़े एक माह के विलंब से जारी किए जाते हैं। राज्यों के राजकोषीय आंकड़ों के संबंध में, इसका अर्ध-वार्षिक विश्लेषण सीएजी द्वारा प्रकाशित मासिक आधार पर समेकित किए जाने वाले राज्य लेखा पर निर्भर करता है जिसे सीएजी की वेबसाइट (<https://cag.gov.in/state-accounts>) पर सार्वजनिक किया जाता है। सीएजी संबंधित राज्यों के वित्त विभागों से आंकड़े लेता है; आंकड़े अलेखापरीक्षित और अनंतिम होते हैं। वर्ष 2008-09 से गोवा के अलावा सभी राज्यों के लिए मासिक रिपोर्टें उपलब्ध हैं हालांकि इनमें बीच-बीच में अंतराल हैं। हाल की अवधि में आंकड़ों की उपलब्धता में सुधार हुआ है- गोवा को छोड़कर सभी राज्यों ने अप्रैल 2017 से लगातार मासिक आंकड़े भेजे हैं। इसके अलावा, नवंबर 2018 से सीएजी द्वारा एक संशोधित टेम्पलेट लागू किए जाने से आंकड़े अधिक स्पष्ट रूप में मिलने लगे हैं।

केंद्र और राज्यों के लिए क्रमशः सीजीए और सीएजी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में प्रमुख कमी इनकी भिन्नता के स्तर और सुसंगतता में है। हालांकि उपलब्ध कराए गए आंकड़े वियोजित होते हैं, परंतु वियोजन का स्तर वैसा नहीं होता जिससे उच्च-आवृत्ति पर संयुक्त (केंद्र और राज्यों) रूप से सरकारी वित्त का समेकन किया जा सके। साथ ही, राज्यों के आंकड़ों के मामले में यह देखा गया है कि कर राजस्व पर हेडलाइन आंकड़े इसके उप-घटकों के योग से मेल नहीं खाते; अधिकांश मामलों में ऐसा संघीय करों में राज्यों के हिस्से के संबंध में आंकड़े (संशोधित प्रारूप से पहले) मासिक रिपोर्ट में अलग से नहीं दिए जाने के कारण होता है।

ऊपर चिन्हांकित आंकड़ों की सीमाओं के होते हुए भी, सीएजी की मासिक रिपोर्टें दो तरह से राज्यों की राजकोषीय स्थिति के विश्लेषण के लिए उपयोगी टूल प्रदान कर सकती हैं: पहला, सीएजी आंकड़े संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक लेखा के आंकड़ों के लिए बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं; और दूसरा, वे सरकार के राजस्व और व्यय में मौसमी परिवर्तनों के विश्लेषण को संभव बनाते हैं।


## वास्तविक लेखा बनाम सीएजी आंकड़े और संशोधित अनुमान

सीएजी के अनंतिम अनुमान के आंकड़े राज्यों के बजट में संशोधित अनुमानों के साथ लगभग समवर्ती रूप से उपलब्ध हैं, जबकि लेखा आंकड़े लगभग 8 से 12 महीनों के अतिरिक्त अंतराल के साथ आते हैं। विचलन की तुलना दर्शाती है कि सीएजी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनंतिम अनुमान प्राप्ति और व्यय दोनों में बजट और संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्यों के लेखा के काफी निकट हैं (चार्ट 1)। इस प्रकार नीतिगत विश्लेषण और निर्णय लेने के साथ-साथ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और अर्थमितीय मॉडल लेखों के आंकड़ों की अनुपस्थिति में संशोधित अनुमानों के बजाय अनंतिम अनुमानों का उपयोग करने से फायदा हो सकता है।

## सरकारी प्राप्ति और व्यय का मौसमी पैटर्न

केंद्र सरकार के लिए राजस्व और पूंजी खाते दोनों में प्राप्ति और व्यय एक विषम मौसमी पैटर्न दर्शाते हैं, जिसमें प्राप्ति में चौथी तिमाही में उच्चतम अंश के साथ वर्षभर में क्रमिक रूप से एकत्र (बिल्ड-अप) होने का संकेत मिलता है जबकि व्यय पूरे वर्ष में समान रूप से वितरित है। केंद्र के वार्षिक सकल राजकोषीय घाटे का लगभग 60 प्रतिशत पहली तिमाही में है जो मुख्य रूप से इस विषमता को दर्शाता है (चार्ट 2 ए)। राज्यों के संबंध में, राजस्व और पूंजीगत लेखा दोनों में ही प्राप्ति और व्यय के मौसमी पैटर्न में व्यापक समरूपता है, जहां पहली तिमाही में उनके संबंधित वार्षिक योग में सबसे कम अंश और चौथी तिमाही में उच्चतम अंश होता है।

चार्ट 1: विभिन्न अनुमानों की तुलना में राज्यों के लेखा आंकड़ों में विपथन




**टिप्पणियाँ :** 1. तुलना 27 राज्यों (गोवा और नागालैण्ड को छोड़कर सभी) के औसत आँकड़ों के आधार पर की गयी है।

2. पूंजीगत प्राप्ति = ऋणों और अग्रिमों की वसूली + विविध पूंजीगत प्राप्ति

3. पूंजीगत व्यय = पूंजी का बहिर्गमन + संवितरित ऋण एवं अग्रिम

**स्रोत :** सीएजी; और ई-स्टेट्स आरबीआई डेटाबेस

**चार्ट 2: वार्षिक सरकारी प्राप्तिओं और व्यय में तिमाही हिस्सेदारी (2014-15 से 2018-19 का औसत)**



यह मौसमी पैटर्न पूंजी खाते में और अधिक स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है जिसमें चौथी तिमाही में वार्षिक पूंजीगत व्यय का आधा और वार्षिक पूंजीगत प्राप्तिओं के दो तिहाई को लेखांकित किया गया है। यह मौसमी पैटर्न राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में भी दिखता है जिसमें चौथी तिमाही में वार्षिक जीएफडी के लगभग आधे का लेखांकन किया गया है (चार्ट 2बी)।

केंद्र और राज्यों के वित्त में दिखने वाले अलग-अलग मौसमी पैटर्न के उनके राजकोषीय प्रबंधन संबंधी निहितार्थ हैं। केंद्र के लिए, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे की पहली तिमाही में फ्रंट-लोडिंग के परिणामस्वरूप चौथी तिमाही में राजकोषीय दबाव का निर्माण होता है, जिससे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के प्रबंधन के लिए वर्ष की शेष अवधि में राजस्व जुटाना प्रमुख प्राथमिकता होती है। राज्यों में राजकोषीय घाटा धीरे-धीरे बढ़ता है जिससे घाटे के प्रबंधन का कार्य अपेक्षाकृत आसान होता है। हालांकि, चौथी तिमाही में राजस्व और व्यय का बढ़ जाना राज्यों की राजस्व उगाही की क्षमता और उस तिमाही में खर्च करने की शक्ति पर निर्भर करता है और ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में बजट का कुल आकार संकुचित हो जाता है - 2014-15 और 2017-18 के बीच राज्यों के कुल बजट की तुलना में कुल व्यय 7 प्रतिशत कम रहा।

### III. तिमाही परिणाम: 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही ए. प्राप्तियाँ


2019-20 की पहली तिमाही में मंद वृद्धि-दर के बाद केंद्र की राजस्व प्राप्तिओं में 2019-20 की दूसरी तिमाही में पुनः उछाल आया। संचयी रूप से 2019-20 की पहली छमाही में राजस्व प्राप्तियाँ पिछले तीन वर्षों की तुलना में बजट अनुमानों के अनुपात से थोड़ा अधिक हैं। 2019-20 की दूसरी तिमाही में बढ़ने के बाद भी पूंजी प्राप्तियाँ पिछले तीन वर्षों की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में अभी भी कम हैं (चार्ट 3)।

वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में राज्यों<sup>4</sup> के लिए राजस्व प्राप्तिओं में शून्य संवृद्धि दर्ज की गई लेकिन वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में 2019-20 की दूसरी तिमाही में इसमें तेजी आई और इनमें 9.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। राज्य सरकारों का राजस्व संग्रहण 2019-20 की पहली छमाही में संचयी रूप से पिछले दो वर्षों की तुलना में बजट अनुमानों के अनुपात में कम है। साथ ही, पहली तिमाही में गिरावट दर्ज करने के बाद पूंजीगत प्राप्तिओं में दूसरी तिमाही में पुनः उछाल आया। संचयी रूप से 2019-20 की पहली छमाही में पूंजी प्राप्तियाँ पिछले दो वर्षों की तुलना में बजट अनुमानों के अनुपात का उच्चतर हैं (चार्ट 4)।

संघटन पर विचार करें तो, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र के लिए

<sup>4</sup> उन 23 राज्यों के औसत आंकड़ों के आधार पर, जिनके लिए 2019-20 की दूसरी तिमाही तक के पहले के और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा और नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्य शामिल हैं।

**चार्ट 3: वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र की प्रामियाँ**




**टिप्पणियाँ :** पूंजीगत प्रामियाँ = ऋणों और अग्रिमों की वसूली + विविध पूंजीगत प्रामियाँ।  
**स्रोत :** सीजीए।

कर राजस्व का एक-तिहाई और राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का आधा हिस्सा होता है। वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में एसजीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में थोड़ी कमी आई जिसका कारण बड़े पैमाने पर चल रही मंदी है। परिणामस्वरूप, राज्यों को जारी किए जाने वाले प्रतिपूरक उपकर में 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान संग्रहण की तुलना में वृद्धि हुई (चार्ट 5 ए)। जहां तक


प्रत्यक्ष करों का संबंध है, पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की अवधियों की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष के लिए केंद्र का निष्पादन मंद हुआ है जिसका कारण चक्रीय मंदी के चलते संवृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए कॉरपोरेट कर की दर में आई कमी है। इस बात को देखते हुए कि ये केंद्रीय कर विभाज्य पूल का भाग बने हुए हैं, राज्यों के बजट भी कर में विचलन के कारण प्रभावित होंगे (चार्ट 5 बी)।

**चार्ट 4: वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए राज्यों की प्रामियाँ**



**टिप्पणियाँ :** पूंजीगत प्रामियाँ = ऋणों और अग्रिमों की वसूली + विविध पूंजीगत प्रामियाँ।  
**स्रोत :** सीएजी; और ई-स्टेट्स आरबीआई डेटाबेस।

**चार्ट 5: वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में जीसटी और केंद्र के प्रत्यक्ष करों का प्रदर्शन**



**टिप्पणी :** एसजीसटी के आंकड़े उन राज्यों के हैं जिन्होंने ये आंकड़े रिपोर्ट किए हैं।


**स्रोत :** सीएजी; और ई-स्टेट्स आरबीआई डेटाबेस।

केंद्र अपने राजस्व के लिए, राज्यों के विपरीत, गैर-कर स्रोतों पर भी काफी निर्भर होता है, विशेषकर इसलिए कि ये राज्यों (विभाज्य पूल के बाहर होने के कारण) के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र के पास भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष के अंतरण के कारण गैर-कर राजस्व पूल के तहत पर्याप्त संग्रहण है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 2019-20 में ब्याज प्राप्तियां भी सर्वाधिक रही हैं (बीई के प्रतिशत के रूप में) (चार्ट 6)।

### बी. व्यय

2019-20 की पहली तिमाही में ठोस वृद्धि दर्ज करने के बाद केंद्र सरकार के लिए राजस्व व्यय 2019-20 की दूसरी तिमाही में दृढ़ता से पलट दिया गया (चार्ट 7 ए)। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, राजस्व व्यय सामने-भारित नहीं था जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया था। बीई के एक प्रतिशत के रूप में, 2019-20 की पहली छमाही में राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम था<sup>5</sup>। दूसरी ओर, 2019-20 की पहली


**चार्ट 6: कर के अलावा राजस्व संग्रहण**



**स्रोत :** सीएजी; और संघीय बजट दस्तावेज।

<sup>5</sup> यदि अप्रैल-अक्टूबर, 2019-20 के आंकड़े देखें तो पाएंगे कि यह प्रवृत्ति जारी है।

**चार्ट 7: वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में केंद्र का व्यय**



स्रोत : सीजीए; और संघीय बजट दस्तावेज।


छमाही में पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ जिसका कारण था दूसरी तिमाही में इसकी उच्च वृद्धि (चार्ट 7 बी)।

सब्सिडी का भुगतान खाद्य सब्सिडी के मामले में कम रहा है, जबकि उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 में पहले ही खर्च किया जा चुका है (चार्ट 8)।

जैसा कि केंद्र के मामले में हुआ, राज्यों का राजस्व व्यय में वृद्धि 2019-20 की पहली तिमाही में तो लगभग शून्य रही परंतु दूसरी तिमाही में इसमें तेजी से उछाल आया (चार्ट 9 ए)।


बीई के अनुपात के रूप में राजस्व 2019-20 की दूसरी तिमाही में पिछले पांच वर्षों की तुलना में सबसे अधिक रहा (2019-20 की दूसरी तिमाही में 23.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि); हालाँकि, संघीय रूप से देखें तो 2019-20 की पहली छमाही में, यह पिछले तीन वर्षों की तुलना में कम था। 2019-20 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय में शुरुआती गिरावट दर्ज की गयी हालाँकि इसमें दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी हुई (चार्ट 9 बी)। बीई के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय कम रहा।

**चार्ट 8: वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में प्रमुख रियायतों पर व्यय**



स्रोत : सीजीए; और संघीय बजट दस्तावेज।

**चार्ट 9: वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में राज्यों का व्यय**



टिप्पणियाँ : पूंजीगत व्यय = पूंजी का बहिर्गमन + संवितरित ऋण एवं अग्रिम।  
 स्रोत : सीएजी, और ई-स्टेट्स आरबीआई डेटाबेस।

**IV. राजकोषीय घाटा और इसका वित्तपोषण**

**ए. राजकोषीय घाटा**

**केन्द्र सरकार**


वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार द्वारा सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के लक्ष्य से विचलन दर्शाने के साथ ही, सरकार ने 3.3 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप 2020-21 तक जीएफडी

को 3.0 प्रतिशत तक लाना है। वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में राजकोषीय घाटा बीई के प्रतिशत के रूप में 61.4 प्रतिशत और 31.2 प्रतिशत रहा जो की पिछले वर्ष की तुलना में पहली तिमाही में कम तथा दूसरी तिमाही में अधिक था (चार्ट 10)।

**राज्य सरकारें**


2015-16 और 2016-17 में उदय के कारण आए दबाव के बाद, राज्यों ने 2017-18 में जीएफडी को घटाकर जीडीपी के 2.4 प्रतिशत (2016-17 के 3.5 प्रतिशत से) तक लाते हुए

**चार्ट 10: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा**



स्रोत : सीजीए; और संघीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 11: राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



स्रोत : सीएजी; और राज्य बजट दस्तावेज।

अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। प्रारंभिक डेटा<sup>6</sup> इंगित करता है कि जीएफडी 2018-19 में लगभग 2.4 प्रतिशत के इर्द-गिर्द बनी रही है और पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में क्रमिक रूप से वृद्धि का रुख देगा गया (चार्ट 11ए)। 2019-20 के लिए बजट में राज्यों के लिए जीएफडी जीडीपी अनुपात 2.6 प्रतिशत रखा गया है। सामान्यतया यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष की दूसरी छमाही में राज्यों का जीएफडी अपेक्षाकृत अधिक रहता है जिससे राज्यों द्वारा खर्च की बैंक लॉडिंग का पता चलता है। राज्यों ने अपने बजट में आबंटित जीएफडी का लगभग 38 प्रतिशत 2019-20 की पहली छमाही में खर्च किया है (चार्ट 11 बी), जो 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में अधिक है।

केंद्र और राज्यों दोनों के स्तर पर चूकों को व्यय की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में चिह्नित किया गया है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजस्व व्यय-पूँजीगत व्यय अनुपात में केंद्र के लिए और कुल मिलाकर सभी राज्यों के लिए भी वृद्धि देखी गयी है। 2019-20 की पहली छमाही में, केंद्र सरकार ने राजस्व व्यय-पूँजीगत व्यय अनुपात को कम करते हुए अपने व्यय की गुणवत्ता में सुधार किया है और ऐसा मुख्य रूप से दूसरी तिमाही में हुए सुधार के कारण था (चार्ट 12ए)। केंद्र के लिए पूँजीगत

<sup>6</sup> जहां वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएफडी सभी राज्यों के लिए है जिसमें लेखा और संशोधित अनुमानों के आंकड़े मिश्रित रूप में हैं, तिमाही आंकड़े 23 राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी और पश्चिम बंगाल के हैं।


व्यय के प्रमुख लाभार्थी सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रेलवे के साथ-साथ दूरसंचार और उच्च शिक्षा विभाग रहे हैं। हालांकि, उसी मानक पर देखें तो राज्यों के व्यय की गुणवत्ता पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाहियों में खराब हुई है (चार्ट 12 बी)।

### बी. राजकोषीय घाटे और बाजार उधारियों का वित्तपोषण

2019-20 पहली और दूसरी तिमाहियों के दौरान केंद्र के जीएफडी का वित्तपोषण मुख्यतया बाजार उधारियों (क्रमशः 58.8 प्रतिशत और 102.1 प्रतिशत) से किया जाना जारी रहा और पिछले वर्ष की तुलना में जीएफडी के वित्तपोषण में इसका अनुपात बढ़ा है। पहली और दूसरी तिमाहियों में अधिशेष नकदी का पर्याप्त विनिवेश किया गया और राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) का सहारा भी लिया गया यद्यपि यह पिछले वर्ष से कम था (सारणी 1)।

राज्यों की तुलना में, केंद्र की उधारियाँ 2018-19 और 2019-20 (अब तक) दोनों वर्षों में बीई के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत काफी अधिक रही हैं (सारणी 2)। यह देखते हुए कि केंद्र ने नवंबर 2019 के अंत तक अपनी सकल बजट राशि का 75 प्रतिशत से अधिक और निवल बजट राशि का 90 प्रतिशत से अधिक उधार ले लिया है (वर्ष 2016-18 के दौरान सकल और निवल उधारियों का औसत क्रमशः 77 और 79

चार्ट 12: सकल राजकोषीय घाटा और केंद्र एवं राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



स्रोत : सीएजी, सीजीए; संघीय बजट दस्तावेज और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत), उन्हें वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना होगा जिसके लिए उन्हें और अधिक राजस्व संग्रह करने की आवश्यकता पड़ेगी।

30 सितंबर 2019 तक, सभी राज्यों की उधार राशि उनके बजट में आबंटित सकल और निवल बाजार उधार का क्रमशः 36 प्रतिशत और का 32 प्रतिशत है (सारणी 2)। उधारियों पर राज्यवार आंकड़े इंगित करते हैं कि मणिपुर, राजस्थान और

तेलंगाना 50 फीसदी को पार कर चुके हैं, जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरल अपने बजट में आबंटित सकल बाजार उधार के आधे पर पहुंचने के करीब हैं। मणिपुर की स्थिति भिन्न है क्योंकि इसकी सकल और निवल उधारियां बजट अनुमानों को पार कर गई हैं (चार्ट 13)। अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान, तेरह राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का सहारा लिया, जबकि आठ राज्यों ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया।

सारणी 1: केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(राशि ₹ करोड़ में)

घटक	ति1:2018-19	ति2:2018-19	ति3:2018-19	ति4:2018-19	ति1:2019-20	ति2:2019-20
1	2	3	4	5	6	7
सकल राजकोषीय घाटा	429.0	165.7	106.7	-56.1	432.1	219.5
बाजार उधारियाँ	162.0	188.4	119.6	-33.7	254.1	224.2
राज्य भविष्य निधि	2.3	2.0	1.1	10.5	2.2	0.4
राष्ट्रीय लघु बचत निधि	47.0	15.1	19.4	-66.3	57.2	-6.4
नकदी शेष {हास(+)/वृद्धि(-)}	0.9	0.1	0.0	-2.3	4.9	0.1
निवेश (-) / अधिशेष नकदी का विनिवेश (+)	162.6	0.0	-17.8	-104.9	122.7	-33.5
बाहरी सहायता	3.9	-11.2	3.2	5.9	6.9	-2.4
अर्थोपाय अग्रिम	55.4	-32.0	-23.4	0.0	26.5	-26.5
अन्य *	-5.1	3.4	4.6	134.7	-42.5	63.6

\* इसमें विशेष जमा, उचंत और प्रेषण तथा अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

स्रोत : सीजीए।

## सारणी 2: केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

मद	2019-20 (22 अप्रैल से नव., 2019)	2018-19 (23, अप्रैल से नव., 2018)	2019-20 छमा.1 (30, अप्रैल से सित. 2019)	2018-19 छमा.1 (30, अप्रैल से सित. 2018)
<b>केंद्र सरकार</b>				
सकल बाजार उधारियाँ	538000 (75.8)	355000 (58.6)	442000 (62.3)	276000 (45.6)
निवल बाजार उधारियाँ	436972 (92.4)	254800 (55.1)	340972 (72.1)	188432 (40.8)
<b>राज्य सरकार</b>				
सकल बाजार उधारियाँ	316002 (50.7)	229313 (41.0)	225445 (36.2)	157502 (28.1)
निवल बाजार उधारियाँ	226950 (46.7)	193453 (43.9)	156447 (32.2)	137650 (31.2)

**टिप्पणी :** कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबन्धित वित्त वर्ष के बजट में शामिल सकल और निवल उधारियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।


**स्रोत :** साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, भा.रि.बैंक।

### v. सामान्य सरकार वित्त<sup>7</sup>

आंकड़ों में अंतराल होने से नीति निर्माताओं और बाजार सहभागियों द्वारा समयबद्ध और सटीक तरीके से आर्थिक

घटनाओं को समझने की क्षमता सीमित हो जाती है (एफएसबी, 2019)। इसी उद्देश्य से जी20 के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के अनुरोध पर अमल करते हुए 2009 में आईएमएफ और एफएसबी द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट<sup>8</sup> प्रकाशित की गई थी जिसमें सूचना अंतरालों की पहचान की गई थी और जी20 देशों के बीच उन अंतरालों को भरने के लिए प्रस्ताव भी दिए गए थे। नतीजतन, जी20 डेटा गैप पहल शुरू की गई थी और अपने दूसरे चरण में यह 2015 के बाद से अभी जारी रही है। इस पहल के एक भाग के रूप में, भारत को 2020-21 तक सरकारी वित्त की संयुक्त राजकोषीय रिपोर्टिंग अर्थात् केंद्र और राज्यों दोनों के लिए तिमाही आधार पर करनी है। यद्यपि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए मासिक डेटा, जैसा कि लेख के शेष भाग में रेखांकित किया गया है, उपलब्ध होता है, संयुक्त सरकारी वित्त सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। जी20 डेटा गैप्स में से एक को भरने, जिसका आश्वासन भारत ने दिया है, की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत के सरकारी वित्त के संयुक्त रूप से संकलन का प्रयास किया गया है<sup>9</sup> (परिशिष्ट, सारणी 3)। इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में जीएफडी


चार्ट 13: जीएफडी (बीई के प्रतिशत के रूप में) बनाम सकल और निवल उधार (बीई के प्रतिशत के रूप में)



<sup>7</sup>केंद्र सरकार और 23 राज्यों के आंकड़े।

<sup>8</sup>वित्तीय संकट और सूचना अंतराल (आईएमएफ-एफएसबी, 2009)।

<sup>9</sup>अंतर-सरकारी लेन-देन के आंकड़े जिनका इस्तेमाल तिमाही संयुक्त वित्त को संकलित करते समय निवल राशि ज्ञात करने के लिए किया गया है, और इसे दो स्रोतों से प्राप्त किया गया है - क) मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय से; और बी) कोर बैंकिंग समाधान, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आरबीआई।



का संयुक्त प्रदर्शन यदि विगत वर्ष की समान अवधि से तुलना की जाए तो 2019-20 की पहली तिमाही में अपेक्षाकृत कम तथा दूसरी तिमाही में अपेक्षाकृत अधिक रहा और इसका मुख्य कारण केंद्र द्वारा दूसरी तिमाही में खर्च में लायी गयी तेजी थी। जहां तक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी के प्रदर्शन का प्रश्न है, यह ध्यान देने योग्य है कि व्यय वर्ष के प्रारम्भ में ही कर लिए जाने के कारण पहली तिमाही में जीएफडी-जीडीपी अनुपात अधिक रहता है तथा यह दूसरी तिमाही और उसके बाद धीरे-धीरे नीचे आते हुए राजकोषीय सुदृढ़ता की प्रतिबद्धता की सीमा के भीतर रहने का प्रयास करता है (चार्ट 14)।

## VI. अब आगे क्या

केंद्र सरकार का जीएफडी पूरे वर्ष के लिए बजट में आबंटित ₹7.0 लाख करोड़ की राशि की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2019-20<sup>10</sup> के दौरान दौरान ₹6.5 लाख करोड़ था। इस प्रकार 2019-20 की पहली छमाही में ही केंद्र का जीएफडी बीई के 92.6 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसके अलावा, अक्टूबर 2019 आते-आते केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट में पूरे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए और बीई के 102.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है। केंद्र के राजकोषीय घाटे में एक मौसमी पैटर्न देखा जाता है जो वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में ही आमतौर पर 80 फीसदी से अधिक हो जाता है। दूसरी ओर,

<sup>10</sup> अप्रैल-अक्टूबर 2019-20 के दौरान ₹7.2 लाख करोड़।

राज्यों की बात करें तो पहली छमाही में उनका संयुक्त जीएफडी लगभग 35 प्रतिशत तक पहुंच पाता है। इस मौसमी पैटर्न को देखते हुए, संयुक्त जीएफडी (केंद्र एवं राज्य दोनों) जो 2019-20 की पहली छमाही में बीई का 69.5 प्रतिशत ठहरता है, उसमें भविष्य में और गिरावट की संभावना है।

राजस्व पक्ष पर विचार करें तो, कर संग्रह लक्ष्य से कम बना रहा है। व्यय की बात करें तो, सरकार ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जैसे, निर्यात और आवास क्षेत्र को राहत, कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती आदि। केंद्र के अपेक्षाकृत उच्च राजकोषीय घाटे और 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में कर संग्रह कमजोर रहने के बावजूद, पूंजीगत व्यय से समझौता नहीं किया गया है जिससे भविष्य में विकास की अच्छी संभावनाएँ बनी हुई हैं।

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो व्यय को प्रति-चक्रीय गति राज्यों की ओर से मिलने की अधिक संभावना है, क्योंकि उनका व्यय बीई के 40 प्रतिशत पर है और 2019-20 की पहली छमाही में उनका जीएफडी-जीडीपी अनुपात 1.9 प्रतिशत के अपेक्षाकृत कम स्तर पर होने के कारण उनमें राजकोषीय गुंजाइश है। हालांकि, जैसा की पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, राजस्व संग्रह कम रहने से राज्यों द्वारा खर्च की गति मंद पड़ जाती है। केंद्र कर उगाही में रहने वाली कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक साधनों के माध्यम से उच्च राजस्व प्राप्त करने पर निर्भर है, उसी प्रकार राज्यों को भी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी तरीकों, कर और गैर-कर, आजमाने की आवश्यकता है जैसा कि रिजर्व बैंक की राज्य वित्त रिपोर्ट, 2019-20 में भी कहा गया है। संघ और राज्य सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति निर्धारित करने में विशुद्ध राजस्व जुटाने के प्रयास, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति रुख और समग्र व्यापक आर्थिक स्थितियां निर्णायक भूमिका निभाएंगी।

## संदर्भ

Ministry of Statistics and Program Implementation (2018). "Report of the Committee of Fiscal Statistics". Retrieved from: [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/committee\\_reports/Report%20of%20the%20Committee%20on%20Fiscal%20Statistics.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/committee_reports/Report%20of%20the%20Committee%20on%20Fiscal%20Statistics.pdf)

Reserve Bank of India (2018). "Government Finances 2018-19: A Mid-Year Review". Retrieved from: [https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewBulletin.aspx?Id=17938](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=17938)

Financial Stability Board, International Monetary Fund (2009). "The Financial Crisis and Information Gaps". Retrieved from: <https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdf>

International Monetary Fund, Financial Stability Board (2019). "G20 Data Gaps Initiative: The Fourth Progress Report—Countdown to 2021". Retrieved from: <https://www.fsb.org/2019/10/g20-data-gaps-initiative-dgi-2-the-fourth-progress-report-countdown-to-2021/>

Reserve Bank of India (2019). "State Finances A Study of Budgets of 2019-20". Retrieved from: <https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=State%20Finances%20:%20A%20Study%20of%20Budgets>

#### **Websites**

The office of the Comptroller and Auditor General of India. <https://cag.gov.in/>

The Office of Controller General of Accounts. <http://www.cga.nic.in/>

## परिशिष्ट

## सारणी 1: अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान केंद्र सरकार के बजट की स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>816.5</b>	<b>691.8</b>	<b>1962.8</b>	<b>1725.7</b>	<b>41.6</b>	<b>40.1</b>	<b>18.0</b>	<b>11.0</b>
1.1. कर राजस्व (निवल)	607.4	582.8	1649.6	1480.6	36.8	39.4	4.2	7.5
1.2. करेतर राजस्व	209.0	109.0	313.2	245.1	66.7	44.5	91.8	34.8
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	6.5	5.8	13.7	15.2	47.3	38.5	10.9	30.9
<b>2. पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>20.6</b>	<b>17.7</b>	<b>119.8</b>	<b>92.2</b>	<b>17.2</b>	<b>19.2</b>	<b>16.2</b>	<b>-34.4</b>
2.1. ऋणों की वसूली	8.2	7.8	14.8	12.2	55.6	63.8	5.8	6.9
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	12.4	9.9	105.0	80.0	11.8	12.4	24.3	-49.7
<b>3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)</b>	<b>837.1</b>	<b>709.5</b>	<b>2082.6</b>	<b>1817.9</b>	<b>40.2</b>	<b>39.0</b>	<b>18.0</b>	<b>9.1</b>
<b>4. राजस्व व्यय</b>	<b>1301.1</b>	<b>1141.6</b>	<b>2447.8</b>	<b>2141.8</b>	<b>53.2</b>	<b>53.3</b>	<b>14.0</b>	<b>13.8</b>
जिसमें से								
(i) ब्याज भुगतान	270.7	255.4	660.5	575.8	41.0	44.4	6.0	13.1
<b>5. पूंजीगत व्यय</b>	<b>187.5</b>	<b>162.6</b>	<b>338.6</b>	<b>300.4</b>	<b>55.4</b>	<b>54.1</b>	<b>15.3</b>	<b>11.1</b>
जिसमें से								
(i) ऋण और अग्रिम	14.8	10.5	27.8	21.7	53.4	48.4	40.8	-47.1
<b>6. कुल व्यय (4+5)</b>	<b>1488.6</b>	<b>1304.2</b>	<b>2786.3</b>	<b>2442.2</b>	<b>53.4</b>	<b>53.4</b>	<b>14.1</b>	<b>13.5</b>
<b>7. राजस्व घाटा (4-1)</b>	<b>484.6</b>	<b>449.8</b>	<b>485.0</b>	<b>416.0</b>	<b>99.9</b>	<b>108.1</b>	<b>7.7</b>	<b>18.5</b>
<b>8. राजकोषीय घाटा (6-3)</b>	<b>651.6</b>	<b>594.7</b>	<b>703.8</b>	<b>624.3</b>	<b>92.6</b>	<b>95.3</b>	<b>9.6</b>	<b>19.2</b>
<b>9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}</b>	<b>380.9</b>	<b>339.3</b>	<b>43.3</b>	<b>48.5</b>	<b>879.8</b>	<b>699.9</b>	<b>12.2</b>	<b>24.2</b>

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

## सारणी 2: केंद्र सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	तिमा.1		तिमा.2		बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
					तिमा.1		तिमा.2		2019-20	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	तिमा.1	तिमा.2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>284.9</b>	<b>267.8</b>	<b>531.6</b>	<b>424.0</b>	<b>14.5</b>	<b>15.5</b>	<b>27.1</b>	<b>24.6</b>	<b>6.4</b>	<b>25.4</b>
1.1. कर राजस्व (निवल)	251.4	237.2	356.0	345.6	15.2	16.0	21.6	23.3	6.0	3.0
1.2. करेतर राजस्व	33.5	30.6	175.6	78.4	10.7	12.5	56.1	32.0	9.4	124
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	3.3	2.5	3.2	3.4	23.8	16.3	23.5	22.2	31.8	-4.4
<b>2. पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>4.8</b>	<b>10.8</b>	<b>15.8</b>	<b>6.9</b>	<b>4.0</b>	<b>11.8</b>	<b>13.2</b>	<b>7.5</b>	<b>-56.1</b>	<b>129.9</b>
2.1. ऋणों की वसूली	2.4	2.1	5.8	5.7	16.2	17.1	39.3	46.7	15.6	2.3
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	2.4	8.8	10.0	1.2	2.2	11.0	9.5	1.5	-73.1	744.1
<b>3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)</b>	<b>289.7</b>	<b>278.6</b>	<b>547.4</b>	<b>430.9</b>	<b>13.9</b>	<b>15.3</b>	<b>26.3</b>	<b>23.7</b>	<b>4.0</b>	<b>27.0</b>
<b>4. राजस्व व्यय</b>	<b>658.7</b>	<b>620.7</b>	<b>642.4</b>	<b>520.9</b>	<b>26.9</b>	<b>29.0</b>	<b>26.2</b>	<b>24.3</b>	<b>6.1</b>	<b>23.3</b>
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	141.8	144.9	128.9	110.5	21.5	25.2	19.5	19.2	-2.2	16.7
<b>5. पूंजीगत व्यय</b>	<b>63.0</b>	<b>87.0</b>	<b>124.5</b>	<b>75.6</b>	<b>18.6</b>	<b>29.0</b>	<b>36.8</b>	<b>25.2</b>	<b>-27.6</b>	<b>64.6</b>
जिसमें से										
(i) ऋण और अग्रिम	6.0	10.0	8.8	0.6	21.7	45.7	31.7	2.7	-39.4	1422.7
<b>6. कुल व्यय (4+5)</b>	<b>721.7</b>	<b>707.6</b>	<b>766.9</b>	<b>596.6</b>	<b>25.9</b>	<b>29</b>	<b>27.5</b>	<b>24.4</b>	<b>2.0</b>	<b>28.6</b>
<b>7. राजस्व घाटा (4-1)</b>	<b>373.8</b>	<b>352.9</b>	<b>110.8</b>	<b>96.9</b>	<b>77.1</b>	<b>84.8</b>	<b>22.8</b>	<b>23.3</b>	<b>5.9</b>	<b>14.3</b>
<b>8. राजकोषीय घाटा (6-3)</b>	<b>432.1</b>	<b>429.0</b>	<b>219.5</b>	<b>165.7</b>	<b>61.4</b>	<b>68.7</b>	<b>31.2</b>	<b>26.5</b>	<b>0.7</b>	<b>32.5</b>
<b>9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}</b>	<b>290.3</b>	<b>284.1</b>	<b>90.6</b>	<b>55.2</b>	<b>670.6</b>	<b>586</b>	<b>209.2</b>	<b>113.8</b>	<b>2.2</b>	<b>64.1</b>

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

## सारणी 3: अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान राज्य सरकारों के बजट की स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)			(प्रतिशत)			
	अनंतिम वास्तविक डाटा			बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	865.9	1007.7	1058.1	40.7	38.9	16.4	5.0
1.1. कर राजस्व	677.6	770.1	789.5	42.5	39.7	13.7	2.5
1.2. करेतर राजस्व	56.0	70.3	69.3	34.7	31.7	25.6	-1.5
1.3. सहायता-अनुदान और अंशदान	132.3	167.3	199.3	36.2	39.0	26.5	19.2
<b>2. पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	2.1	8.0	12.4	15.3	21.7	272.2	56.0
2.1. ऋणों / अग्रिमों की वसूली	2.1	7.2	12.4	14.2	22.3	244.8	72.2
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.1	0.8	0.1	65.4	3.1	1272.6	-92.3
<b>3. राजस्व व्यय</b>	908.7	1009.7	1105.4	40.5	40.0	11.1	9.5
जिसमें से							
(i) ब्याज भुगतान	99.2	107.9	123.3	39.0	40.1	8.8	14.4
<b>4. पूंजीगत व्यय</b>	122.1	150.3	156.2	30.8	30.3	23.1	3.9
4.1. पूंजीगत परिव्यय	111.3	134.6	137.5	29.8	28.7	20.8	2.2
4.2. संवितरित ऋण और अग्रिम	10.7	15.8	18.7	43.9	50.9	46.9	18.4
<b>5. राजकोषीय घाटा [(3+4) - (1+2)]</b>	162.7	144.4	191.0	31.9	38.0	-11.2	26.0
<b>6. राजस्व घाटा (3-1)</b>	42.8	2.0	47.3	11.9	107.7	-95.4	2281.1

स्रोत : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

## सारणी 4: राज्य सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	अनंतिम वास्तविक डाटा				बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	तिमा.1		तिमा.2		तिमा.1		तिमा.2		2019-20	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	तिमा.1	तिमा.2
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	478.5	479.9	579.6	527.9	17.6	19.4	21.3	21.3	-0.3	9.8
1.1. कर राजस्व	371.3	366.2	418.2	403.9	18.7	20.2	21.0	22.3	1.4	3.5
1.2. करेतर राजस्व	32.2	34.8	37.1	35.5	14.7	17.2	17.0	17.5	-7.6	4.6
1.3. सहायता-अनुदान और अंशदान	70.6	78.8	128.8	88.4	13.8	17.1	25.2	19.2	-10.5	45.6
<b>2. पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	1.1	5.8	11.3	2.1	2.0	11.2	19.7	4.1	-80.3	426.3
2.1. ऋणों / अग्रिमों की वसूली	1.1	5.7	11.2	1.4	2.0	11.3	20.3	2.8	-80.5	683.8
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.0	0.1	0.0	0.7	1.6	6.1	1.5	59.3	-57.0	-96.0
<b>3. राजस्व व्यय</b>	480.2	474.7	625.2	535.0	17.4	19.1	22.6	21.5	1.2	16.9
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	50.2	41.8	73.2	66.1	16.3	15.1	23.8	23.9	20.1	10.7
<b>4. पूंजीगत व्यय</b>	62.9	67.8	93.3	82.6	12.2	13.9	18.1	16.9	-7.2	13.0
4.1. पूंजीगत परिव्यय	57.6	62.4	80.0	72.1	12.0	13.8	16.7	16.0	-7.8	10.9
4.2. संवितरित ऋण और अग्रिम	5.3	5.3	13.4	10.5	14.5	14.9	36.4	29.1	-0.2	27.9
<b>5. राजकोषीय घाटा [(3+4)-(1+2)]</b>	63.4	56.8	127.6	87.5	12.6	12.6	23.6	19.3	11.6	35.3
<b>6. राजस्व घाटा (3-1)</b>	1.7	-5.1	45.6	7.1	3.8	-30.7	103.8	42.6	-133.0	541.1

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

**सारणी 5: संयुक्त सरकारी वित्त (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)**

मद	2018-19				2019-20	
	तिमा.1	तिमा.2	तिमा.3	तिमा.4	तिमा.1	तिमा.2
कर राजस्व	13.4	15.9	16.2	17.8	12.7	15.6
करेतर राजस्व	3.2	4.3	3.0	5.8	2.8	6.9
पूँजीगत प्राप्ति	0.4	0.2	0.8	1.6	0.1	0.5
कुल प्राप्ति	17.0	20.4	19.9	25.2	15.6	23.0
कुल व्यय	27.4	25.8	24.2	27.8	25.7	29.8
राजस्व व्यय	24.2	22.6	21.2	22.6	23.3	25.5
पूँजीगत व्यय	3.2	3.3	3.0	5.2	2.5	4.3
सकल राजकोषीय घाटा	10.6	5.4	4.2	2.5	10.1	6.8
राजस्व घाटा	7.6	2.3	2.1	-1.0	7.8	3.1

टिप्पणी : आंकड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनंतिम वित्त के अनुसार दिए गए हैं।  
आंकड़े केंद्र सरकार और 23 राज्यों से संबन्धित हैं।

**सारणी 6: संयुक्त सरकारी वित्त (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)**

	2018-19	2019-20
	अप्रैल से सितंबर	अप्रैल से सितंबर
कर राजस्व	14.7	14.2
करेतर राजस्व	3.8	4.8
पूँजीगत प्राप्ति	0.3	0.3
कुल प्राप्ति	18.7	19.4
कुल व्यय	26.6	27.8
राजस्व व्यय	23.4	24.4
पूँजीगत व्यय	3.3	3.4
सकल राजकोषीय घाटा	8.0	8.4
राजस्व घाटा	4.9	5.4

टिप्पणी : आंकड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनंतिम वित्त के अनुसार दिए गए हैं।  
आंकड़े केंद्र सरकार और 23 राज्यों से संबन्धित हैं।



## परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं: एक झलक\*

इस आलेख में भारत में समग्र स्तर पर महसूस की गई मुद्रास्फीति की तुलना में परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं की विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। इसमें 2018-19 के दौरान मुद्रास्फीति को लेकर की गई अपेक्षाओं के संबंध में क्षेत्रीय और व्यावसायिक स्तर पर पाई गई भिन्नताओं को भी परखा गया है। वर्ष 2018-19 में अधिकांश सर्वेक्षण केंद्रों और व्यवसाय श्रेणियों में मुद्रास्फीति बढ़ने की अपेक्षा की गई है। लंबी अवधि के विश्लेषण से पता चलता है कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अनुरूप मुद्रास्फीति बढ़ने को लेकर उत्तरदाताओं की अपेक्षाओं में एकरूपता पाई गई है। अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में पिछली पूर्वानुमान त्रुटियों मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में सहायक हैं।

### परिचय

परिवार आर्थिक एजेंट होते हैं जो बचत, व्यय और निवेश जैसी अपनी गतिविधियों की व्यवस्था कई कारकों के आधार पर करते हैं, जिनमें मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं (आईई) भी शामिल हैं। वेतन वार्ता को अक्सर परिवारों के मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण (एक्सलॉड एवं अन्य, 2018 और बुलार्ड, 2016) में परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2005 से प्रमुख शहरी केन्द्रों में परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) किया जा रहा है (अनुबंध 1)। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति एवं औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) मुद्रास्फीति का उपयोग करते हुए शर्मा और बिच्चल (2018) ने पाया है कि भारत में मुद्रास्फीति को लेकर की गई अपेक्षाएं तर्कसंगत नहीं हैं। तत्पश्चात, साव (2019) ने परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को तर्कसंगत अपेक्षाओं में तबदील किया और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं की तुलना में अपने पूर्वानुमान की क्षमता का आकलन किया। इस आलेख में, परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं के तीन पहलुओं पर

\* यह आलेख पूर्णिमा साव, ए.आर. जयरामन और तुषार बी. दास द्वारा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के हाउसहोल्ड सर्वेक्षण प्रभाग में तैयार किया गया है।

आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

विचार किया गया है। पहला, 2018-19 के दौरान, समग्र स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – शहरी (सीपीआई-यू) की तुलना में परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं की विशेषताओं को परखा गया है। दूसरे, इसमें क्षेत्रीय और व्यावसायिक स्तर पर पाई गई भिन्नताओं की जांच को विश्लेषण के दायरे में लाया गया है। अंततः, लॉन्गर टाइम सीरीज़ डेटा का उपयोग करते हुए, इस आलेख का लक्ष्य मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं एवं वास्तविक मुद्रास्फीति के बीच समय की भिन्नता के अंतर का उपयोग करते हुए पूर्वानुमान त्रुटि के आकार का आकलन करना है।

आलेख के शेष भाग को निम्नानुसार पेश किया गया है। खंड 2 में 2018-19 की चौथी तिमाहियों के दौरान परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में पाए गए संचलन को दर्शाया गया है। इसमें प्रमुख शहरों और जनसंख्या समूहों में मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में भिन्नताओं पर भी निगाह डाला गया है। खंड 3 में मुद्रास्फीति के लक्ष्य के सापेक्ष परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। खंड 4 में मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं के लक्षणों का अध्ययन किया गया है, जिसके लिए प्राप्त मुद्रास्फीति मूल्यों की अपेक्षा परिवारों की अनुमानित मुद्रास्फीति के पूर्व के विचलनों का उपयोग किया गया है। अंतिम खंड 5 में अध्ययन के निष्कर्षों का सार दिया गया है।


### 2. मुद्रास्फीति के संबंध में परिवारों का दृष्टिकोण – मोटे तौर पर पाए गए रुझान

सामान्य कीमत स्तर को लेकर परिवारों की अपेक्षाएं 2018-19 की अलग-अलग तिमाहियों में व्यापक रूप से भिन्न थीं। सामान्य कीमत स्तर<sup>2</sup> के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया<sup>1</sup> से मालूम होता है कि कीमत में, स्पष्ट रूप से 2018-19 की तीसरी तिमाही में, कमी होने की अपेक्षा की गई है और वह भी अगली तिमाही में धीरे-धीरे बढ़ने से पहले (चार्ट 1ए)। सामान्य तौर पर, शुद्ध प्रतिक्रियाएं इस अवधि के दौरान सकारात्मक दायरे में बनी रहीं और इसी शहरी सूचकांक (सीपीआई-यू) में क्रमिक वृद्धि से इसकी पुष्टि की गई। विभिन्न उत्पाद समूहों की कीमतों को लेकर की गई अपेक्षाएं, आवास की कीमतों के सिवाय, सामान्य कीमतों की अपेक्षाओं के अनुरूप थीं (अनुबंध 2, चार्ट 1ए (i) से 1ए (v))।

<sup>1</sup>मूल्य स्तर के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया, “मूल्य में वृद्धि” की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात से “मूल्य में कमी” की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात को घटाकर प्राप्त की जाती है।

<sup>2</sup>तीन बिंदु प्रतिक्रिया पैमाना विकल्पों के आधार पर, अर्थात्, “कीमतें बढ़ेंगी”, “कीमतों में कोई बदलाव नहीं” और “कीमतों में गिरावट”।

चार्ट I: सामान्य कीमतें – गुणात्मक प्रतिक्रियाओं का सारांश



मुद्रास्फीति संबंधी मनोभावों से पता चलता है कि कीमत वृद्धि दर<sup>4</sup> के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया<sup>3</sup> पर आधारित तीन माह आगे की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं ने 2018-19 के दौरान धीरे-धीरे जोर पकड़ा, और इस प्रकार वह 2018-19 की तीसरी तिमाही में उंचाई पर पहुंच गया, जो वर्ष के पूर्वार्ध में पेट्रोल और डीजल कीमत मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के साथ सरोकार रखता है (चार्ट 1बी और अनुबंध 2, चार्ट 1बी(i) से 1बी(v))। वर्ष 2018-19 के पूर्वार्ध में तीन माह आगे की अवधि के लिए खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर की गई अपेक्षाएं बढ़ीं, जो दर्शाता है कि खाद्य समूह के अंतर्गत कुछ मदों जैसे फलों और अंडों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जबकि सब्जियों में अपस्फीति महसूस करने के बावजूद वर्ष के उत्तरार्ध में मनोभाव उच्च स्तर पर रहीं। परिवारों ने, 2018-19 की चौथी तिमाही के सर्वेक्षण दौर में, एक वर्ष आगे की सीमा हेतु खाद्य मुद्रास्फीति कम होने की अपेक्षा की है। वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान परिवहन और संचार उप-समूहों में मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद उच्च स्वास्थ्य और

शिक्षा मुद्रास्फीति के चलते सेवाओं की लागत बढ़े रहने की अपेक्षा की गई है।


खाद्य मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), पेट्रोलियम उत्पाद एवं परिवहन सेवाओं की कीमतों के बढ़ने से ईंधन मुद्रास्फीति उच्च होने के कारण परिवारों ने 2018-19 के पूर्वार्ध (चार्ट 1बी) में औसत मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ने की अपेक्षा की है। तीन माह आगे की अवधि के लिए औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएं 7.8-9.4 प्रतिशत के बीच और एक वर्ष आगे की अवधि के लिए 8.1-10.1 प्रतिशत के बीच रहीं। हालांकि, शुद्ध आधार पर, तीन माह आगे और एक वर्ष आगे की अवधि हेतु क्रमशः 2018-19 की चौथी एवं पहली तिमाही में अपेक्षाओं में 110 आधार अंकों और 200 आधार अंकों की तेज गिरावट आई (चार्ट 1ए और 1बी)। वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में सब्जियों की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बावजूद, यह मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सका क्योंकि यह अभी भी अपस्फीति में थी।

## 2ए. मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में क्षेत्रीय भिन्नताएं

इस खंड में 2017-18 से 2018-19 तक मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के संबंध में गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन को लेकर क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किया गया है। केंद्रों को, इस अवधि में शुद्ध प्रतिक्रिया (4 तिमाहियों के औसत) में पाई गई कमी / वृद्धि

<sup>3</sup>मूल्य वृद्धि की दर के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया, “वर्तमान दर से भी अधिक दर से मूल्य वृद्धि” की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं (“मूल्य वृद्धि” की अपेक्षा करने वालों में से) के अनुपात को “मौजूदा दर से कम दर में वृद्धि” की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं (“मूल्य वृद्धि” की अपेक्षा करने वालों में से) के अनुपात से घटाकर प्राप्त की जाती है।

<sup>4</sup>तीन बिंदु प्रतिक्रिया पैमाना विकल्पों के आधार पर, अर्थात्, “वर्तमान दर से अधिक मूल्य वृद्धि”, “वर्तमान दर के समान मूल्य वृद्धि” और “वर्तमान दर से कम मूल्य वृद्धि”।




के आधार पर आशावादी और गैर-आशावादी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण मानता है कि पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रतिक्रिया में वृद्धि 2018-19 में 2017-18 की अपेक्षा महसूस किए गए उच्च मुद्रास्फीति दबाव को दर्शाती है।

$$NR_y = y \text{ वर्ष के दौरान कीमत वृद्धि दर संबंधी औसत शुद्ध प्रतिक्रिया}$$

तीन माह आगे की अपेक्षाओं के लिए उपर्युक्त तरीके के अनुसार वर्गीकृत केंद्रों को चार्ट IIIए में तथा एक वर्ष आगे की अपेक्षाओं के लिए चार्ट IIIबी में दर्शाया गया है। 18 सर्वेक्षण केंद्रों में से, तीन माह आगे की अवधि के लिए 11 केंद्रों को गैर-आशावादी पाया गया और एक वर्ष आगे की अवधि के लिए 13

$$\begin{aligned} \text{आशावादी} & \quad NR_{2018-19} \leq NR_{2017-18} \\ \text{मुद्रास्फीति अपेक्षाएं:} & \\ \text{गैर-आशावादी} & \quad NR_{2018-19} > NR_{2017-18} \\ \text{मुद्रास्फीति अपेक्षाएं:} & \end{aligned} \quad (1)$$



केंद्रों को गैर-आशावादी पाया गया। अधिकांश गैर-आशावादी केंद्रों में 2017-18 से 2018-19 तक सीपीआई-यू मुद्रास्फीति बढ़ गई है। दोनों अपेक्षा अवधियों के मामले में तिरुवनंतपुरम स्थित उत्तरदाता ज्यादा गैर-आशावादी थे और इसके लिए उन्होंने राज्य में बाढ़ को लेकर अपने मनोभावों को जिम्मेदार ठहराया।


### 2बी. मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में व्यवसाय-वार भिन्नताएं

विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के लिए भी उपर्युक्त वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया गया (तीन माह आगे की अवधि के लिए चार्ट IVए में तथा एक वर्ष आगे की अवधि के लिए चार्ट IVबी में दर्शाया गया है)। तिरछी रेखा के ऊपर दिखाई देने वाली व्यावसायिक श्रेणियां 2018-19 में गैर-आशावादी मनोभावों को दर्शाती हैं। सभी व्यवसाय श्रेणियों के मामले में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में दोनों अपेक्षा अवधियों के लिए मुद्रास्फीति बढ़ने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी सबसे गैर-आशावादी उत्तरदाता बने। अधिकांश व्यावसायिक श्रेणियों के मामले में शुद्ध प्रतिक्रिया 2017-18 की दूसरी और तीसरी तिमाही के साथ-साथ 2018-19 (अनुबंध 2, सारणी ए और बी) के दौरान सबसे अधिक थी।

### 3. मुद्रास्फीति के लक्ष्य के सापेक्ष मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं


रिजर्व बैंक ने औपचारिक रूप से जून 2016 (RBI, 2016) में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) का ढांचा अपनाया। औसतन, जिन उत्तरदाताओं ने तीन माह आगे की मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच (अर्थात् मुद्रास्फीति लक्ष्य को लेकर 4 प्रतिशत का दायरा) होने की अपेक्षा की थी, उनकी अपेक्षा एफआईटी<sup>5</sup>-पूर्व अवधि में 16 प्रतिशत से बढ़कर एफआईटी-पश्चात की अवधि में 27 प्रतिशत हो गई। बंगलुरु में उन उत्तरदाताओं की हिस्सेदारी में खासा वृद्धि हुई जिन्होंने यह अपेक्षा की थी कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे के भीतर रहेगी, वहीं अहमदाबाद (चार्ट Vए) में न्यूनतम सुधार देखा गया। एफआईटी-पश्चात की अवधि में, बंगलुरु में सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने तीन माह आगे की मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच रहने की सूचना दी।

विभिन्न दौरों में मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के दायरे के भीतर होने की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं में आम सहमति की मात्रा का विश्लेषण किया गया, जिसके लिए एफआईटी-पश्चात दौरों में मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक होने की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात की भिन्नता के गुणांक का उपयोग किया गया। बुलबुले का आकार



<sup>5</sup> 2013-14 की पहली तिमाही से 2015-16 की चौथी तिमाही और 2016-17 की पहली तिमाही से 2018-19 की चौथी तिमाही के सर्वेक्षण दौर क्रमशः एफआईटी-पूर्व और एफआईटी-पश्चात अवधि बनाते हैं। विश्लेषण 15 शहरों के लिए किया गया है, जो एफआईटी-पूर्व और एफआईटी-पश्चात अवधियों के दौरान सामान्य रहे हैं।

चार्ट V: मुद्रास्फीति 2 – 6 प्रतिशत के बीच होने की अपेक्षा करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात



जितना छोटा होता है, उस केन्द्र में आम सहमति उतनी ही ज्यादा होती है। जिन केन्द्रों में मुद्रास्फीति लक्ष्य को लेकर की गई अपेक्षाओं में अधिक एकरूपता पाई गई, उनमें से मुंबई के उत्तरदाताओं ने एफआईटी-पश्चात के सर्वेक्षण दौरों में सबसे अधिक आम सहमति दिखाई और भुवनेश्वर के उत्तरदाताओं ने न्यूनतम आम सहमति दिखाई।

उपरोक्त विश्लेषण जब एक वर्ष आगे की अवधि के लिए दोहराया गया तो हैदराबाद को छोड़कर सभी केंद्रों में उत्तरदाताओं के बीच मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बेहतर सामंजस्य पाया गया। पटना में एफआईटी-पूर्व से एफआईटी-पश्चात अधिकतम सुधार देखा गया। दूसरी ओर, मुद्रास्फीति 2-6 प्रतिशत के बीच होने की अपेक्षा करने वालों में कोलकाता में सर्वाधिक आम सहमति बनी जबकि भुवनेश्वर में न्यूनतम एकरूपता देखी गई (चार्ट Vबी)।

#### 4. परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों का स्वरूप

सर्वेक्षण की शुरुआत से यह पूर्वाग्रह देखने को मिलता है कि तीन माह आगे की अवधि के मामले में परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में औसतन लगभग 300 आधार अंक और एक वर्ष आगे की अवधि के मामले में 400 आधार अंक ज्यादा रहती हैं। भारत में मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं कारगर नहीं हैं, क्योंकि उत्तरदाता

अपनी मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षा करते वक्त पुरानी पूर्वानुमान त्रुटियों में निहित सभी जानकारियों का उपयोग नहीं करते (शर्मा और बिच्चल, 2018)। इसलिए, यह खोजना रुचिकर होगा कि क्या पुरानी पूर्वानुमान त्रुटियों का उपयोग करने के जरिए मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में सुधार करने से भावी अवधि हेतु मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में त्रुटियों को कम किया जा सकता है। इसका विश्लेषण करने के लिए, 2008-09 की दूसरी तिमाही से 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए तीन माह आगे की औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाओं तथा 2008-09 की तीसरी तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही तक प्राप्त अवधि के लिए सीपीआई शहरी<sup>6</sup> मुद्रास्फीति पर विचार किया गया। मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं वास्तविक मुद्रास्फीति से कितनी पिछड़ रही हैं, उसके विचलन के सांख्यिकीय आकलन से पाया गया कि विचलन का केवल पहला अंतराल वर्तमान विचलन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। यदि औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएं पिछली तिमाही में प्राप्त मुद्रास्फीति की अपेक्षा 10 प्रतिशत अंक अधिक होती हैं तो वर्तमान तिमाही में औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएं प्राप्त मुद्रास्फीति की अपेक्षा 8 प्रतिशत अंक अधिक होने की संभावना है (सारणी 1)। अत्यधिक नकारात्मक और महत्वपूर्ण अवरोधन

<sup>6</sup> 2013-14 की चौथी तिमाही से पहले की तिमाहियों के लिए सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) सीरीज का उपयोग करके बैक-कास्ट किया गया था।

बड़े पैमाने पर उपर्युक्त पूर्वाग्रह को दर्शाता है (अर्थात, औसतन, प्राप्त मुद्रास्फीति औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाओं से कम रहती है)।

$$D_t^{3M} = c + \sum_{j=1}^k D_{t-j}^{3M} + \epsilon_t \quad (2)$$

$$\hat{I}_{t+1} = \hat{D}_{t+1}^{3M} + ie_{t+1}^t \quad (3)$$

$$D_t^{3M} = I_t - ie_t^{t-1}$$

$I_t$  =  $t$  तिमाही पर सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति

$ie_t^{t-1}$  = सर्वेक्षण तिमाही ( $t-1$ ) में  $t$  तिमाही के लिए की गई तीन माह आगे की औसत मुद्रास्फीति अपेक्षा

$\epsilon_t$  = अवशिष्ट

$k$  = एक-एक सूचना मापदण्ड का उपयोग कर के अंतराल की संख्या का पता लगाया जाता है

$\hat{D}_{t+1}^{3M}$  =  $D_{t+1}^{3M}$  के पूर्वानुमान सैम्पल में से एक तिमाही आगे

$\hat{I}_{t+1}$  =  $I_{t+1}$  के पूर्वानुमान सैम्पल में से एक तिमाही आगे

सैम्पल में से समीकरण (2) और (3) का उपयोग करते हुए 2017-18 की दूसरी तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही के मामले में एक तिमाही आगे के मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान बताते हैं कि पूर्वानुमान औसतन मुद्रास्फीति की संख्या (चार्ट VIए) से 96 आधार अंकों से विचलित हुए हैं। सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति श्रृंखला आम तौर पर 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल के भीतर बनी रही और भविष्यवाणियों के जरिए कुछ ब्लिप्स को

**सारणी 1:  $D_t^{3M}$  के अंतराल के सांख्यिकीय आकलन के परिणाम**

परिवर्ती	सी	पहला अंतराल	दूसरा अंतराल	तीसरा अंतराल	चौथा अंतराल
$I_t - ie_t^{t-1}$	-1.220*	0.692*	-0.078	0.320	-0.252


\* 5 प्रतिशत में काफी है

समायोजित आर-स्क्वायर = 0.600, संभाव्यता (एफ-सांख्यिकी) = 0.000, डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी = 2.150, अवशिष्ट व्हाइट नाइस हैं।

छोड़कर वास्तविक मुद्रास्फीति में समग्र प्रवृत्ति का भली-भांति पता लगाया गया। इसके अलावा, मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान और वास्तविक मुद्रास्फीति के बीच का अंतर मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं और वास्तविक मुद्रास्फीति के बीच के अंतर से बहुत कम। इस प्रकार, सामान्य रूप से, पिछली पूर्वानुमान त्रुटियों का उपयोग करके परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान त्रुटि को कम किया जा सकता है।

एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं का उपयोग करते हुए किए गए उपरोक्त अभ्यास से मालूम होता है कि प्राप्त मुद्रास्फीति से मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में 10 प्रतिशत अंक के विचलन के परिणामस्वरूप औसत मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षा अगली तिमाही में प्राप्त मुद्रास्फीति से 9 प्रतिशत अंक अधिक रह सकती है (अनुबंध 2, सारणी सी)। अध्ययन अवधि के दौरान सैम्पल पूर्वानुमान में औसतन 106 आधार बिंदु (चार्ट VIबी) विचलन पाया गया। इसके अलावा, 2017-18 की तीसरी तिमाही को छोड़कर, अध्ययन अवधि के दौरान प्राप्त मुद्रास्फीति 50 प्रतिशत के विश्वास अंतराल में बनी रही।

**चार्ट VI: मुद्रास्फीति अनुमान**



## 5. निष्कर्ष

उच्च पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण वर्ष 2018-19 के पूर्वार्ध में परिवारों में एक तिमाही आगे की सामान्य मुद्रास्फीति के संबंध में वृद्धि के मनोभाव पाए गए। सब्जियों में अपस्फीति की वजह से मध्यम अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति घटने की अपेक्षा की गई। 2017-18 की तुलना में, अधिकांश सर्वेक्षण केंद्रों और व्यवसाय श्रेणियों में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ने की अपेक्षा की गई है। लंबी अवधि के विश्लेषण से, मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अनुरूप उत्तरदाताओं की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में बढ़ते सामंजस्य का पता चलता है। इसलिए, मुद्रास्फीति लगातार कम रहने से मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को काबू में रखने में आसानी होती है। सामान्यतः, मुद्रास्फीति बढ़ने को लेकर परिवारों की अपेक्षाओं में पूर्वाग्रह पाया गया है, जो लंबी अवधि के मामले में अधिक था। अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि पिछली पूर्वानुमान त्रुटियों में मुद्रास्फीति के संबंध में बाद में किए जाने वाले पूर्वानुमान की दक्षता को बेहतर करने के संबंध में उपयोगी जानकारी है।

## संदर्भ

- Axelrod, S., Lebow, D., and Peneva, E. (2018), 'Perceptions and expectations of inflation by U.S. households', *Finance and Economics Discussion Series 2018-073*, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.
- Bullard, J. (2016), 'Inflation expectations are important to central bankers, too', *President's Message, Federal Reserve Bank of St. Louis*.
- RBI (2016). *Reserve Bank of India Annual Report 2015-16*.
- Sharma, N. K., and Bicchal, M. (2018), 'The properties of inflation expectations: Evidence for India', *Economia* 19(1): 74-89.
- Shaw, P. (2019), 'Using Rational Expectations to Predict Inflation', *Reserve Bank of India Occasional Papers* 40 - No. 1: 2019.







## अनुबंध 1


### मुद्रास्फीति अपेक्षा संबंधी परिवारों का सर्वेक्षण - सैम्पल कवरेज और सर्वेक्षण कार्यक्रम

सर्वेक्षण के त्रैमासिक दौर 18 शहरों में किए गए थे जिनमें विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के उत्तरदाताओं, जैसे, वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों, अन्य कर्मचारियों, स्वरोजगार, गृहणियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, दैनिक श्रमिकों और अन्य लोगों को शामिल किया गया था। जून 2018 के दौर तक, प्रत्येक दौर में 5,500 परिवारों का सर्वेक्षण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें प्रत्येक चार महानगरीय शहरों, जैसे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में से 500 परिवार, और प्रत्येक चौदह प्रमुख शहरों, जैसे, अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में से 250 परिवार शामिल हैं। जनसंख्या अनुमान प्राप्त करने के लिहाज से सैम्पल लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, सर्वेक्षण के सितंबर 2018 दौर से कोटा सैम्पलिंग के स्थान पर दो-चरण की संभाव्यता सैम्पलिंग योजना लागू की गई है। संपूर्ण सैम्पल का आकार 6,000 रखते हुए, जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक शहर के परिवारों की संख्या के अनुपात में शहरवार सैम्पल के आकार में संशोधन किया गया है।

आईईएसएच के सर्वेक्षण कार्यक्रम को चार ब्लॉक में विभाजित किया गया है। ब्लॉक 1 उत्तरदाता के प्रोफाइल जैसे नाम, लिंग, आयु, प्रतिवादी की श्रेणी आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। ब्लॉक 2 और 3 में क्रमशः तीन माह और एक वर्ष आगे के लिए सामान्य और विभिन्न उत्पाद समूहों की कीमतों को लेकर की गई अपेक्षाओं के संबंध में गुणात्मक प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें उत्तरदाताओं की कीमत संबंधी अपेक्षाओं को दर्शाने के लिए पांच विकल्पों का उपयोग किया गया है, जैसे, (i) कीमत में वर्तमान दर से अधिक वृद्धि, (ii) कीमत में वर्तमान दर के समान वृद्धि, (iii) कीमत में वर्तमान दर से कम वृद्धि, (iv) कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं। और (v) कीमतों में गिरावट। ब्लॉक 4 में तीन माह आगे और एक वर्ष आगे की अवधियों के लिए वर्तमान और अपेक्षित मुद्रास्फीति दरों के संबंध में मात्रात्मक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है, जिसमें, मुद्रास्फीति की दर 100 आधार बिंदुओं वाले आकार के मध्यवर्ती वर्ग अंतरालों के साथ '1 प्रतिशत से कम' से '16 प्रतिशत और अधिक' के बीच होती है। यूनिट स्तर के डेटा, डेटा रिलीज़ और प्रशावली बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अनुबंध 2 – चार्ट और सारणियां





## सारणी ए: तीन माह आगे की अपेक्षाओं के मामले में कीमत वृद्धि दर के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया

व्यवसाय श्रेणी	ति1:2017-18	ति2:2017-18	ति3:2017-18	ति4:2017-18	ति1:2018-19	ति2:2018-19	ति3:2018-19	ति4:2018-19
वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी	40.4	50.4	44.0	44.6	55.7	59.0	57.6	47.9
अन्य कर्मचारी	37.9	52.0	52.0	45.3	48.9	56.2	58.9	52.5
स्व-रोजगार	40.6	53.5	49.3	46.9	46.1	45.3	56.6	49.6
गृहिणी	37.6	59.9	59.5	49.3	52.9	59.7	59.1	56.5
सेवानिवृत्त व्यक्ति	35.9	56.5	49.8	43.8	53.3	55.6	53.6	59.5
दैनिक श्रमिक	32.9	54.6	60.0	51.6	53.3	57.4	62.7	55.6
अन्य श्रेणी	36.1	56.5	61.0	45.2	48.0	63.8	62.6	55.0

## सारणी बी: एक वर्ष आगे की अपेक्षाओं के मामले में कीमत वृद्धि दर के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया

व्यवसाय श्रेणी	ति1:2017-18	ति2:2017-18	ति3:2017-18	ति4:2017-18	ति1:2018-19	ति2:2018-19	ति3:2018-19	ति4:2018-19
वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी	38.9	57.7	59.4	55.5	57.3	74.1	69.4	63.2
अन्य कर्मचारी	45.5	55.9	59.0	56.8	59.1	64.7	66.7	60.5
स्व-रोजगार	43.4	53.6	54.3	52.2	55.6	52.4	59.4	51.8
गृहिणी	40.0	65.9	66.6	57.5	59.2	68.7	66.0	65.5
सेवानिवृत्त व्यक्ति	39.1	59.2	58.3	50.3	58.5	52.1	56.6	65.9
दैनिक श्रमिक	38.6	61.6	64.6	60.3	63.4	61.5	65.1	61.8
अन्य श्रेणी	42.5	66.8	72.0	54.6	61.0	70.7	75.5	62.7

सारणी सी:  $D_t^{1Y}$  के अंतराल के सांख्यिकीय आकलन के परिणाम

परिवर्ती	सी	पहला अंतराल	दूसरा अंतराल	तीसरा अंतराल	चौथा अंतराल
$I_t - ie_t^{t-4}$	-2.359*	0.671*	-0.088	0.049	-0.022

\*5 प्रतिशत में काफी है

समायोजित आर-स्क्वायर्ड = 0.497, संभाव्यता (एफ-सांख्यिकी) = 0.000, डर्बिन-वॉटसन सांख्यिकी = 1.947, अवशिष्ट व्हाइट नाइस हैं।



## समष्टि आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की प्रभावकारिता\*

घरेलू भावनाओं से संबंधित प्रगतिशील सर्वेक्षण आमतौर पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह लेख भारत के लिए उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर केंद्रित है। यह कुछ प्रमुख वृहद-आर्थिक संकेतकों, जैसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में सर्वेक्षण के मापदंडों की प्रभावकारिता की जांच करता है। लेख से पता चलता है कि सर्वेक्षण में आर्थिक स्थितियों के बारे में उपयोगी प्रमुख जानकारी है। विशेष रूप से, यह देखा गया है कि कीमतों और सामान्य आर्थिक स्थितियों के बारे में उपभोक्ताओं की प्रत्याशा में उपभोक्ता मूल्य स्फीति की भविष्यवाणी करने की एक उचित क्षमता है।

### परिचय

उपभोक्ता विश्वास को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ केंद्रीय बैंकों और शोधकर्ताओं द्वारा समान रूप से उनके भविष्य के दृष्टिकोण पर एक सामान्य अग्रणी संकेतक माना जाता है (ग्रीनस्पैन, 2002; डीस और ब्रिंका, 2013)। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) वित्तीय और सामान्य आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और बचत के बारे में उनकी प्रत्याशाओं के आधार पर परिवारों की खपत और बचत के भावी विकास के एक संकेतक के रूप में उपभोक्ता विश्वास को परिभाषित करता है, और इसे वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की हालात में भविष्य के महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में प्रारंभिक चेतावनी एक प्रमुख संकेतक मानता है (ओईसीडी, 2019)।

जहां दोनों ही उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं नियमित रूप से उपभोक्ता सर्वेक्षण करती हैं, वहीं इन सर्वेक्षणों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए इसमें अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका में उपभोक्ताओं का मासिक सर्वेक्षण करने और उपभोक्ता प्रत्याशाओं के सूचकांक

का संकलन करने वाला अग्रणी संगठन रहा है। सूचकांक का फोकस त्रिआयामी है अर्थात्, अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में घरेलू संभावनाएं, निकट अवधि में सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी राय, और दीर्घ अवधि के लिए सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में उनका दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त, यह वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के सूचकांक को भी संकलित करता है। यह सूचकांक एक साल पहले की अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में परिवारों की धारणा को इकट्ठा करता है और यह आकलन करता है कि क्या वर्तमान समय प्रमुख घरेलू व्यय, जैसे कि फर्नीचर और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च के लिए, उपयुक्त है। इसी तरह, यूरोपीय आयोग के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में सर्वेक्षण के मापदंडों, जैसे कि वित्तीय स्थिति, सामान्य आर्थिक स्थिति और खर्च, पिछले और आगामी वर्ष दोनों के लिए परिवारों की प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करता है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, 1975 के बाद से उपभोक्ता सर्वेक्षण करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो जिम्मेदार है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त अंतिम विश्वास सूचकांक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, परिवारों की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और टिकाऊ सामान खरीदने के लिए उपयुक्तता के बारे में प्रत्याशाओं पर प्रतिक्रिया का एक संयोजन है। इसी प्रकार, ब्राजील में, फेडरैको डो कॉमेरियो डू एस्टेडो डी साओ पाउलो (एफसीईएसपी) द्वारा संकलित उपभोक्ता विश्वास का सूचकांक, उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति, उनकी भविष्य की संभावनाओं और सामान्य आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है। बैंक इंडोनेशिया भी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए एक मासिक उपभोक्ता सर्वेक्षण करता है।

जहां आर्थिक स्थितियों पर अग्रणी जानकारी प्रदान करने में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की सामान्य उपयोगिता सर्व स्वीकार्य है, वहीं इस लेख में एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय संदर्भ में आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में इस तरह के सर्वेक्षण की प्रभावकारिता के सांख्यिकीय मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। खंड 2 में उपभोक्ता भावनाओं और वृहद आर्थिक मानकों के बीच विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन से सामने आए अंतर-संबंधों पर एक संक्षिप्त साहित्य समीक्षा के साथ लेख प्रारम्भ होता है। इसके बाद खंड 3 में रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर विस्तृत से चर्चा की गयी है, तदुपरांत खंड 4 में उपभोक्ता

\*यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में कार्यरत नितिन कुमार, डी. पी. सिंह और आदित्य मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

दृष्टिकोण और आर्थिक परिस्थितियों के बीच अंतरसंबंध स्थापित करने के लिए लेख में अपनाई गई अनुभवजन्य कार्यप्रणाली के संबंध में विवरण दिए गए हैं। अनुभवजन्य प्रयोग के परिणाम की चर्चा खंड 5 में की गयी है और खंड 6 में निष्कर्ष दिया गया है।

## 2. साहित्यिक सामग्री की समीक्षा

उपभोक्ता भावना संकेतक और मैक्रोइकोनॉमिक मापदंडों के बीच अंतर-संबंध पर अनुभवजन्य साहित्य काफी समृद्ध है क्योंकि इस विषय पर उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं के पास अध्ययन उपलब्ध है। मेंडिसिनो एवं पुंजि (2013) मैक्रोइकोनॉमिक वैरिएबल, जैसे मुद्रास्फीति दर, बहुत मामूली ब्याज दर, साथ ही औद्योगिक उत्पादन और पुर्तगाल के लिए बेरोजगारी दर सहित आर्थिक गतिविधि के उपायों पर उपभोक्ता विश्वास के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (वीएआर) मॉडल का उपयोग किया है। उनके परिणामों से पता चलता है कि उपभोक्ता चोरों की अप्रत्याशित वृद्धि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाती है और मुद्रास्फीति दर को बढ़ाती है। इसी तरह, उपभोक्ता भावनाओं में अचानक सुधार से बेरोजगारी दर में गिरावट आती है।

खपत खर्च की भविष्यवाणी के लिए उपभोक्ता विश्वास के महत्व का विश्लेषण अमेरिका और यूरो क्षेत्र के लिए भी किया गया है (डीस और ब्रिंका, 2013)। लेखकों द्वारा अमेरिका के लिए मिशिगन विश्वविद्यालय के उपभोक्ता वाक्य सूचकांक और यूरोपीय क्षेत्र के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा 1985 से 2010 तक त्रैमासिक आवृत्ति पर निर्मित सूचकांक का उपयोग किया गया है। वीएआर फ्रेमवर्क का फिर से उपयोग करने पर, परिणाम से पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक खपत व्यय का अच्छा भविष्यवक्ता हो सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय और कॉन्फ्रेंस बोर्ड के सर्वेक्षण के उपभोक्ता विश्वास के आधार पर लेमोन और पोर्टनिगाइना (2006) द्वारा निवेशक आशावाद के उपाय के रूप में उपभोक्ता विश्वास का उपयोग करते हुए, निवेशक भावनाओं और स्टॉक प्रतिफल के बीच टाइम-सीरीज संबंध का पता लगाया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि छोटे शेयरों और भविष्य की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिफल के लिए उपभोक्ता विश्वास में पूर्वानुमान लगाने की शक्ति है।

गोलीनेली और पारिगी (2004) द्वारा एक समृद्ध क्रॉस-कंट्री डेटा पैनल का उपयोग आर्थिक गतिविधि के विकास की आशंका में उपभोक्ता भावना सूचकांकों की वैधता का आकलन करने के लिए किया गया है। लगभग 30 वर्षों की अवधि में उनका पैनल आठ देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए में फैल गया है। सह-एकीकृत वीएआर संरचना को लागू करने और सभी देशों के लिए चर के एक सामान्य सेट पर विचार करने पर उनके निष्कर्ष से पता चलता है कि उपभोक्ता विश्वास को सामान्य समष्टि आर्थिक चर के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वे यह भी बताते हैं कि उपभोक्ता विश्वास सूचकांकों में आर्थिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है, बशर्ते कि उनके संयोग की प्रकृति को ध्यान में रखा जाए।

रिजर्व बैंक का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) उत्तरदाताओं की विभिन्न जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है, जिसमें उनके व्यवसाय भी शामिल हैं। कुमार एवं अन्य (2019) द्वारा यह जांच करने का प्रयास किया गया था कि क्या परिवारों के आकलन और उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में उनकी प्रत्याशाएँ उनके पेशे पर निर्भर है। एक सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग करते हुए लेखकों ने दिखाया है कि सामान्य आर्थिक स्थितियों के बारे में राय व्यवसाय समूहों में भिन्न नहीं होती है।

## 3. आंकड़े

हमने जून 2010 से दिसंबर 2018 (35 तिमाहियों)<sup>1</sup> तक सीसीएस के तिमाही आंकड़ों का उपयोग किया है। सीसीएस घरेलू प्रतिक्रियाओं को पांच मापदंडों अर्थात् सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, घरेलू आय और खर्च से प्राप्त किया गया है। एक साल पहले की तुलना वर्तमान स्थिति और एक साल की अवधि में भविष्य के दृष्टिकोण दोनों पर उत्तरदाताओं के विचार मांगे गए हैं। प्रतिक्रियाएं तीन-बिंदु पैमाने पर मांगी गयी है, अर्थात्, सुधार हुआ/सुधार होगा, बिगड़ गया/खराब हो जाएगा और यथा स्थिति रहा/रहेगा। प्रत्येक सर्वेक्षण राउंड के लिए कुल नमूना आकार लगभग 5,400 घरों का है। सर्वेक्षण का विवरण परिशिष्ट ए में विस्तार से दिया गया है।

<sup>1</sup> डेटा सार्वजनिक रूप से रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

चूंकि अध्ययन में परिवारों के दृष्टिकोण की पूर्वानुमान क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विभिन्न सर्वेक्षण मापदंडों के संबंध में एक साल आगे की प्रत्याशाओं के लिए निवल प्रतिक्रिया<sup>2</sup> (एनआर) का उपयोग भावी अपेक्षाओं का सूचकांक (एफईआई)<sup>3</sup> के अतिरिक्त किया गया है। इस लेख में उपयोग किए जाने वाले समष्टि-आर्थिक चर में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद और निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) (दोनों वर्तमान कीमतों पर) की वृद्धि दर शामिल है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के पास उपलब्ध सीपीआई (शहरी) स्फीति दर के तिमाही औसत पर भी विचार किया जाता है। सीपीआई (संयुक्त) के बजाय सीपीआई (शहरी) को चुना गया है क्योंकि वर्तमान में, सीसीएस वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्रों को कवर करता है।

#### 4. कार्यप्रणाली

पहले चर्चा किए गए अध्ययनों के समान, हमने अपने समष्टि-आर्थिक चर में बदलाव और इसके विपरीत सर्वेक्षण मानदंडों<sup>4</sup> के बारे में परिवारों के प्रत्याशाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए वीएआर फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है। वीएआर (पी) को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t \quad \dots(1)$$

जहां  $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})$  t समय पर अंतर्जात चर का (K x 1) सदिश है।  $A_i$  ( $i=1, \dots, p$ ) को (K x K) गुणांक मैट्रिक्स पर निर्धारित किया जाता है और  $E(u_t) = 0$ ,  $E(u_t u_s') = \Omega$ , and  $E(u_t u_s') = 0$  for  $t \neq s$ . के साथ  $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})$  एक K-डाइमेंशनल नवाचार प्रक्रिया है।

उपभोक्ता दृष्टिकोण चर और समष्टि-आर्थिक संकेतक में अंतर्जात चर का सेट शामिल है। अलग-अलग वीएआर निरूपण को प्रत्येक उपभोक्ता दृष्टिकोण चर के लिए इसके पूर्वानुमान की महता की जांच के लिए तैयार किया गया है। आवेग प्रतिक्रिया

<sup>2</sup> ऋणात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत को घटाकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत।

<sup>3</sup> एफईआई एक साल आगे के उपभोक्ता प्रत्याशाओं को दर्शाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, एफईआई = 100 + औसत (चुनिंदा सर्वेक्षण मापदंडों की निवल प्रतिक्रिया)। 100 से ऊपर एफईआई हाउसहोल्ड के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है और 100 से नीचे के एफईआई आंकड़े द्वारा नकारात्मक संभावनाएं इंगित की जाती हैं।

<sup>4</sup> सर्वेक्षण के अनुसार, आगे के एक वर्ष के लिए आउटलुक में पांच मापदंडों अर्थात् सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, कीमत स्तर, हाउसहोल्ड्स की आय और व्यय को पकड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, एफईआई पर भी विचार किया जाता है। इसके बाद, इन छह चर को सामूहिक रूप से अध्ययन में उपभोक्ता दृष्टिकोण या उपभोक्ता प्रत्याशाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है।

प्रकार्य एक-बार के बाहरी झटके के अंतर्जात चर के वर्तमान और भविष्य के मूल्यों की प्रतिक्रिया का पता लगाते हैं। आवेग प्रतिक्रियाएं केवल चुनिंदा मामलों के लिए निकली गयी थी, जहां सर्वेक्षण चर महत्वपूर्ण पाए गए थे।

विभिन्न वीएआर निरूपणों का वर्णन सारणी 1 (परिशिष्ट बी) में किया गया है। घरेलू खर्च और रोजगार के दृष्टिकोण को छोड़कर सीसीएस मापदंडों के लिए अध्ययन किए जाने वाले समष्टि चर का सामान्य सेट जीडीपी वृद्धि दर और सीपीआई (यू) स्फीति है। चूंकि घरेलू व्यय खपत व्यय से अधिक निकटता से संबंधित है, खर्च करने संबंधित दृष्टिकोण के लिए जीडीपी विकास दर के अलावा पीएफसीई वृद्धि को चुना गया है। इसके अलावा, चूंकि यह आमतौर पर देखा जाता है कि आर्थिक गतिविधि और रोजगार के स्तर निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए रोजगार के लिए प्रतिक्रियाओं की जांच करते समय केवल जीडीपी वृद्धि दर का चयन किया गया है।

#### 5. अनुभवजन्य साक्ष्य

##### 5.1 शोधपरक तथ्य

अनुभवजन्य विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की चर्चा शुरू करने से पहले, हम सीसीएस के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ तथ्यपरक तथ्यों को सामने रख रहे हैं। पहले, हम चुनिंदा पिछले राउंड के लिए उत्तरदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण करते हैं (परिशिष्ट बी में चार्ट 1)। यह स्पष्ट है कि परिवारों का वितरण काफी हद तक इन राउंड के समान है। अधिकांश उत्तरदाता (लगभग 90 प्रतिशत) 22 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। इन राउंड में कोई महत्वपूर्ण लिंग भिन्नता नहीं है और पुरुष और महिला उत्तरदाताओं का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले परिवारों की कुल आय 3 लाख रुपए या उससे कम है। अधिकांश उत्तरदाताओं के लिए परिवार का आकार तीन और चार के बीच है। सर्वेक्षण उत्तरदाताओं में गृहणियाँ अग्रणी हैं तथा उसके बाद रोजगार प्राप्त लोगों (वेतनभोगी) और बेरोजगार लोगों की श्रेणियाँ हैं।

दूसरे, उत्तरदाताओं के वितरण को जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके मान्य किया गया है। मोटे तौर पर, नमूना इकाइयों का वितरण विभिन्न जनसांख्यिकीय कारकों के लिए जनगणना 2011 के वितरण से मेल खाता है, जैसा कि चार्ट 2 (परिशिष्ट बी) में दर्शाया गया है।

तीसरा, चार्ट 3 (परिशिष्ट बी) अन्य समष्टि-आर्थिक चर के साथ एफईआई में परिवर्तन को चिन्हित करता है जिससे अन्य प्रमुख आर्थिक विकासों के साथ सह संबंध स्थापित करने में हमें मदद मिलती है। दिसंबर 2016 के बाद से एफईआई 120 से ऊपर रहा है और दिसंबर 2017 में 129 के शिखर पर पहुंच गया था जो विमुद्रीकरण के कारण परिवारों के आशावादी दृष्टिकोण को चित्रित करता है। पिछले कुछ राउंड में पाया गया कि जीडीपी और पीएफसीडी की वृद्धि दर सह-गतिमान रहा है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि दिसंबर 2014 के बाद से मुद्रास्फीति लगातार 6 प्रतिशत से नीचे रहा है।

## 5.2 सामंजस्य<sup>5</sup> - सामान्य आर्थिक स्थिति बनाम अन्य संकेतक

भावी सामान्य आर्थिक स्थिति (जीईएस) अंतर्निहित कारकों के संयोजन को चित्रित कर सकती है। इसलिए, भावी जीईएस के बारे में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाले मानदंड का पता लगाना बहुत ही सुखद हो सकता है। तदनुसार, अन्य संकेतकों के बारे में अपेक्षाओं के साथ भावी जीईएस के बारे में अपेक्षाओं की सुसंगतता सारणी 1 में दर्शाई गई है। यह देखा गया है कि रोजगार से संबंधित दृष्टिकोण भावी जीईएस के लिए महत्वपूर्ण वाहक रहा है; इसके बाद परिवारों की आय के बारे में दृष्टिकोण है, जो लगातार भावी जीईएस का दूसरा सबसे अनुकूल वाहक रहा है।

स्पीयरमैन रैंक कॉरलेशन कोअफिशंट दो क्रमिक चर के बीच सहसंबंध की ताकत और दिशा को दर्शाता है। सुसंगतता परिणाम

### सारणी 1: सामान्य आर्थिक स्थिति पर प्रत्याशा का सामंजस्य बनाम अन्य संकेतक

(उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

राउंड	रोजगार	कीमत	खर्च	आय
सित.-2016	55.4	23.0	53.9	54.6
दिस.-2016	59.6	27.6	57.5	57.6
मार्च-2017	62.6	33.6	49.3	49.8
जून-2017	64.8	36.9	47.7	51.5
सित.-2017	67.0	33.4	47.9	52.6
दिस.-2017	66.0	29.8	51.0	53.0
मार्च-2018	64.8	34.3	47.7	50.8
जून-2018	64.6	32.6	48.3	52.4
सित.-2018	68.9	36.3	48.4	49.4

<sup>5</sup> प्रतिक्रियाओं की कुल संख्या के अनुपात के तौर पर सुसंगतता गुणांक को दो चर पर समान प्रतिक्रियाओं के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

के समान, जीईएस प्रत्याशाओं के साथ रोजगार प्रतिक्रियाओं के बीच स्पीयरमैन रैंक कॉरलेशन कोअफिशंट भी उच्चतम और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है (परिशिष्ट बी में सारणी 2)। आय प्रतिक्रियाओं के बाद रोजगार प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो कि जीईएस के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध साझा करती हैं। खर्च करने से संबंधित दृष्टिकोण में कुछ निश्चित सर्वेक्षण राउंड के लिए भावी जीईएस के साथ नकारात्मक जुड़ाव (यद्यपि कम) है, जिससे पता चलता है कि उच्च खर्च का ताल्लुक भावी जीईएस के बारे में निराशावाद से है।

अगले 12 महीनों के लिए विभिन्न प्रासंगिक आर्थिक पहलुओं पर परिवारों के दृष्टिकोण एकत्रित करने के अलावा, सीसीएस भी पिछले साल की तुलना में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के बारे में उनकी धारणाओं के संबंध में जानकारी जुटाता है। इस संदर्भ में, वर्तमान जीईएस के प्रमुख वाहकों को समझना उपयोगी हो सकता है। इस उद्देश्य के साथ, वर्तमान जीईएस के लिए सुसंगतता और स्पीयरमैन रैंक कॉरलेशन दोनों परीक्षण किया गया है। सुसंगति परिणाम वर्तमान जीईएस के लिए रोजगार को फिर से सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कारक बनाता है (सारणी 2)। स्पीयरमैन कॉरलेशन यह भी दिखाता है कि वर्तमान रोजगार परिदृश्य पर प्रतिक्रियाएं वर्तमान जीईएस के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध (सकारात्मक संकेत के साथ) हैं (परिशिष्ट बी - सारणी 3)। घरेलू आय स्तर चालू जीईएस का निर्धारण करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चर है। संक्षेप में, भावी जीईएस के बारे में वर्तमान और प्रत्याशाओं के बारे में धारणाएं घरेलू आय के बाद रोजगार परिदृश्य के साथ अधिक संरेखित हैं।

### सारणी २: सामान्य आर्थिक स्थिति पर आकलन का सामंजस्य बनाम अन्य संकेतक

(उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

राउंड	रोजगार	कीमत	खर्च	आय
सित.-2016	47.9	31.2	44.3	44.7
दिस.-2016	48.3	33.8	41.9	44.4
मार्च-2017	53.2	42.6	35.3	43.4
जून-2017	54.7	43.7	34.0	42.9
सित.-2017	56.6	42.1	35.5	43.5
दिस.-2017	55.5	39.3	36.8	44.2
मार्च-2018	55.1	44.7	34.8	43.1
जून-2018	56.5	44.0	35.2	43.0
सित.-2018	59.1	45.4	33.2	41.2

### 5.3 सीसीएस संकेतक की तुलना में समष्टि-आर्थिक संकेतक - पूर्वानुमान क्षमता

सीसीएस मापदंडों की पूर्वानुमान क्षमता का विश्लेषण करने के लिए, हम सीसीएस संकेतक और समष्टि-आर्थिक संकेतकों पर निवल प्रतिक्रियाओं (एनआर) के बीच दो साल की अवधि<sup>6</sup> में आवर्ती सहसंबंध स्थापित करते हैं। चर के बीच गतिशील संबंध का आकलन करने के लिए आवर्ती सहसंबंधों की गणना दो साल की निश्चित अवधि के लिए की गई है। साथ ही, दो साल की अवधि घटक श्रृंखला में किसी भी आघात/संरचनात्मक परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। आवर्ती सहसंबंधों से पता चलता है –

- (i) जीडीपी विकास दर के साथ वर्तमान और भावी जीईएस पर एनआर के लिए सकारात्मक सहसंबंध का, खासकर सितंबर 2016 के बाद से; हालांकि, हाल की अवधि में इसमें गिरावट आई है (परिशिष्ट बी - चार्ट 4ए);
- (ii) एनआर के साथ रोजगार परिदृश्य और जीडीपी विकास दर के बीच सहसंबंध के संबंध में एक मिश्रित तस्वीर - उदाहरण के लिए, वर्तमान रोजगार परिदृश्य पर एनआर के साथ सहसंबंधों में सुधार और भविष्य के रोजगार परिदृश्य पर एनआर के साथ सहसंबंधों में गिरावट, हाल के राउंड में और ज्यादा (परिशिष्ट बी - चार्ट 4 बी) );
- (iii) 2013 से 2016 की अवधि के दौरान कीमत और सीपीआई (यू) पर एनआर के बीच व्युत्क्रम सहसंबंध; (परिशिष्ट बी - चार्ट 4सी);
- (iv) मोटे तौर पर, वर्तमान घरेलू आय और जीडीपी विकास दर पर एनआर के बीच सकारात्मक सहसंबंध, विशेष रूप से 2015 के बाद से (परिशिष्ट बी - चार्ट 4डी);
- (v) हमारे अध्ययन अवधि के अधिकांश भाग के लिए भावी खर्च और सीपीआई (यू) स्फीति पर एनआर के बीच नकारात्मक सहसंबंध, हालांकि हालिया अवधि में यह सकारात्मक हो गया है (परिशिष्ट बी चार्ट 4ई)।

हम चरों के विभिन्न युग्मों के बीच ग्रेंजर कारण-कार्य सिद्धांत की जांच करते हैं। ग्रेंजर कारण-कार्य सिद्धांत यह जांचने में सक्षम बनाता है कि क्या किसी चर के संयुक्त अंतराल समग्र अनुमान परिणाम को बेहतर बनाने में सक्षम हैं। चूंकि हमारा ध्यान मैक्रो संकेतकों पर सीसीएस प्रत्याशाओं के संभावित प्रभाव का पता

<sup>6</sup> दो वर्षों के अलावा विंडो अवधि भी चुनी गई थी। यह देखा गया कि परिणाम अन्य विंडो आकार के लिए काफी भिन्न नहीं होते हैं।

लगाना है, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या सीसीएस के विभिन्न घटक ग्रेंजर कारण-कार्य सिद्धांत संबंधित मैक्रो संकेतक का पता लगाने में समर्थ हैं। हमने टोडा और यमामोटो (1995) पद्धति का प्रयोग किया है, जो उचित है जिसमें चर को शायद एकीकृत किया जा सकता है। ग्रेंजर कारण-कार्य सिद्धांत के परिणाम कुछ मामलों को प्रकट करते हैं जिसमें सीसीएस चर का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होता है (परिशिष्ट बी - सारणी 4)। सबसे पहले, कीमत और उपभोक्ताओं की जीईएस प्रतिक्रियाओं दोनों से मुद्रास्फीति के लिए पूर्वानुमान संबंधी जानकारी मिलती है। दूसरी बात यह है कि खपत व्यय प्रत्याशाओं पर खरा उतरने से प्रेरित होता है। तीसरा, रोजगार दृष्टिकोण का जीडीपी विकास दर पर कुछ प्रभाव पड़ता है।

जैसा कि हमारे विश्लेषण में चर हैं  $I(1)$ <sup>7</sup>, जोहानसेन कॉइनग्रेगेशन परीक्षण सभी विशिष्टताओं के लिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई सहएकीकरण संबंध है। यह पाया गया है कि अधिकांश मामलों में चर के बीच किसी भी सहएकीकरण का कोई संकेत नहीं होता है। इसलिए, हम एक अप्रतिबंधित वीएआर चुनते हैं जिसमें सीसीएस और अन्य मैक्रो चर दोनों को पहले अंतर के साथ शामिल किया गया है। वीएआर फ्रेमवर्क को विभिन्न समष्टि-आर्थिक कारकों सहित विभिन्न संकेतकों पर उपभोक्ता भावनाओं के परस्पर क्रिया का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। उपभोक्ता एनआर श्रृंखला का एक उपयुक्त अंतराल विनिर्देश सभी वीएआर मॉडल में चुना जाता है जिससे कि यह एक बेहतर उपयोज्यता प्रदान करे। आर्थिक चर के लिए उपभोक्ता की प्रत्याशाओं के प्रभाव के संचरण के लिए गंभीरतर अंतराल का अधिक समय लग सकता है, जबकि छोटे अंतराल का अर्थ है त्वरित संचरण।

वीएआर<sup>8</sup> परिणामों से संकेत मिलता है कि एफईआई का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध नहीं है (परिशिष्ट बी - सारणी 6)। कीमत दृष्टिकोण पर एनआर का सीपीआई (यू) मुद्रास्फीति पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव है (परिशिष्ट बी - सारणी 7)। इसका नतीजा यह है कि कीमतों के बारे में सार्वजनिक दृष्टिकोण में सुधार के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मुद्रास्फीति में कमी आई है।

आमतौर पर, खाद्य कीमतें परिवारों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, जो कि उनके भविष्य की कीमत और मुद्रास्फीति

<sup>7</sup> वीएआर प्रतिगमन करने से पहले, स्थिरता का परीक्षण किया जाता है। सभी चर  $I(1)$  (परिशिष्ट बी सारणी 5) पाए जाते हैं।

<sup>8</sup> वीएआर के लैंग ऑर्डर (पी) के चयन के संबंध में, हमने मानक सूचना मानदंड का उपयोग किया है जो सभी अनुमानित मॉडल के लिए 2 लैंग को इष्टतम होने का संकेत देता है।

संबंधी प्रत्याशाओं के निर्माण में भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। तदनुसार, उपभोक्ता खाद्य मूल्य स्फीति के संबंध में भावी कीमत एनआर के प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया है (परिशिष्ट सी)। जैसा कि मूल्य एनआर और सीपीआई (यू) संबंधों के लिए पहले पाया गया था, परिणाम से शहरी उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई (यू)) मुद्रास्फीति के आधार पर खाद्य कीमतों पर कीमत दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण प्रभाव का पता चलता है। यह परिणाम समय पर खाद्य मुद्रास्फीति पर कीमत प्रत्याशाओं के मजबूत प्रभाव को रेखांकित करता है। यह आर्थिक मापदंडों के साथ कीमत एनआर के वीएआर अनुमान परिणाम के आधार पर पहले प्राप्त परिणाम की मजबूती को स्थापित करता है।

इसी तरह, भावी जीईएस पर एनआर का सीपीआई (यू) मुद्रास्फीति पर एक मजबूत और विपरीत प्रभाव है (परिशिष्ट बी - सारणी 8)। खर्च संबंधी दृष्टिकोण का सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव जीडीपी और पीएफसीई वृद्धि दर दोनों पर स्पष्ट है (क्रमशः परिशिष्ट बी - सारणी 9 और परिशिष्ट बी - सारणी 10)।<sup>9</sup> हालांकि, भविष्य के घरेलू आय और भविष्य के रोजगार परिदृश्य के संबंध में उपभोक्ता दृष्टिकोण का आर्थिक चर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है, ऐसा नहीं लगता है (क्रमशः परिशिष्ट बी - सारणी 11 और परिशिष्ट बी - सारणी 12)।

आवेग प्रतिक्रिया प्रकार्य (आईआरएफ) से अन्य चरों के वर्तमान और भविष्य के मूल्यों पर एक बार के आघात के प्रभाव का पता चलता है। यह ध्यान दिया जाता है कि एआर रूट्स यूनिट सर्कल के भीतर होती हैं, जो आईआरएफ की स्थिरता और वैधता के लिए एक महत्वपूर्ण निदान है (लुटेकेपोहल, 2005)। वीएआर VAR के परिणाम के समान, यह देखा गया है कि कीमत दृष्टिकोण पर एनआर में एक इकाई मानक विचलन (एसडी) पॉजिटिव शॉक (लाभकारी कीमत व्यवस्था) वृद्धि दर में मामूली गिरावट की ओर जाता है, जो सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन है (परिशिष्ट बी - चार्ट 5)। दूसरी ओर, कीमत दृष्टिकोण पर एनआर के लिए एक अनुकूल आघात के कारण सीपीआई (यू) मुद्रास्फीति में गिरावट आ जाती है। इसी तरह, भावी जीईएस में एक इकाई एसडी पॉजिटिव शॉक का सीपीआई(यू) मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (परिशिष्ट बी - चार्ट 6)। भविष्य के खर्च पर एनआर को आघात

देने से जीडीपी वृद्धि पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है (परिशिष्ट बी - चार्ट 7)। भविष्य के खर्चों पर एनआर को आघात के परिणामस्वरूप पीएफसीई वृद्धि पर एक समान प्रभाव देखा जाता है (परिशिष्ट बी - चार्ट 8)।

आगे बढ़ते हुए, प्रत्येक वीएआर निर्माण का विचरण अपघटन बाहर किया जाता है, जैसा कि पहले से ही सारणी 1 (परिशिष्ट बी) में गणना की गई है। विचरण अपघटन प्रणाली में एक प्रसंभाव्य नवाचार के कारण मात्रा, समायोजन की गति और दृढ़ता को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। एफईआई के लिए विचरण अपघटन परिणाम को चार्ट 9ए (परिशिष्ट बी) में दर्शाया गया है। परिणाम बताते हैं कि जीडीपी वृद्धि दर में केवल 10 प्रतिशत की भिन्नता एफईआई द्वारा तीसरी तिमाही में बताई गई है, जो कि बाकी अवधि में काफी हद तक स्थिर है। महंगाई की भिन्नता को समझने में एफईआई की भूमिका नगण्य है। मुद्रास्फीति में 30 प्रतिशत से अधिक विचलन दूसरी तिमाही तक उपभोक्ता मूल्य की प्रत्याशाओं के कारण है, जो कि पांचवीं तिमाही तक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है और इसके बाद इसको स्थिर करता है (परिशिष्ट बी में चार्ट 9बी)। हालांकि, घरेलू मूल्य प्रत्याशाओं का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का वर्णन करने में एक मामूली योगदान है, चार्ट 9सी (परिशिष्ट बी) से पता चलता है कि मुद्रास्फीति में 20 प्रतिशत से अधिक भिन्नता को तीसरी तिमाही तक सामान्य आर्थिक स्थितियों के बारे में सार्वजनिक धारणा से समझाया गया है, जो ठीक उस तरह है जैसे कि मूल्य अपेक्षाओं के लिए प्राप्त किया गया हो।

क्रमशः चार्ट्स 9डी (परिशिष्ट बी) और 9ई (परिशिष्ट बी) जीडीपी और पीएफसीई वृद्धि दर पर खर्च दृष्टिकोण के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों ही मामलों में, उपभोक्ता प्रत्याशाओं के प्रभाव को अपने उच्चतम बिंदुओं तक पहुंचने के लिए तीन तिमाहियों का समय लगता है। जीडीपी वृद्धि दर के लिए प्रतिक्रियाओं को खर्च करके लगभग 20 प्रतिशत विचलन को समझाया गया है, जबकि उपभोग व्यय के लिए व्याख्यात्मक क्षमता अपेक्षाकृत कम है। मोटे तौर पर, जीडीपी वृद्धि में केवल 4 प्रतिशत की भिन्नता आय के लिए उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के कारण है (परिशिष्ट बी - चार्ट 9एफ)। आर्थिक विकास दर पर रोजगार की प्रत्याशाओं का प्रभाव मामूली माना जाता है (परिशिष्ट बी - चार्ट 9जी)।

<sup>9</sup> इस परिणाम की तुलना डेस और ब्रिका (2013) से की जा सकती है जो अमेरिका और यूरो क्षेत्र के लिए उपभोग की व्याख्या करने में उपभोक्ता भावनाओं की भूमिका का पता लगाता है।

**सारणी ३: रूट मीन स्क्वायर त्रुटि**

मैक्रो वेरिएबल	बेसलाइन रैंडम वॉक	कीमत एनआर	जीईएस एनआर	खर्च एनआर (जीडीपी)	खर्च एनआर (पीएफसीई)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
जीडीपी वृद्धि दर	1.71	2.72	2.97	3.32	---
पीएफसीई वृद्धि दर	2.02	---	---	---	2.82
सीपीआई(यू) मुद्रास्फीति	0.83	0.33	1.34	0.76	0.78

वीएआर के पूर्वानुमान परिणामों का आउट-ऑफ-सैंपल मूल्यांकन एक बेसलाइन रैंडम वॉक<sup>10</sup> के साथ किया गया है। तुलना के लिए, 2017 तक आर्थिक संकेतकों पर विचार किया गया है। इसके बाद, रूट माध्य वर्ग त्रुटि (आरएमएसई) के आधार पर अगले चार डेटा बिंदुओं के लिए पूर्वानुमान मूल्यांकन किया जाता है। सरल रैंडम वॉक के अलावा सब-सैंपल अवधि यानी जून 2010 से दिसंबर 2017 तक के लिए वीएआर रिग्रेशन फ़िर से चलाए गए। अगले वर्ष की चार तिमाहियों पर आधारित आरएमएसई को विभिन्न मॉडलों के लिए सारणी 3 में सारणीबद्ध किया गया है। यह स्पष्ट है कि मल्टीवेरिएट वीएआर फ्रेमवर्क मॉडल [2], [4] और [5] के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में काफी लाभ प्रदान करता है क्योंकि उक्त मॉडल का आरएमएसई बेसलाइन रैंडम वॉक से कम है।

वीएआर फ्रेमवर्क के अलावा, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सीपीआई (यू) आधारित मुद्रास्फीति पर, एकल समीकरण रिग्रेशन का उपयोग करके कीमतों पर आउटलुक के प्रभाव, 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को नियंत्रित करना' की भी जांच की गई है। विवरण परिशिष्ट डी में दिए गए हैं। परिणाम मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के लिए नियंत्रण के बाद कीमत के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाओं में सुधार के साथ ही सीपीआई (यू) मुद्रास्फीति में गिरावट की संपुष्टि करते हैं।

सारांश में, यह पाया गया है कि कीमत, जीईएस और खर्च पर शुद्ध प्रतिक्रियाओं से सीपीआई (यू), जीडीपी और पीएफसीई वृद्धि दर के आने वाले समय के बारे में बहुमूल्य जानकारी है। भारत के लिए ये परिणाम अकेला नहीं हैं; ऐसे परिणाम अन्य अध्ययनों में भी सामने आए हैं।<sup>11</sup>

**6. निष्कर्ष**

अध्ययन में इस बात की जांच की गयी है कि क्या सीसीएस संकेतक प्रमुख समष्टि-आर्थिक संकेतकों के संबंध में कोई पूर्वानुमान

<sup>10</sup> एआर (1) मॉडल।

<sup>11</sup> गोलिनेली और परिगी (2004) देखें।

लगाने की क्षमता रखते हैं। निष्कर्ष से पता चलता है कि कीमत और सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में मुद्रास्फीति (सीपीआई (यू)) के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान क्षमता है। परिवारों के समग्र खर्च पर एनआर का जीडीपी और पीएफसीई दोनों वृद्धि दर पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति डेटा का उपयोग करके भी कीमत दृष्टिकोण के मजबूत प्रभाव की पुष्टि की जा सकती है। हालांकि, इस लेख में प्रस्तुत सांख्यिकीय परिणामों को सीमित नमूने के कारण संकेत के रूप में माना जा सकता है। इस लेख में प्रस्तुत शोध के आधार पर एक व्यापक सूचना समूह का उपयोग करके भविष्य के शोध की नींव डाली जा सकती है।

**संदर्भ**

- Bank Indonesia (2016), Metadata, Consumer Expectation Survey, URL: <https://www.bi.go.id/en/statistik/metadata/survei/Documents/1-Metadata-Consumer-Survey-2016.pdf> (Accessed on 03 April 2019).
- Bureau of Economic Research (2018), "Changes to the BER consumer survey", URL: <https://www.ber.ac.za/Knowledge/pkDownloadDocument.aspx?docid=9331> (Accessed on 03 April 2019).
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M and Evans, C (1997), "Monetary shocks: what have we learned, and to what end?", Handbook of Macroeconomics (Eds.: Woodford, M.). Elsevier, Amsterdam, pp.65-148.
- Dees, S. and Brinca, P.S. (2013), "Consumer confidence as a predictor of consumption spending: Evidence for the United States and the Euro area", International Economics, 134, pp.1-14.
- Golinelli, R. and Parigi, G. (2004), "Consumer sentiment and economic activity", Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 2004(2), pp.147-170.
- Greenspan, A. (2002), "Remarks to the Bay Area Council Conference." San Francisco, California, January 11; Available at <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20020111/default.htm>.
- Kumar, N., Mishra, A. and Singh, D.P. (2019), "The Consumer Rules! Some Recent Survey-based Evidence", RBI Bulletin, April 2019, pp.117-131.

- Lemmon, M. and Portniaguina, E. (2006), "Consumer confidence and asset prices: Some empirical evidence", *The Review of Financial Studies*, 19(4), pp.1499-1529.
- Lutkepohl, H. (2005), "New Introduction to Multiple Time Series Analysis", New York, Springer.
- Mendicino, C. and Punzi, M.T. (2013), "Confidence and economic activity: the case of Portugal", *Economic Bulletin and Financial Stability Report Articles*, Banco de Portugal, pp.39-49.
- OECD (2019), Consumer confidence index (CCI) (indicator).doi: 10.1787/46434d78-en (Accessed on 03 April 2019).
- Toda, H.Y. and Yamamoto, T. (1995), "Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes", *Journal of Econometrics*, 66, pp.225-50.

## परिशिष्ट ए

### उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

#### 1. नमूना कवरेज और सर्वेक्षण प्रश्नावली

सर्वेक्षण में एक साल पहले और एक वर्ष आगे की प्रत्याशाओं की तुलना में वर्तमान स्थिति के संबंध में, पांच मापदंडों अर्थात् सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, घर की आय और खर्च के बारे में परिवारों की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। प्रतिक्रियाएं तीन-बिंदु पैमाने (अर्थात्, सुधार है/सुधार होगा, बिगड़ गया है/बिगड़ जाएगा और यही स्थिति रही/बनी रहेगी) पर निकाला गया है।

सितंबर 2017 के बाद से 13 शहरों अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के प्रत्येक राउंड में हाइब्रिड टू स्टेज सैंपलिंग डिज़ाइन का उपयोग करके 5,400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। एक शहर में पहले चरण में, मतदान केंद्रों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों की व्यवस्था के बाद प्रणालीगत यादृच्छिक नमूने द्वारा चुना गया है। दूसरे चरण में, राइट हैंड नियम का पालन करते हुए 10 घरों को छोड़कर प्रत्येक चयनित पोलिंग बूथ क्षेत्र से 15 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। 2014-15 की चौथी तिमाही से आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च से संबंधित जानकारी और घरों की वर्तमान वित्तीय स्थिति भी एकत्र की जा रही है।

#### 2. वर्तमान स्थिति सूचकांक और भावी सूचकांक

मानक अभिमत सर्वेक्षणों में, उत्तरदाताओं के पास आमतौर पर तीन उत्तर विकल्प होते हैं जैसे कि ऊपर/वही/ नीचे; या सामान्य से ऊपर/सामान्य/सामान्य से नीचे; या वृद्धि/ समान रहना/गिरावट। तीनों प्रतिशत की व्याख्या करने में कठिनाई के कारण, सर्वेक्षण के परिणाम आम तौर पर एक एकल मात्रात्मक संख्या में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा करने का सबसे आम तरीका है 'नेट-रिस्पॉन्स' (जिसे 'बैलेंस' या 'नेट बैलेंस' भी कहा जाता है) का उपयोग करना। इसे उत्तरदाताओं के प्रतिशत में कमी (नकारात्मक) की रिपोर्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है, प्रतिशत में वृद्धि (सकारात्मक) की रिपोर्टिंग से घटाया जाता है। नेट प्रतिक्रियाएँ -100 से +100 तक मान ले सकती हैं। इस सर्वेक्षण में, उपभोक्ता प्रतिक्रिया सर्वेक्षण परिणामों के विश्लेषण के लिए निवल प्रतिक्रिया का उपयोग किया गया है। विभिन्न कारकों पर उपभोक्ता विश्वास धारणाओं को संयोजित करने के लिए, दो सूचकांकों पर काम किया जाता है। ये सूचकांक हैं एक साल पहले की तुलना में वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) और एक साल आगे की प्रत्याशा को दर्शाने के लिए भावी प्रत्याशा सूचकांक (एफआईआई)। सूचकांक की गणना के लिए, निम्न सूत्र का उपयोग किया गया है।

समग्र सूचकांक = 100 + औसत (चुनिंदा कारकों की शुद्ध प्रतिक्रिया)

जहां, निवल प्रतिक्रिया = सकारात्मक धारणाएं (%) - नकारात्मक धारणा (%)


वर्तमान स्थिति सूचकांक की गणना के लिए विभिन्न कारकों यथा आर्थिक परिस्थिति, रोजगार, कीमत स्तर, आय और खर्च पर वर्तमान धारणा पर औसत निवल प्रतिक्रियाओं उपयोग किया जाता है।

भावी प्रत्याशा सूचकांक की गणना के लिए विभिन्न कारकों यथा, आर्थिक परिस्थिति, रोजगार, कीमत स्तर, आय और खर्च पर भविष्य की धारणा पर औसत निवल प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।


सीएसआई और एफआईआई की सीमा 0 से 200 के बीच है। 100 से नीचे का सूचकांक मान निराशावाद को दर्शाता है, जबकि 100 से ऊपर का आंकड़ा आशावाद की ओर इशारा करता है।

परिशिष्ट बी


चार्ट 1: विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर उत्तरदाताओं का विभाजन



**चार्ट 2: 2011 की जनगणना के अनुसार प्रमुख अभिलक्षण**




**चार्ट 3: एफईआई में उतार-चढ़ाव और चुनिंदा मैक्रो वेरिएबल्स**




**चार्ट 4: रोलिंग कॉरिलेशन**


**ए. जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के साथ सामान्य आर्थिक स्थिति पर एनआर**




**बी. जीडीपी वृद्धि के साथ रोजगार स्थिति पर एनआर**




**सी. जीडीपी वृद्धि के साथ कीमत और मुद्रास्फीति पर एनआर**






**चार्ट 5: कीमत पर एनआर की तुलना में सामान्यीकृत इकाई एसडी नवाचारों के लिए संचित प्रतिक्रिया<sup>12</sup>**




**चार्ट 6: सामान्य आर्थिक स्थिति पर एनआर की तुलना में सामान्यीकृत इकाई एसडी नवाचारों के लिए संचित प्रतिक्रिया**




<sup>12</sup> प्रतीक 'डी' का अर्थ अंतर ऑपरेटर है।







**चार्ट 7: खर्च पर एनआर की तुलना में सामान्यीकृत इकाई एसडी नवाचारों के लिए संचित प्रतिक्रिया (ए)**



**चार्ट 8: खर्च पर एनआर की तुलना में सामान्यीकृत इकाई एसडी नवाचारों के लिए संचित प्रतिक्रिया (बी)**



**चार्ट 9: भिन्नता विघटन परिणाम<sup>13</sup>**




<sup>13</sup> कोलेस्की व्यवस्थापन के बाद जीडीपी वृद्धि दर/ पीएफसीई वृद्धि दर के बाद सीपीआई (यू) मुद्रास्फीति और अंत में भिन्नता विघटन के सभी मामलों में एफआईआई / सीसीएस चर। इस तरह के व्यवस्थापन मौद्रिक संचरण लिटरेचर (क्रिस्चियन और अन्य 1997; मेंडिसिनो और पुंजी. 2013) में पारंपरिक हैं, हालांकि अन्य व्यवस्थापनों का भी परीक्षण किया गया था जिसमें मोटे तौर पर समान परिणाम मिले थे।



**ई: एनआर व्यय प्रभाव (पीएफसीई)**

कोलेस्की (डीएफ समायोजित) कैक्टर के प्रयोग से भिन्नता विघटन


**डी का भिन्नता विघटन (एफ\_व्यय (-3))**




**एफ: एनआर आय प्रभाव**

कोलेस्की (डीएफ समायोजित) कैक्टर के प्रयोग से भिन्नता विघटन


**डी का भिन्नता विघटन (एफ\_आयएनसी)**




**डी का भिन्नता विघटन (सीपीएफसीई\_वर्ष-दर-वर्ष)**




**डी का भिन्नता विघटन (सीजीडीपी\_वर्ष-दर-वर्ष)**




**डी का भिन्नता विघटन (सीपीआइयू\_तिमाही\_एवीजी)**



**डी का भिन्नता विघटन (सीपीआइयू\_तिमाही\_एवीजी)**





**सारणी 1: वीएआर निर्माण का विवरण**

क्रम सं	सीसीएस चर	मेक्रो चर
1.	एलएन_एफईआई	सीजीडीपी_वाईओवाई, सीपीआईयू_ति_औस
2.	एफ_कीमत	सीजीडीपी_वाईओवाई, सीपीआईयू_ति_औस
3.	एफ_जीईएस	सीजीडीपी_वाईओवाई, सीपीआईयू_ति_औस
4.	एफ_व्यय	सीपीएपसीई_वाईओवाई, सीपीआईयू_ति_औस
5.	एफ_व्यय	सीजीडीपी_वाईओवाई, सीपीआईयू_ति_औस
6.	एफ_आय	सीजीडीपी_वाईओवाई, सीपीआईयू_ति_औस
7.	एफ_रोज	सीजीडीपी_वाईओवाई

**टिप्पणी:** क) सभी चर अंतर्जात चर के रूप में लिए जाते हैं।

ख) LN\_FEI फ्यूचर एक्सपेक्टेड इंडेक्स के लॉग को दर्शाता है, F\_PRICE कीमत अपेक्षाओं का NR (शुद्ध प्रतिक्रिया) है, F\_GES सामान्य आर्थिक स्थिति की अपेक्षाओं का NR है, F\_SPEN व्यय की अपेक्षाओं का NR है, F\_INC आय अपेक्षाओं का NR है, F\_EMP रोजगार अपेक्षाओं का NR है।, CGDP\_YOY नाममात्र जीडीपी विकास दर है, CPFCE\_YOY नाममात्र PFCE विकास दर है, CPIU\_QTR\_AVG CPI (शहरी) मुद्रास्फीति दर का त्रैमासिक औसत है।

**सारणी 2: सामान्य आर्थिक स्थिति पर स्पीयरमैन रैंक सहसंबंधी अपेक्षाओं की तुलना में अन्य संकेतक**

दौर	रोजगार	कीमत	व्यय	आय
सितं-2016	0.32***	-0.04***	0.05***	0.29***
दिसं-2016	0.33***	0.07***	0.04**	0.32***
मार्च-2017	0.49***	0.12***	-0.05***	0.26***
जून-2017	0.54***	0.13***	-0.02	0.28***
सितं-2017	0.56***	0.15***	-0.07***	0.33***
दिसं-2017	0.52***	0.12***	-0.04***	0.31***
मार्च-2018	0.52***	0.13***	-0.01	0.29***
जून-2018	0.53***	0.12***	-0.01	0.32***
सितं-2018	0.59***	0.17***	0.04***	0.25***

\*, \*\*, \*\*\* क्रमशः 10%, 5%, 1% स्तर का महत्व दर्शाते हैं।

सारणी 3: सामान्य आर्थिक स्थिति पर स्पीयरमैन रैंक सहसंबंधी परीक्षण की तुलना में अन्य संकेतक

दौर	रोजगार	कीमत	व्यय	आय
सितं-2016	0.27***	-4E-3	-0.01	0.23***
दिसं-2016	0.30***	0.04***	-0.03**	0.27***
मार्च-2017	0.37***	0.13***	-0.03*	0.24***
जून-2017	0.39***	0.13***	-0.06***	0.20***
सितं-2017	0.43***	0.11***	-0.06***	0.27***
दिसं-2017	0.39***	0.10***	-0.04***	0.27***
मार्च-2018	0.37***	0.15***	-0.05***	0.24***
जून-2018	0.42***	0.14***	-0.04***	0.27***
सितं-2018	0.48***	0.15***	-0.02	0.24***

सारणी 4: ग्रैनजर कार्य कारणता परीक्षण

कारण चर	प्रभावी चर		
	सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष	सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी	सीपीएपसीई_ वर्षदरवर्ष
एलएन_एफईआई	1.16	1.46	
एफ_कीमत	1.85	6.11***	
एफ_जीईएस	1.31	2.73*	
एफ_व्यय	0.57	1.06	
एफ_व्यय		1.06	2.95**
एफ_आय	0.62	0.44	
एफ_रोज	2.42*		

\*, \*\*, \*\*\* क्रमशः 10%, 5%, 1% स्तर का महत्व दर्शाते हैं। एफ रिपोर्ट किए गए आंकड़े हैं। प्रत्येक मामले में चार लैग लिए गए।

सारणी 5: एडीएफ परीक्षण स्थिरता के लिए सांख्यिकीय

चर	स्तर	प्रारंभिक अंतर
एलएन_एफईआई	-2.29	-6.87 ^
भावी कीमत एनआर	-1.92	-8.05 ^
भावी रोजगार एनआर	-0.82	-7.89 ^
भावी आय एनआर	-2.53	-6.33 ^
भावी व्यय एनआर	-1.59	-5.97 ^
भावी जीईएस एनआर	-2.31	-5.32 ^
जीडीपी वृद्धि दर	-1.35	-5.53 ^
सीपीआई(यू) मुद्रास्फिति	-2.31	-6.39 ^
पीएफसीई वृद्धि दर	-1.11	-7.90 ^

^: यूनिट रूट की शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति को दर्शाता है।

**सारणी 6: एफईआई प्रभाव के परिणाम**

	डी(एलएन_एफईआई (-3))	डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष)	डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी)
डी(एलएन_एफईआई (-4))	-0.088611 (.२१७२) [-0.41018]	-9.159109 (०.४४११७) [-1.58293]	-0.287921 (६.१९२७) [-0.06868]
डी(एलएन_एफईआई (-5))	-0.086833 (.२२३९२) [-0.42580]	०.४६१३९२ (०.६१२१२) [ 1.05204]	१.२६०२१० (२.९०४६४) [ 0.33866]
डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष(-1))	..००६४९२ (.०००००) [ 0.60736]	-0.568585 (.२१०४०) [-2.63542]	-0.039266 (.१०७२२) [-0.25120]
डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष(-2))	..००४३६१ (.०००००) [ 1.09761]	-0.262087 (.०२२३७) [-1.28683]	-0.051336 (.१६४०१) [-0.34789]
डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी(-1))	-0.014162 (.००१२३३) [-1.14876]	..११४२२१ (.२३०२०) [ 2.65664]	-0.096442 (.२३९२६) [-0.40312]
डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी(-2))	-0.017645 (.००१३६४) [-1.30897]	..०९०२०० (.२३१००) [ 0.24982]	..०१७१०० (.२११००) [ 0.06390]
सी	-0.000657 (.००१२००) [-0.05452]	-0.056045 (.२३२९०) [-0.17357]	-0.221138 (.२३२९०) [-0.94523]
लॉग लाईकलिहूड		-43.11277	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		६.०१९६६	
स्वार्ज क्राईटेरिया		०.०४१३७	

टिप्पणी: ( ) तथा [ ] के टी सांख्यिकीय में मानक त्रुटियां पायी गयी। सी इंटरसेप्ट टर्म दर्शाता है।

**सारणी 7: एनआर कीमत प्रभाव के परिणाम**

	डी(एफ_कीमत (-1))	डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष)	डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी)
डी(एफ_कीमत (-2))	-0.436093 (.२०९१०) [-2.08557]	-0.047000 (.०००४३) [-0.82061]	-0.088841 (.००२०४४) [-3.43287]
डी(एफ_कीमत (-3))	-0.178208 (.१९४२०) [-0.89866]	-0.045270 (.०००६३२) [-0.83343]	-0.098003 (.००२६०६) [-3.99308]
डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष(-1))	-0.381956 (.०११३१) [-0.50108]	-0.447391 (.२०४९९) [-2.14277]	-0.013762 (.००९६३६) [-0.14588]
डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष(-2))	..००६४९२ (.०००००) [ 0.06295]	-0.325693 (.२०६४०) [-1.58992]	-0.140756 (.००९२०१) [-1.52068]
डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी(-1))	-2.047710 (१.६१४२९) [-1.44379]	..११४२२१ (.२३४६४) [ 2.23500]	-0.115307 (.०१४०६) [-0.65689]
डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी(-2))	-0.494361 (१.०२२४०) [-0.32465]	-0.039648 (.०६११०) [-0.09506]	..०१०७६६ (.०१४६६) [ 0.08311]
सी	..०१४००० (१.२६६००) [ 0.01013]	-0.217005 (.२६६३७) [-0.62651]	-0.176932 (.०१०७६) [-1.13050]
लॉग लाईकलिहूड		-182.8805	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		१२.०२२०२	
स्वार्ज क्राईटेरिया		१६.०४४४	

## सारणी 8: एनआर जीईएस प्रभाव के परिणाम

	डी(एफ_जीईएस (-1))	डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष)	डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी)
डी(एफ_जीईएस (-2))	..२३६२० (..२३३३४) [ 1.05369]	-0.018747 (..२३४७०) [-0.48506]	-0.032974 (..२३००७) [-1.64374]
डी(एफ_जीईएस (-3))	-0.053710 (..२३३६७) [-0.26398]	-0.042423 (..२३०३७) [-1.19972]	-0.053377 (..२३१३०) [-2.90823]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-1))	-0.579608 (१.२३११७) [-0.42258]	-0.413182 (..२३३३४) [-1.73333]	..०२४४९ (..१२३४२) [ 0.43465]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-2))	-0.652209 (१.२३११७) [-0.53387]	-0.178660 (..२३३३४) [-0.84148]	..९२९०० (..११३२०) [ 0.84348]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-1))	-0.985100 (२.११११३) [-0.45165]	..७९६६० (..२३९०४) [ 1.83304]	-0.340992 (..१९७००) [-1.73308]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-2))	..१६६६६ (२.६३३३९) [ 0.29377]	-0.193006 (..६३३३९) [-0.45638]	-0.268029 (..२३९०१) [-1.22103]
सी	-0.817237 (१.९७७६०) [-0.41538]	-0.263699 (..३६३९३) [-0.77121]	-0.254783 (..१७७६६) [-1.43556]
लॉग लाईकलिहूड		-196.6297	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		१६.०८७०	
स्वार्ज क्राईटेरिया		१०.६९६९	

## सारणी 9: एनआर व्यय प्रभाव के परिणाम (जीडीपी)

	डी(एफ_व्यय (-3))	डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष)	डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी)
डी(एफ_व्यय (-4))	..०७७०७ (..२३३३४) [ 0.33604]	-0.020505 (..२३३३४) [-1.04911]	..०३३३३ (..२३३३४) [ 0.27025]
डी(एफ_व्यय (-5))	..०२६३४ (..२३३३४) [ 0.26590]	..०३३३३ (..२३३३४) [ 2.39908]	..०३३३३ (..२३३३४) [ 1.37882]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-1))	..०३३३३ (२.१७६६०) [ 0.16217]	-0.499517 (..२३३३४) [-2.55008]	-0.011466 (..१६३३९) [-0.08070]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-2))	२.३९६३० (२.१७६६०) [ 1.16044]	-0.248878 (..१७६६०) [-1.33513]	-0.025184 (..१७६६०) [-0.18625]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-1))	-0.805190 (२.१७६६०) [-0.21726]	१.०६६६६ (..३३६६६) [ 3.03099]	-0.138650 (..३३६६६) [-0.57095]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-2))	-4.576137 (६.१३६६०) [-1.11521]	-0.110038 (..३३६६६) [-0.29686]	-0.096655 (..३३६६६) [-0.35948]
सी	..०७७०७ (२.०३३३३) [ 0.22285]	-0.120335 (..३३६६६) [-0.37636]	-0.278061 (..३३६६६) [-1.19893]
लॉग लाईकलिहूड		-200.5123	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		१०.९३३३	
स्वार्ज क्राईटेरिया		१७.९३३३	

**सारणी 10: एनआर व्यय प्रभाव के परिणाम (पीएफसीई)**

	डी(एफ_व्यय (-3))	डी (सीपीएफसीई_ वर्षदरवर्ष)	डी (सीपीएफसीई_ तिमाही_एवीजी)
डी(एफ_व्यय (-4))	..1.9V1 (..2.412) [0.05375]	-0.033013 (..2088) [-0.92003]	..0.48V (..13.8) [0.36981]
डी(एफ_व्यय (-5))	..12477 (..198V7) [0.06775]	..0907V (..2494) [1.70397]	..18V8A (..12V4) [1.47290]
डी (सीपीएफसीई_ वर्षदरवर्ष(-1))	-0.115442 (..8V.2) [-0.13269]	-0.503868 (..10294) [-3.29447]	..2876A (..0000) [0.51389]
डी (सीपीएफसीई_ वर्षदरवर्ष(-2))	-0.810151 (..8788V) [-0.93349]	-0.293171 (..10207) [-1.92163]	..2.07V (..0071) [0.54895]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-1))	-0.164316 (2.2V937) [-0.04862]	1.2V9.8V (..094.7) [2.15313]	-0.179591 (..21702) [-0.82940]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-2))	-2.130785 (2.202.V) [-0.63566]	..270171 (..08927) [0.44999]	-0.159077 (..214V8) [-0.74064]
सी	..092.24 (2.07297) [0.16611]	..219922 (..2701) [0.51070]	-0.279156 (..22837) [-1.22244]
लॉग लाईकलिहूड		-219.9832	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		1V.212.9	
स्वार्ज क्राईटेरिया		18.21244	

**सारणी 11: एनआर आय प्रभाव के परिणाम**

	डी(एफ_आय)	डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष)	डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी)
डी(एफ_आय (-1))	-0.126304 (..2.210) [-0.62172]	..22412 (..04422) [1.63703]	-0.011360 (..22811) [-0.39704]
डी(एफ_आय (-2))	..2270V (..2.222) [0.13569]	..2200. (..04428) [0.50810]	-0.005354 (..22811) [-0.18650]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-1))	1.1V014V (..9.911) [1.29318]	-0.452231 (..19990) [-2.28457]	-0.012674 (..128.4) [-0.09899]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-2))	-0.258854 (..9132V) [-0.28331]	-0.364762 (..19894) [-1.83351]	-0.034137 (..12818) [-0.26528]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-1))	-0.439862 (1.22.81) [-0.27138]	1.1929V (..20291) [2.88851]	-0.142077 (..22828) [-0.62239]
डी(सीपीआईयू_ तिमाही_एवीजी(-2))	1.27020. (1.2222V) [1.02561]	..22419 (..20204) [0.10301]	-0.088045 (..22818) [-0.38501]
सी	-0.082810 (1.00822) [-0.05314]	-0.134784 (..2292.0) [-0.39724]	-0.229862 (..2194V) [-1.04735]
लॉग लाईकलिहूड		-201.1574	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		14.22224	
स्वार्ज क्राईटेरिया		10.2.410	

**सारणी 12: एनआर रोजगार प्रभाव के परिणाम**

	डी(एफ_रोजगार)	डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष)
डी(एफ_रोजगार (-1))	-0.247738 (..18839) [-1.32207]	..0.824 (..270V) [0.22547]
डी(एफ_रोजगार (-2))	-0.227108 (..12288) [-1.30610]	..0.4710 (..2294) [0.13599]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-1))	..270.0. (1.0.214) [0.76337]	-0.301489 (..19008) [-1.54149]
डी (सीजीडीपी_ वर्षदरवर्ष(-2))	..4V222 (..99808) [0.47791]	-0.288019 (..19489) [-1.47787]
सी	..222844 (1.82422) [0.20054]	-0.329330 (..22282) [-0.90517]
लॉग लाईकलिहूड		-174.7512
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		11.91942
स्वार्ज क्राईटेरिया		12.222.1

## अनुबंध सी

### उपभोक्ता खाद्य कीमतों के आउटलुक का आकलन

उद्देश्य: उपभोक्ता खाद्य कीमत मुद्रास्फीति पर कीमतों के आउटलुक प्रभाव का आकलन करना।


कार्यप्रणाली: सरल वीएआर लागू किया गया है। सीपीआई (यू) के बजाय उपभोक्ता खाद्य कीमत मुद्रास्फीति (शहरी) को चुना गया है क्योंकि खाद्य कीमतों को उपभोक्ता राय का प्रमुख उत्प्रेरक माना जाता है। अन्य चर, उपभोक्ताओं के कीमत दृष्टिकोण (एफ\_कीमत) और जीडीपी विकास दर (सीजीडीपी\_वर्षदरवर्ष) समान हैं।

परिणाम: वीएआर अनुमान परिणाम नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं। यह ध्यान दिया गया है कि मूल्य दृष्टिकोण पर एनआर का सीएफपीआई (यू) मुद्रास्फीति पर नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव है। सीपीआई (यू) के लिए परिणाम पहले के समान है। इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन आउटपुट से घरों के कीमत दृष्टिकोण में यूनिट पॉजिटिव शॉक के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही में सीएफपीआई (यू) मुद्रास्फीति में गिरावट दिखाई देती है।


वेक्टर ऑटोरिग्रेशन अनुमान			
	डी(एफ_कीमत (-1))	डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष)	डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी)
डी(एफ_कीमत (-2))	-0.358258 (-.२१२२२) [-1.68815]	-0.004421 (-.००१४९) [-0.06553]	-0.160053 (-.०१२१९) [-2.57342]
डी(एफ_कीमत (-3))	-0.167571 (-.१०८८८) [-0.93735]	-0.083494 (-.००६८२) [-1.46910]	-0.180405 (-.०१२२९) [-3.44336]
डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष(-1))	-0.563549 (-.३६६०१) [-0.91781]	-0.348940 (-.२२०२०) [-1.78757]	-0.147654 (-.०९९९०) [-0.82054]
डी (सीजीडीपी_वर्षदरवर्ष(-2))	-0.209170 (-.१३८०८) [-0.32807]	-0.304952 (-.२०२६९) [-1.50450]	-0.249959 (-.१६३८०) [-1.33773]
डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी(-1))	-1.515160 (-.०९२२८) [-2.55774]	-.११६०२ (-.१८८२२) [0.91014]	-0.304225 (-.१८२११) [-1.75237]
डी(सीपीआईयू_तिमाही_एवीजी(-2))	-0.268130 (-.१७१९८) [-0.39902]	-.१९६०२ (-.२१३२२) [0.91084]	-0.129990 (-.१९६९२) [-0.66007]
सी	-0.155411 (.११०१८) [-0.13395]	-0.238638 (-.३८८८६) [-0.64700]	-0.429229 (-.३६००१) [-1.26240]
लॉग लाईकलिहूड		-207.5551	
अकाईके इनफॉर्मेशन क्राईटेरिया		१०.२२८०१	
स्वार्ज क्राईटेरिया		१६.२११८०	

**नॉनफैक्टराइज्ड एक एस.डी. नवोन्मेषण + 2 एस.ई. के संबंध में प्रतिक्रिया**

डी (सीजीडीपी\_वर्ष दर वर्ष) से डी(एफ\_मूल्य(-1)) की प्रतिक्रिया



डी (सीएफपीआईयू\_तिमाही\_औसत) से डी(एफ\_मूल्य(-1)) की प्रतिक्रिया



**डायग्नोस्टिक्स:** वीएआर की वैधता सुनिश्चित करने के लिए सामान्यता एवं क्रमिक सहसंबंध परीक्षण किए गए। सामान्यता परीक्षण दर्शाते हैं कि अवशिष्ट का सामान्य रूप से वितरण किया गया है। क्रमिक सहसंबंध के लिए किया गया परीक्षण, मोटे तौर पर पर्याप्त अंतराल (लैग) स्तर तक क्रमिक सहसंबंध की कमी होने की ओर संकेत करता है।

**वीएआर अवशिष्ट सामान्यता परीक्षण**  
**शून्य परिकल्पना : अवशिष्ट बहुचर सामान्य होते हैं**

घटक	स्क्यूनेस	सीएचआई-एसक्यू	डीएफ	संभाव्यता
1	-0.114410	..70६६८	1	..79८1
2	-0.459247	1..०६०३१	1	..३०६०
3	-0.590983	1.१६7३०३	1	..1८7३
संयुक्त		३.८77३८८	3	..६1३१
घटक	कुटोसिस	सीएचआई-एसक्यू	डीएफ	संभाव्यता
1	३.1३३०१1	..1८१३१	1	..८१००
2	३.7६17३६	..17०६३	1	..7८८१
3	६.०१६३६१	३.1११०३1	1	..०१६१
संयुक्त		३.३०7०11	3	..३३११
घटक	जाके-बेरा	डीएफ	संभाव्यता	
1	..८६३८८	2	..१०८१	
2	1.३1००१८	2	..०६६१	
3	६.१३३३३६	2	..०८०३	
संयुक्त	7.३३३८००	6	..३१८१	

**वीएआर अवशिष्ट क्रमिक सहसंबंध एलएम परीक्षण**  
**शून्य परिकल्पना: अंतराल क्रम एच पर कोई क्रमिक सहसंबंध नहीं है**

अंतराल	एलएम-स्टैट	संभाव्यता
1	३.३०1३३1	..१०३०
2	१.३1१६८०	..7०६1
3	१.११३०६१	..३३११
4	०.१३३३६३	..१६१३
5	1.7३३८६	..०६३
6	०.०१११०	..८३११
7	०.३०१११६	..८०३३
8	1०.३१००1	..०८३८
9	३.7३३६१३	..१३६०
10	३.६०११०१	..१८३१
11	०.१०१३३१	..१३३८
12	7.०८३३११	..१३३६

9 डीएफ वाले सीएचआई-स्कवयर से संभाव्यता।

**निष्कर्ष:** मूल्य के संबंध में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण का उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के मामले में पाए गए के अनुकूल है।

## अनुबंध डी

### ‘मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य’ के कार्यान्वयन के लिए डमी सहित विश्लेषण

उद्देश्य: सीपीआई(यू) मुद्रास्फीति के संबंध में मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने के लिए मूल्य को नियंत्रित करने संबंधी दृष्टिकोण के प्रभाव का आकलन करना

कार्यप्रणाली: निम्नलिखित सरल रैखिक प्रतिगमन चलाया जाता है।

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta_1 D + \beta_2 D\Delta X_{1t} + \beta_3 \Delta X_{2t} + \beta_4 \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Y सीपीआई(यू) मुद्रास्फीति को दर्शाता है। D एक डमी चर है जो मुद्रास्फीति लक्ष्य की अवधि को दर्शाता है। D मार्च 2015<sup>14</sup> से मूल्य एकता लेता है और अन्यथा शून्य है। X<sub>1</sub> का तात्पर्य कीमत संबंधी भावी NR से है। X<sub>2</sub> जीडीपी वृद्धि दर (वर्तमान) को दर्शाता है। OLS को चलाने से पहले सभी चरों को पहले अलग किया गया है ताकि उन्हें स्थिर बनाया जा सके।


परिणाम:

आश्रित चर: डी(सीपीआईयू_तिमाही_औसत)				
चर	गुणांक	मानक त्रुटि	टी-सांख्यिकी	संभाव्यता
सी	-0.356478	0.254213	-1.402282	0.1718
डीयूएम1	0.294839	0.354665	0.831317	0.4128
डीयूएम1*डी(एफ_ मूल्य)	-0.062603	0.031304	-1.999852	0.0553
डी(सीपीआईयू_तिमाही_औसत(-1))	-0.004275	0.168584	-0.025356	0.9800
डी(सीजीडीपी_वर्ष दर वर्ष(-1))	0.019908	0.097676	0.203819	0.8400
आर-स्क्वयर्ड	0.147673	मीन आश्रित वीएआर		-0.210685
समायोजित आर-स्क्वयर्ड	0.025912	एस.डी. आश्रित वीएआर		1.020144
सांख्यिकीय आकलन की एस.ई	1.006840	एकैके इन्फो मापदंड		2.990238
सम स्क्वयर्ड रेसिड्युल	28.38436	स्केवर्ज मापदंड		3.216982
लॉग लाइक्लीहुड	-44.33893	हेनन-क्विन मापदंड		3.066530
एफ-सांख्यिकी	1.212808	डर्बिन-वॉटसन स्टैट		2.037184
पीआरओबी(एफ-सांख्यिकी)	0.327538			

परिणाम बताते हैं कि मूल्य के संबंध में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण का मार्च 2015 के बाद से सीपीआई(यू) मुद्रास्फीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह है कि जब से रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने की व्यवस्था लागू की है तब से मूल्य के संबंध में उपभोक्ता की अपेक्षाओं में सुधार होने से मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

डायग्नोस्टिक्स: आकलन के पहले के कुछ डायग्नोस्टिक्स यहां दिए गए हैं। जार्के-बेरा परीक्षण अवशिष्ट की सामान्यता को इंगित करता है। इसके अलावा, क्रमिक सहसंबंध परीक्षण भी संतोषजनक है।

<sup>14</sup> भारिबैं द्वारा 20 फरवरी 2015 को मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारिक रूप से अपनाया गया था।



ब्रेस्च-गॉडफ्रे क्रमिक सहसंबंध एलएम परीक्षण:			
शून्य परिकल्पना: 2 लैग तक कोई क्रमिक सहसंबंध नहीं			
एफ-सांख्यिकी	0.121139	संभाव्यता एफ(१,११)	0.8864
अवलोकन*आर-स्कवयर्ड	0.304667	सीएचआई-स्कवयर से संभाव्यता(१)	0.8587

**निष्कर्ष:** परिणाम बताते हैं कि जब से रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने की व्यवस्था लागू की है तब से मूल्य के संबंध में उपभोक्ता की अपेक्षाओं में सुधार होने से मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

# वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं



## विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	101
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	102
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	103
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय	104
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	105
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	105
	<b>मुद्रा और बैंकिंग</b>	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	106
7	मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत	107
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	108
9	कुल चलनिधि राशियां	108
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	109
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	109
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	110
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	110
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	111
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	112
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	113
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	114
	<b>मूल्य और उत्पादन</b>	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	115
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	115
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	115
21	थोक मूल्य सूचकांक	116
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	119
	<b>सरकारी खाते और खजाना बिल</b>	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	119
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	120
25	खजाना बिलों की नीलामी	120
	<b>वित्तीय बाजार</b>	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	121
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	122
28	वाणिज्यिक पत्र	122
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	122
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	123

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	<b>बाह्य क्षेत्र</b>	
31	विदेशी व्यापार	124
32	विदेशी मुद्रा भंडार	124
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	124
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	125
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	125
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	126
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	126
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरिकी डॉलर)	127
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	128
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरिकी डॉलर में)	129
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹ में)	130
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	131
	<b>भुगतान और निपटान प्रणालियाँ</b>	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	132
	<b>अवसरिक श्रृंखलाएं</b>	
44	लघु बचत	133
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	134
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	135
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	136
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	137
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	138

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

## सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2018-19		2019-20	
		ति1	ति2	ति1	ति2
		1	2	3	4
<b>1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)</b>					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.7	6.9	4.9	4.3
1.1.1 कृषि	2.9	5.1	4.9	2.0	2.1
1.1.2 उद्योग	6.2	9.9	6.1	1.7	-0.5
1.1.3 सेवाएं	7.7	7.5	7.5	6.7	6.4
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	7.2	10.0	4.1	6.9
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	13.3	11.8	4.0	1.0
	<b>2018-19</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
		सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.80	4.6	8.4	-4.3	-
<b>2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)</b>					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	8.1	9.0	9.4	10.3
2.1.2 ऋण	13.3	12.5	14.6	8.7	8.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	12.6	14.8	8.6	8.8
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	3.7	3.2	7.1	7.0
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	18.7	17.4	12.0	15.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	9.4	10.0	9.7	10.6
<b>3 अनुपात (%)</b>					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	18.75	18.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.9	4.7	4.8	4.9
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	76.1	76.7	75.7	75.8
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	95.3	118.3	-1.5	17.0
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	29.2	29.2	28.6	28.3
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	34.5	34.0	93.3	73.3
<b>4 ब्याज दरें (%)</b>					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.50	5.40	5.15
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.25	6.25	5.15	4.90
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.75	6.75	5.65	5.40
4.4 बैंक दर	6.50	6.75	6.75	5.65	5.40
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.85/9.45	8.85/9.45	8.95/9.40	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	7.90/8.30	8.05/8.40	7.80/8.30	7.70/8.20
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.25	6.25/7.25	6.25/7.00	6.25/6.85
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.25/3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारत औसत)	6.35	6.49	6.50	5.31	5.07
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	7.19	6.94	5.41	5.04
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	7.42	7.23	5.50	5.21
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	7.73	7.48	5.60	5.30
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	8.00	7.84	6.85	6.54
<b>5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ</b>					
5.1 भा.रु.-अमरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	72.55	73.37	70.84	70.96
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	84.44	83.41	77.32	78.81
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.96	4.58	3.98	3.38
3-माह (%)	4.80	4.58	4.36	3.95	3.61
6-माह (%)	4.16	4.36	4.33	4.23	3.99
<b>6 मुद्रारफीति (%)</b>					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	3.7	3.4	4.0	4.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.6	5.2	7.0	7.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	5.2	5.5	0.3	0.2
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	3.0	2.5	5.5	6.4
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	17.3	18.7	-7.1	-8.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	4.1	4.6	-0.4	-0.8
<b>7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)</b>					
7.1 आयात	10.4	12.8	19.1	-13.8	-16.3
7.2 निर्यात	8.7	-2.5	16.5	-6.3	-1.1

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार / शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
		नवंबर	नवंबर 1	नवंबर 8	नवंबर 15	नवंबर 22	नवंबर 29
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 निर्गम विभाग</b>							
<b>1.1 देयताएं</b>							
1.1.1 संचलन में नोट	2113764	1970113	2231666	2245619	2243130	2241262	2230697
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	10	12	11	11	11	12
<b>1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां</b>	<b>2113775</b>	<b>1970123</b>	<b>2231678</b>	<b>2245630</b>	<b>2243141</b>	<b>2241273</b>	<b>2230709</b>
<b>1.2 आस्तियां</b>							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	79481	71943	90562	89423	89111	89051	88261
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2033559	1897340	2140435	2155544	2153189	2151395	2141628
1.2.3 रुपया सिक्का	735	840	681	664	841	827	820
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 बैंकिंग विभाग</b>							
<b>2.1 देयताएं</b>							
2.1.1 जमाराशियां	806012	641865	908421	873673	893329	866155	896950
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	100	101	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	565707	501779	540091	525365	537618	517462	542975
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4197	3404	4429	4187	4312	4255	4657
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3494	1985	2722	2798	2795	2771	2784
2.1.1.7 अन्य बैंक	32036	28147	31062	31705	31045	30920	31479
2.1.1.8 अन्य	199734	104997	329974	306654	317416	310604	313483
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	700	1410	-	2821	-	-	1430
2.1.2 अन्य देयताएं	1087686	1043729	1104664	1105083	1137917	1136900	1135150
<b>2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां</b>	<b>1893698</b>	<b>1685594</b>	<b>2013085</b>	<b>1978756</b>	<b>2031246</b>	<b>2003055</b>	<b>2032100</b>
<b>2.2 आस्तियां</b>							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	10	13	11	11	11	12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	646640	694210	815017	831408	863645	863732	891144
2.2.3 ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	31659	61916	6360	25915	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	10	718	4026	8423	7630	598	1261
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	180688	113296	22235	23526	23340	24246	23012
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	35	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	13463	5628	5302	5386	5417	5181	4913
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	700	1410	-	37	-	-	-
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	923080	756065	997085	997118	998162	1001544	1003900
2.2.6 अन्य आस्तियां	129106	82598	107491	106451	107125	107743	107858
2.2.6.1 सोना	87169	75382	103273	102260	102757	103256	102903

\* डाटा अनंतिम है।

## सं. 3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
अक्टू 1, 2019	3907	43169	2050	217302	895	82	-	-	-	-253537
अक्टू 3, 2019	3833	40548	-	270009	619	-	-	-	-	-306105
अक्टू 4, 2019	3832	19120	-	258487	1825	-191	-	-	20	-272121
अक्टू 5, 2019	103	12937	-	-	3275	-	-	-	-	-9559
अक्टू 7, 2019	3932	14887	12350	253533	5890	-	-	-	-	-246248
अक्टू 9, 2019	4617	14930	-	210221	4645	-157	-	-	-	-216046
अक्टू 10, 2019	4391	31185	-	202346	5335	-27	-	-	20	-223812
अक्टू 11, 2019	4232	34578	5000	213569	6825	-135	-	-	-	-232225
अक्टू 14, 2019	3817	24721	-	201099	4535	-	-	-	-	-217468
अक्टू 15, 2019	3842	32977	1150	188625	5550	-	-	-	-	-211060
अक्टू 16, 2019	3794	19391	-	207829	4401	-108	-	-	-	-219133
अक्टू 17, 2019	3812	37676	-	195659	5275	-	-	-	-	-224248
अक्टू 18, 2019	3832	12644	250	179156	4975	176	-	-	-	-182567
अक्टू 19, 2019	9171	2052	-	-	1550	-	-	-	-	8669
अक्टू 21, 2019	-	12836	-	-	10107	-	-	-	-	-2729
अक्टू 22, 2019	3872	11753	11180	147761	4690	-56	-	-	-	-139828
अक्टू 23, 2019	5789	16076	-	132146	5000	56	-	-	-	-137377
अक्टू 24, 2019	4035	46683	-	133052	4790	-	-	5	15	-170900
अक्टू 25, 2019	4152	37055	5000	142172	4373	-	-	-	-	-165702
अक्टू 28, 2019	-	24917	-	-	352	-	-	-	-	-24565
अक्टू 29, 2019	3882	47574	200	185024	3400	-	-	-	-	-225116
अक्टू 30, 2019	3832	35523	-	210037	3375	-	-	-	-	-238353
अक्टू 31, 2019	4382	23141	-	255359	5100	-	-	-	-	-269018

**सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय**

**i) ओटीसी सेगमेंट में परिचालन**

मद	2018-19	2018	2019	
		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15377	-7204	5614	7102
1.1 क्रय (+)	40804	945	6514	7302
1.2 विक्रय (-)	56181	8149	900	200
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	-53610	39595	50257
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डालर)	-15377	-25866	11351	18453
(करोड़ ₹)	-111945	-182525	75009	125266
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	-13774	-2888	-7483	-7473

**ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन**

मद	2018-19	2018	2019	
		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	13935	2875	475	0
1.2 विक्रय (-)	13935	2875	475	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	0	-51	0	0

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)  
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	31 अक्टूबर 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	530	430	100
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	1875	1875	0
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	5492	3165	2327
4. 1 वर्ष से अधिक	120	10020	-9900
<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>8017</b>	<b>15490</b>	<b>-7473</b>

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2018	2019					
			नवंबर 23	जून 21	जुलाई 19	अगस्त 30	सितंबर 27	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	12882	753	1400	1151	55	48	4373	3231
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 पीडी के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3.2 बकाया	2678	2120	2453	2356	1879	2372	1884	1604
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	15560	2873	3853	3507	1934	2420	6257	4835

## मुद्रा और बैंकिंग

## सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		अक्टूबर 26	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052234	1875135	2089198	2130219	2161881
1.1 संचलन में नोट	2110883	1935566	2160124	2200573	2231090
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	24954	25281	25302	25302
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84536	86128	96950	96400	95254
2 जनता की जमा राशियां	1658051	1375494	1557208	1490019	1508717
2.1 बैंकों के पास मांग जमा राशियां	1626309	1350916	1525227	1457172	1477505
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	24578	31981	32847	31212
<b>3 एम<sub>1</sub> (1+2)</b>	<b>3710285</b>	<b>3250630</b>	<b>3646406</b>	<b>3620238</b>	<b>3670598</b>
4 डाकघर बचत बैंक जमा राशियां	140599	125620	140599	140599	140599
<b>5 एम<sub>2</sub> (3+4)</b>	<b>3850884</b>	<b>3376250</b>	<b>3787005</b>	<b>3760837</b>	<b>3811197</b>
6 बैंकों के पास मीयादी जमा राशियां	11720589	11175750	12167762	12266300	12284764
<b>7 एम<sub>3</sub> (3+6)</b>	<b>15430874</b>	<b>14426380</b>	<b>15814168</b>	<b>15886538</b>	<b>15955362</b>
8 कुल डाकघर जमा राशियां	367287	337263	367287	367287	367287
<b>9 एम<sub>4</sub> (7+8)</b>	<b>15798161</b>	<b>14763643</b>	<b>16181455</b>	<b>16253825</b>	<b>16322649</b>

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम<sub>3</sub>) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		अक्टूबर 26	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
<b>1 सरकार को निवल बैंक ऋण</b>	<b>4387788</b>	<b>4293037</b>	<b>4837135</b>	<b>4905540</b>	<b>4852157</b>
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	651066	936889	998186	966959
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	688939	999374	998328	993464
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	687157	998915	993149	992794
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	1782	459	5179	670
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	127735	37873	62485	142	26505
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	37830	62443	100	26462
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	43	42	42	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3585837	3641971	3900246	3907354	3885198
<b>2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण</b>	<b>10380180</b>	<b>9623709</b>	<b>10378946</b>	<b>10403816</b>	<b>10457195</b>
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	9230	8103	7612	7680
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10364817	9614479	10370843	10396204	10449515
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9769185	9033975	9766854	9789381	9840562
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	572074	592065	591795	592379
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9701	8429	11924	15028	16574
<b>3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)</b>	<b>3070841</b>	<b>3003465</b>	<b>3259327</b>	<b>3322293</b>	<b>3338248</b>
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848587	2871271	3048039	3111005	3126960
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2871485	3048248	3111214	3127169
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	214	209	209	209
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222254	132194	211288	211288	211288
<b>4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं</b>	<b>25887</b>	<b>25697</b>	<b>26024</b>	<b>26045</b>	<b>26045</b>
<b>5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं</b>	<b>2433823</b>	<b>2519529</b>	<b>2687264</b>	<b>2771156</b>	<b>2718283</b>
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1149256	1065938	1095838	1094490
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1375028	1370273	1621326	1675318	1623793
<b>एम<sub>3</sub> (1+2+3+4-5)</b>	<b>15430874</b>	<b>14426380</b>	<b>15814168</b>	<b>15886538</b>	<b>15955362</b>

## सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		अक्टूबर 26	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
<b>मौद्रिक समुच्चय</b>					
एन एम <sub>1</sub> (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710285	3250630	3646406	3620238	3670598
एन एम <sub>2</sub> (एन एम <sub>1</sub> + 1.2.2.1)	8910877	8204729	9041399	9058861	9117554
एन एम <sub>3</sub> (एन एम <sub>2</sub> + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	15645209	14631206	15976308	16048682	16111023
<b>1 घटक</b>					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052234	1875135	2089198	2130219	2161881
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13183179	12360027	13514101	13543001	13581853
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626309	1350916	1525227	1457172	1477505
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11556870	11009111	11988874	12085829	12104348
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5200592	4954100	5394993	5438623	5446957
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	162204	182922	178084	167104
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356279	6055011	6593881	6647206	6657391
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	24578	31981	32847	31212
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	378054	371465	341028	342615	336077
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	15656096	14787971	16085854	16213675	16210359
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4387788	4293037	4837135	4905540	4852157
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	651066	936889	998186	966959
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3585837	3641971	3900246	3907354	3885198
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11268307	10494934	11248719	11308134	11358201
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	9230	8103	7612	7680
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11252944	10485704	11240616	11300522	11350521
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879849	861665	859018	894435	892285
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26024	26045	26045
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801726	2761862	2995699	3054496	3046312
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2871271	3048039	3111005	3126960
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-109409	-52340	-56509	-80647
2.4 पूंजी खाता	2346743	2425279	2385844	2449896	2440799
2.5 अन्य मदें (निवल)	491757	519045	745425	795637	730894

## सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2018		2019	
		अक्टूबर	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4	5
<b>1 एन एम<sub>3</sub></b>	<b>15645209</b>	<b>14631206</b>	<b>15844365</b>	<b>15976308</b>	<b>16111023</b>
2 डाकघर जमाराशियां	367287	337263	367287	367287	367287
<b>3 एल<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>16012496</b>	<b>14968469</b>	<b>16211652</b>	<b>16343595</b>	<b>16478310</b>
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	2932	2932	2932
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	2656	2656	2656
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	31	31	31
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	245	245	245
<b>5 एल<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>16015428</b>	<b>14971401</b>	<b>16214584</b>	<b>16346527</b>	<b>16481242</b>
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	..	31905	..
<b>7 एल<sub>3</sub> (5 + 6)</b>	<b>16047333</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>16378432</b>	<b>..</b>

## सं. 10: भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		अक्टूबर 26	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1961263	2186148	2226618	2257135
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	601969	508016	570065	566023	587853
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	558496	474761	532442	527675	548240
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	24578	31981	32847	31212
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2493857	2788194	2825488	2876200
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	746145	780069	784276	817685
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	651066	936889	998186	966959
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	649327	936472	993049	966332
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	402	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	686283	998152	992010	992089
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	686283	998152	992010	992089
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	874	763	737	705
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमा राशियां	127693	37830	62443	100	26462
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	1739	417	5137	627
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	85849	-164923	-221522	-156954
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	85849	-164923	-221522	-156954
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	9230	8103	7612	7680
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	2032	2373	1816	1884
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26024	26045	26045
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2871271	3048039	3111005	3126960
2.3.1 सोना	159585	148890	190217	190277	191868
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2722399	2857839	2920745	2935109
2.4 पूंजी खाता	970265	1124905	950734	981107	982299
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	24351	115204	114731	112191

## सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2018		2019			
		अक्टूबर 19	सितंबर 27	अक्टूबर 4	अक्टूबर 11	अक्टूबर 18	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2536477	2788194	2833150	2825488	2860906	2876200
<b>1 घटक</b>							
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1968762	2186148	2205847	2226618	2226264	2257135
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	601969	543538	570065	592354	566023	602990	587853
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	24177	31981	34949	32847	31652	31212
<b>2 स्रोत</b>							
2.1 सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	801951	665218	936889	1046981	998186	975782	966959
2.2 बैंकों को रिजर्व बैंक ऋण	137488	111762	-164923	-252282	-221522	-168075	-156954
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिजर्व बैंक ऋण	15363	9210	8103	7930	7612	7680	7680
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2883989	3048039	3093900	3111005	3125464	3126960
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26024	26045	26045	26045	26045
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1159399	1065938	1089424	1095838	1105990	1094490

## सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		अक्टूबर 26	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	12408835	11604616	12727573	12757424	12797668
1.1.1 मांग जमाराशियां	1511084	1237590	1408886	1341165	1361293
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	10897751	10367026	11318687	11416259	11436375
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	4903988	4665162	5093409	5137316	5146369
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	162204	182922	178084	167104
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	5993763	5701864	6225278	6278942	6290006
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	378054	371465	341028	342615	336077
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	14028966	13332357	14320681	14390293	14416362
2.1.1 सरकार को ऋण	3378300	3434871	3689379	3698800	3675526
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10650666	9897486	10631302	10691493	10740836
2.1.2.1 बैंक ऋण	9769185	9033975	9766854	9789381	9840562
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9727575	8978940	9706769	9729090	9770784
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8542	9823	11018	10147	8984
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2053	986	3374	6493	7967
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	852702	850056	885473	883322
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-109409	-52340	-56509	-80647
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	186801	250991	253318	229900
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	163719	166639	178888	180471	180416
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145526	129571	124442	129356	130131
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538079	465249	784346	835418	790274
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	474761	532442	527675	548240
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74852	76337	86981	86221	85079
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	85849	-164923	-221522	-156954
2.4 पूंजी खाता	1352307	1276203	1410939	1444619	1434329
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	380987	435913	573146	624544	557914
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	397976	361382	407969	377286	380922
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-48452	-39396	-44722	-53899	-42589

## सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	29 मार्च, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		अक्टूबर 26	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3381056	3435857	3692753	3705292	3683493
2 वाणिज्यिक पत्र	90362	119631	93829	98224	97516
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11535	11212	11508	11383	11329
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69592	73309	66724	67005	65652
3.3 अन्य	6379	6112	5595	5572	5519
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134819	123261	121042	119339	124702
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268783	224765	248672	246244	241135
4.3 अन्य	170047	123141	174520	176497	177913
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20988	43641	22829	55883	56587
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98382	81813	87433	84984	83314

## सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	223	219	219	147	149	142	142
<b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>	<b>276350</b>	<b>242072</b>	<b>267832</b>	<b>260624</b>	<b>271426</b>	<b>236780</b>	<b>262670</b>	<b>255643</b>
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	181651	150127	192431	188936	176828	145689	187729	184140
1.2 बैंकों से उधार राशि	79487	77430	63486	59888	79459	76721	63163	59827
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15212	14514	11916	11799	15139	14370	11777	11675
<b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>	<b>13835976</b>	<b>12946693</b>	<b>14141052</b>	<b>14185100</b>	<b>13495672</b>	<b>12633673</b>	<b>13779901</b>	<b>13825214</b>
2.1 कुल जमाराशियां	12901579	12071507	13253770	13324486	12573772	11771255	12906461	12978084
2.1.1 मांग	1542554	1265284	1440859	1393197	1511287	1237590	1408886	1361293
2.1.2 मीयादी	11359025	10806223	11812911	11931290	11062484	10533665	11497575	11616791
2.2 उधार	381864	376082	344756	339829	378254	371465	341028	336077
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552533	499104	542526	520784	543646	490953	532412	511053
<b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>	<b>180688</b>	<b>132608</b>	<b>47478</b>	<b>22273</b>	<b>180688</b>	<b>132608</b>	<b>47478</b>	<b>22273</b>
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	180688	132608	47478	22273	180688	132608	47478	22273
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	657555	564942	634626	649787	640584	551098	619423	633320
4.1 उपलब्ध नकदी	76554	78121	88943	87247	74877	76337	86981	85079
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	581001	486821	545683	562540	565707	474761	532442	548240
<b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>	<b>372670</b>	<b>319999</b>	<b>375036</b>	<b>359561</b>	<b>327814</b>	<b>285999</b>	<b>318410</b>	<b>307216</b>
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245880	213608	264299	261683	223048	196460	237242	236433
5.1.1 चालू खाते में	17216	14676	15901	16449	13329	12720	13081	14136
5.1.2 अन्य खातों में	228663	198932	248397	245235	209719	183740	224162	222297
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47047	43213	37829	26632	32252	29604	20426	11047
5.3 बैंकों को अग्रिम	32950	34474	28373	29524	29635	34380	25585	25437
5.4 अन्य आस्तियां	46793	28704	44536	41722	42879	25553	35157	34298
<b>6 निवेश</b>	<b>3475607</b>	<b>3529766</b>	<b>3791535</b>	<b>3781138</b>	<b>3381056</b>	<b>3435857</b>	<b>3692753</b>	<b>3683493</b>
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3467845	3523277	3781817	3766504	3379001	3434871	3689379	3675526
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7762	6489	9719	14634	2055	986	3374	7967
<b>7 बैंक ऋण</b>	<b>10047125</b>	<b>9301231</b>	<b>10050171</b>	<b>10127057</b>	<b>9771722</b>	<b>9033975</b>	<b>9766854</b>	<b>9840562</b>
7क खाद्यान्न ऋण	64636	78062	87117	96809	41610	55034	60085	69778
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9792287	9075444	9838009	9917170	9521994	8812811	9558550	9634456
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27641	21816	25150	26014	26223	20463	24352	24720
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160984	142489	128567	126797	158296	140001	126360	125199
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24914	24365	24504	24353	24588	24172	24243	24071
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41299	37117	33940	32723	40622	36527	33348	32117

## सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			अक्टूबर 26	सितंबर 27		
	1	2	3	4	2019-20	2019
<b>1 सकल बैंक ऋण</b>	<b>8674892</b>	<b>8057449</b>	<b>8680216</b>	<b>8733112</b>	<b>0.7</b>	<b>8.4</b>
1.1 खाद्यान्न ऋण	41474	54868	59887	69555	67.7	26.8
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	8633418	8002581	8620329	8663557	0.3	8.3
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1111300	1059739	1127794	1134705	2.1	7.1
1.2.2 उद्योग	2885778	2696159	2774883	2786751	-3.4	3.4
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375505	364172	361328	359018	-4.4	-1.4
1.2.2.2 मझौले	106395	104256	104989	105558	-0.8	1.2
1.2.2.3 बड़े	2403878	2227731	2308566	2322175	-3.4	4.2
1.2.3 सेवाएं	2415609	2208080	2361866	2352418	-2.6	6.5
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138524	128586	142605	139103	0.4	8.2
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18535	19390	18771	19063	2.8	-1.7
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39005	38404	40419	43399	11.3	13.0
1.2.3.4 नौवहन	7748	6431	5963	5893	-23.9	-8.4
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171517	171399	171733	169783	-1.0	-0.9
1.2.3.6 व्यापार	528158	479961	508039	505037	-4.4	5.2
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250528	209599	217325	218722	-12.7	4.4
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277630	270362	290714	286315	3.1	5.9
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202291	186811	218088	220300	8.9	17.9
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	641208	562615	713510	713344	11.3	26.8
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668623	614483	542738	536499	-19.8	-12.7
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2220732	2038603	2355785	2389684	7.6	17.2
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6299	3269	5445	5557	-11.8	70.0
1.2.4.2 आवास	1160111	1062344	1253190	1268734	9.4	19.4
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	82873	69394	64192	62902	-24.1	-9.4
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6265	6058	5105	5056	-19.3	-16.5
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88262	83393	99372	105026	19.0	25.9
1.2.4.6 शिक्षा	67988	69338	68229	67238	-1.1	-3.0
1.2.4.7 वाहन ऋण	202154	196792	203446	206720	2.3	5.0
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606780	548015	656806	668451	10.2	22.0
<b>1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>	<b>2739021</b>	<b>2600970</b>	<b>2759852</b>	<b>2766084</b>	<b>1.0</b>	<b>6.3</b>
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1104988	1053205	1118871	1125522	1.9	6.9
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1067175	996112	1056600	1053403	-1.3	5.8
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375505	364172	361328	359018	-4.4	-1.4
1.2अ.2.2 सेवाएं	691670	631940	695271	694385	0.4	9.9
1.2अ.3 आवास	432703	404077	454566	455536	5.3	12.7
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24101	23139	32077	32525	35.0	40.6
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53950	56805	53921	53736	-0.4	-5.4
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	347	410	397	0.0	14.4
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662628	595764	696626	704413	6.3	18.2
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15566	19682	14454	14040	-9.8	-28.7

## सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2019
			अक्टूबर 26	सितंबर 27		
	1	2	3	4	5	6
<b>1 उद्योग</b>	<b>2885778</b>	<b>2696159</b>	<b>2774883</b>	<b>2786751</b>	<b>-3.4</b>	<b>3.4</b>
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	41752	42916	41380	41176	-1.4	-4.1
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	157058	139543	142388	139693	-11.1	0.1
1.2.1 चीनी	29705	24445	27424	25914	-12.8	6.0
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21343	20419	17923	17681	-17.2	-13.4
1.2.3 चाय	4966	5531	5558	5497	10.7	-0.6
1.2.4 अन्य	101044	89148	91483	90601	-10.3	1.6
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	14662	13559	14973	14717	0.4	8.5
1.4 वस्त्र	203549	196818	186773	187677	-7.8	-4.6
1.4.1 सूती वस्त्र	97726	97099	84020	83999	-14.0	-13.5
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2119	2038	2168	2209	4.2	8.4
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	26748	23529	25295	25763	-3.7	9.5
1.4.4 अन्य वस्त्र	76956	74152	75290	75706	-1.6	2.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11071	11258	11044	11052	-0.2	-1.8
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	11968	11289	12082	11992	0.2	6.2
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	30319	30114	29973	30507	0.6	1.3
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	63136	50438	53576	52477	-16.9	4.0
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	191484	169696	180523	176120	-8.0	3.8
1.9.1 उर्वरक	40043	25193	36835	34080	-14.9	35.3
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	50500	51821	49177	48873	-3.2	-5.7
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46717	41146	39110	39743	-14.9	-3.4
1.9.4 अन्य	54224	51536	55401	53424	-1.5	3.7
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	45803	43592	47007	46919	2.4	7.6
1.11 कांच और कांच के सामान	9887	10254	9387	8687	-12.1	-15.3
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55683	51263	60809	60587	8.8	18.2
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	371564	377886	354021	351144	-5.5	-7.1
1.13.1 लोहा और स्टील	282878	288089	269955	268259	-5.2	-6.9
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88686	89797	84066	82885	-6.5	-7.7
1.14 सभी अभियांत्रिकी	168621	157607	163374	166861	-1.0	5.9
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	37856	36404	35168	35706	-5.7	-1.9
1.14.2 अन्य	130765	121203	128206	131155	0.3	8.2
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	79859	77683	83038	82552	3.4	6.3
1.16 रत्न और आभूषण	72014	69334	65637	62792	-12.8	-9.4
1.17 निर्माण	99473	91989	100074	99394	-0.1	8.0
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1055921	954981	1003786	1019784	-3.4	6.8
1.18.1 पावर	568966	533950	557170	559953	-1.6	4.9
1.18.2 दूरसंचार	115585	95295	115017	127493	10.3	33.8
1.18.3 सड़क	186852	178864	185293	185424	-0.8	3.7
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184518	146872	146306	146914	-20.4	0.0
1.19 अन्य उद्योग	201954	195939	215038	222620	10.2	13.6

## सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018		2019					
		सितंबर, 28	जुलाई, 19	जुलाई, 26	अगस्त, 02	अगस्त, 16	अगस्त, 30	सितंबर, 13	सितंबर, 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	30	30	30	30	30	30	30
<b>1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)</b>	<b>62003.4</b>	<b>55879.1</b>	<b>63060.7</b>	<b>63046.8</b>	<b>62315.4</b>	<b>62450.6</b>	<b>63160.4</b>	<b>63423.7</b>	<b>62908.4</b>
2 मांग और मीयादी देयताएं									
<b>2.1 मांग देयताएं</b>	<b>18241.3</b>	<b>17636.3</b>	<b>17837.9</b>	<b>18127.7</b>	<b>17663.1</b>	<b>18031.6</b>	<b>18487.0</b>	<b>18611.6</b>	<b>18621.8</b>
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	5136.0	5230.5	5530.1	5177.3	5344.5	5227.3	5229.1	5430.0
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	8974.5	9462.0	9777.3	9306.0	9146.7	9680.7	9467.8	9639.3
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	749.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	2775.9	3145.4	2820.3	3179.9	3540.4	3579.0	3914.6	3532.4
<b>2.2 मीयादी देयताएं</b>	<b>98531.4</b>	<b>87993.4</b>	<b>103111.7</b>	<b>105734.7</b>	<b>105587.4</b>	<b>106075.6</b>	<b>106261.7</b>	<b>106990.8</b>	<b>107416.5</b>
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	39707.8	48885.5	51637.1	51747.2	51932.3	51940.4	52259.6	53251.8
2.2.1.2 अन्य	52194.8	46904.6	53598.7	53269.4	53009.5	53304.0	53479.7	53955.9	53269.0
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	725.6	0.0	0.0	0.0	13.5	54.5	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	655.5	627.6	828.2	830.8	825.7	787.1	775.3	895.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	44994.5	45658.8	44603.4	44584.5	42502.1	42578.1	44323.7	44794.9
4.1 मांग	16826.7	15153.4	14211.5	14152.3	14372.5	14323.1	14751.5	13879.2	13568.4
4.2 मीयादी	33548.7	29841.2	31447.3	30451.2	30212.0	28179.0	27826.7	30444.5	31226.5
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	<b>5721.0</b>	<b>4627.9</b>	<b>5174.5</b>	<b>5408.2</b>	<b>5186.6</b>	<b>5717.7</b>	<b>5376.6</b>	<b>5927.0</b>	<b>5487.0</b>
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	333.0	316.0	302.6	282.0	302.0	320.8	296.8	286.7
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	4294.9	4858.5	5105.6	4904.6	5415.7	5055.8	5630.3	5200.3
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	<b>1543.2</b>	<b>1117.5</b>	<b>800.6</b>	<b>936.2</b>	<b>1268.7</b>	<b>3558.1</b>	<b>1008.4</b>	<b>1005.7</b>	<b>796.9</b>
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	<b>30885.3</b>	<b>31691.8</b>	<b>29989.5</b>	<b>30332.3</b>	<b>30989.5</b>	<b>30631.9</b>	<b>30772.2</b>	<b>30656.8</b>	<b>31724.0</b>
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	<b>16190.2</b>	<b>15573.7</b>	<b>22900.7</b>	<b>19088.4</b>	<b>17738.0</b>	<b>18008.4</b>	<b>16730.6</b>	<b>18098.5</b>	<b>20083.3</b>
9 बैंक ऋण (10.1+11)	<b>60089.8</b>	<b>54622.3</b>	<b>62981.9</b>	<b>62462.4</b>	<b>62015.8</b>	<b>62273.3</b>	<b>61704.0</b>	<b>61037.6</b>	<b>62865.8</b>
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	<b>60086.2</b>	<b>54619.9</b>	<b>62981.4</b>	<b>62461.9</b>	<b>62015.3</b>	<b>62272.8</b>	<b>61703.4</b>	<b>61037.1</b>	<b>62865.3</b>
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	76196.5	77832.9	77427.1	76748.4	75814.1	74819.4	75750.4	74965.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	2.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6

# मूल्य और उत्पादन

## सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अक्टूबर 18	सितंबर 19	अक्टूबर 19	अक्टूबर 18	सितंबर 19	अक्टूबर 19	अक्टूबर 18	सितंबर 19	अक्टूबर 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 खाद्य और पेय पदार्थ</b>	<b>139.5</b>	<b>138.4</b>	<b>139.1</b>	<b>140.2</b>	<b>145.5</b>	<b>148.3</b>	<b>139.4</b>	<b>149.5</b>	<b>151.9</b>	<b>139.9</b>	<b>147.0</b>	<b>149.6</b>
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	139.3	140.1	141.0	137.6	142.7	143.5	138.8	140.9	141.8
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	147.6	161.9	161.6	144.9	158.7	159.8	146.7	160.8	161.0
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	134.6	138.3	141.2	133.5	141.6	144.7	134.2	139.6	142.6
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	141.9	145.7	146.5	141.5	144.9	145.6	141.8	145.4	146.2
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	123.5	125.1	125.6	118.0	120.8	121.1	121.5	123.5	123.9
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	144.5	143.8	145.7	139.5	149.8	150.6	142.2	146.6	148.0
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	147.6	163.4	178.7	153.0	192.4	207.2	149.4	173.2	188.4
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	121.4	132.2	133.1	113.2	130.3	131.2	118.6	131.6	132.5
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	112.3	112.8	113.6	112.8	114.0	114.8	112.5	113.2	114.0
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	139.5	144.2	145.5	141.1	143.8	145.2	140.0	144.1	145.4
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	134.6	138.5	138.6	127.6	130.0	130.2	131.7	135.0	135.1
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	155.2	157.2	157.4	152.0	156.4	156.8	153.7	156.8	157.1
<b>2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ</b>	<b>159.4</b>	<b>162.9</b>	<b>160.4</b>	<b>159.6</b>	<b>165.7</b>	<b>166.3</b>	<b>164.0</b>	<b>168.6</b>	<b>169.3</b>	<b>160.8</b>	<b>166.5</b>	<b>167.1</b>
<b>3 कपड़ा और जूते</b>	<b>150.3</b>	<b>139.3</b>	<b>145.9</b>	<b>149.8</b>	<b>151.0</b>	<b>151.0</b>	<b>139.7</b>	<b>143.3</b>	<b>143.9</b>	<b>145.8</b>	<b>147.9</b>	<b>148.2</b>
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	150.7	151.7	151.7	141.5	145.3	145.9	147.1	149.2	149.4
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	144.5	146.6	146.7	129.8	132.2	132.4	138.4	140.6	140.8
<b>4 आवास</b>	--	<b>145.6</b>	<b>145.6</b>	--	--	--	<b>146.3</b>	<b>152.2</b>	<b>153.0</b>	<b>146.3</b>	<b>152.2</b>	<b>153.0</b>
<b>5 ईंधन और लाइट</b>	<b>147.0</b>	<b>129.3</b>	<b>140.3</b>	<b>149.7</b>	<b>146.9</b>	<b>147.7</b>	<b>133.4</b>	<b>126.6</b>	<b>128.9</b>	<b>143.5</b>	<b>139.2</b>	<b>140.6</b>
<b>6 विविध</b>	<b>138.6</b>	<b>131.1</b>	<b>134.9</b>	<b>139.8</b>	<b>145.4</b>	<b>145.7</b>	<b>132.5</b>	<b>135.7</b>	<b>136.0</b>	<b>136.3</b>	<b>140.7</b>	<b>141.0</b>
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	147.5	150.3	150.6	135.1	138.3	138.7	141.6	144.6	145.0
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	144.8	153.4	153.7	136.2	141.9	142.4	141.5	149.0	149.4
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	130.8	131.6	131.7	123.3	121.2	121.5	126.9	126.1	126.3
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	140.1	148.3	148.6	130.7	135.9	136.2	134.8	141.3	141.6
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	148.0	160.2	160.6	145.5	151.6	151.7	146.5	155.2	155.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	134.4	140.2	140.3	130.4	139.0	139.5	132.7	139.7	140.0
<b>सामान्य सूचकांक (सभी समूह)</b>	<b>141.3</b>	<b>137.7</b>	<b>139.6</b>	<b>142.2</b>	<b>146.7</b>	<b>148.3</b>	<b>138.9</b>	<b>144.7</b>	<b>146.0</b>	<b>140.7</b>	<b>145.8</b>	<b>147.2</b>

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2018	2019	
				अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	302	322	325
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	913	976	987
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	920	983	993

स्रोत : श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018	2019		
		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)		31193	31489	37927	38214
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)		38404	38307	46682	45578

स्रोत : मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018		2019	
			अक्टूबर	अगस्त	सितंबर (अ)	अक्टूबर (अ)
			1	2	3	4
<b>1 सभी पण्य</b>	<b>100.000</b>	<b>119.8</b>	<b>122.0</b>	<b>121.5</b>	<b>121.3</b>	<b>122.2</b>
<b>1.1 प्राथमिक वस्तुएं</b>	<b>22.618</b>	<b>134.2</b>	<b>137.2</b>	<b>144.0</b>	<b>143.0</b>	<b>146.0</b>
<b>1.1.1 खाद्य वस्तुएं</b>	<b>15.256</b>	<b>143.7</b>	<b>145.9</b>	<b>156.1</b>	<b>155.3</b>	<b>160.2</b>
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	146.7	146.7	159.2	160.1	160.8
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	157.8	180.1	175.3	194.1
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	144.1	145.9	145.4	146.0
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	135.3	144.4	144.3	145.6
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	131.7	141.6	146.9	148.8
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	143.1	142.8	143.0	143.2
<b>1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं</b>	<b>4.119</b>	<b>123.1</b>	<b>123.4</b>	<b>129.8</b>	<b>126.7</b>	<b>126.3</b>
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	130.1	130.1	129.1	127.3
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	137.6	151.7	154.5	151.4
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	108.1	105.8	104.2	103.1
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	166.7	239.2	181.7	207.4
<b>1.1.3 खनिज</b>	<b>0.833</b>	<b>136.5</b>	<b>140.4</b>	<b>158.4</b>	<b>163.6</b>	<b>158.4</b>
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	128.1	153.7	159.5	153.7
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	183.6	175.0	177.8	175.0
<b>1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस</b>	<b>2.410</b>	<b>92.4</b>	<b>104.1</b>	<b>86.4</b>	<b>86.4</b>	<b>85.8</b>
<b>1.2 ईंधन और बिजली</b>	<b>13.152</b>	<b>104.1</b>	<b>111.3</b>	<b>101.2</b>	<b>100.2</b>	<b>102.1</b>
<b>1.2.1 कोल</b>	<b>2.138</b>	<b>123.3</b>	<b>123.4</b>	<b>124.0</b>	<b>124.8</b>	<b>124.8</b>
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	133.3	133.9	136.5	136.5
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	129.9	129.9	131.1
<b>1.2.2 खनिज तेल</b>	<b>7.950</b>	<b>96.7</b>	<b>107.6</b>	<b>91.4</b>	<b>90.5</b>	<b>93.0</b>
<b>1.2.3 बिजली</b>	<b>3.064</b>	<b>109.6</b>	<b>112.4</b>	<b>110.7</b>	<b>108.3</b>	<b>110.0</b>
<b>1.3 विनिर्मित उत्पाद</b>	<b>64.231</b>	<b>117.9</b>	<b>118.9</b>	<b>117.8</b>	<b>117.9</b>	<b>117.9</b>
<b>1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>9.122</b>	<b>128.6</b>	<b>129.7</b>	<b>132.5</b>	<b>133.6</b>	<b>134.5</b>
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	138.1	138.1	138.3	138.6
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	140.6	136.6	138.2	139.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	114.1	114.5	114.2	113.9
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	118.8	113.9	114.9	116.4
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	136.0	143.1	144.7	146.2
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	143.0	146.6	147.2	148.0
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	113.3	136.9	136.9	137.0
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	129.8	132.3	132.4	133.2
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	113.2	119.0	120.4	120.1
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	129.2	127.2	126.8	128.6
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	133.5	131.7	137.9	138.1
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	138.5	143.8	143.7	140.9
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	120.5	129.8	131.8	133.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	126.6	128.5	128.4	126.8
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	139.6	159.6	165.6	167.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	159.4	177.2	179.3	180.1
<b>1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण</b>	<b>0.909</b>	<b>120.7</b>	<b>121.4</b>	<b>123.7</b>	<b>124.1</b>	<b>123.4</b>
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	114.8	117.8	118.2	118.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	121.4	126.8	126.9	126.5
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	131.1	129.8	130.8	128.6
<b>1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद</b>	<b>0.514</b>	<b>150.4</b>	<b>149.9</b>	<b>153.9</b>	<b>154.0</b>	<b>155.2</b>
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	149.9	153.9	154.0	155.2
<b>1.3.4 वस्त्र विनिर्माण</b>	<b>4.881</b>	<b>117.9</b>	<b>119.2</b>	<b>118.1</b>	<b>117.9</b>	<b>117.7</b>
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	112.6	109.0	108.5	107.7
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	127.8	129.3	129.3	130.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	113.6	115.4	115.3	114.7
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	129.1	135.8	136.2	134.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	140.7	140.8	140.8	143.0
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	120.4	116.4	117.7	118.1
<b>1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र</b>	<b>0.814</b>	<b>138.8</b>	<b>138.4</b>	<b>137.6</b>	<b>138.9</b>	<b>138.4</b>
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	139.3	138.4	139.7	138.8
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	136.2	135.4	136.8	137.4

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019	
			अक्टूबर	अगस्त	सितंबर (अ)	अक्टूबर (अ)
	1	2	3	4	5	6
<b>1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>0.535</b>	<b>121.8</b>	<b>121.9</b>	<b>119.2</b>	<b>118.8</b>	<b>118.6</b>
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	111.0	110.7	108.6	106.3	104.8
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	137.4	136.6	135.7	136.2
1.3.6.3 जुते चप्पल	0.318	123.5	123.2	119.9	120.4	120.7
<b>1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद</b>	<b>0.772</b>	<b>133.5</b>	<b>132.5</b>	<b>134.3</b>	<b>134.0</b>	<b>134.4</b>
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	123.6	120.1	120.3	121.8
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	136.3	135.9	136.0	135.7	135.2
1.3.7.3 बिल्डरो की बढ़ईगीरी	0.036	158.7	158.5	174.9	176.1	176.1
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	119.8	129.7	128.7	131.5
<b>1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.113</b>	<b>123.3</b>	<b>124.7</b>	<b>121.4</b>	<b>120.9</b>	<b>120.3</b>
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	129.3	131.9	125.3	125.5	123.4
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	116.0	115.5	113.6	114.9
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	121.8	121.2	120.9	121.0
<b>1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन</b>	<b>0.676</b>	<b>146.6</b>	<b>146.7</b>	<b>149.2</b>	<b>149.4</b>	<b>153.2</b>
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	146.7	149.2	149.4	153.2
<b>1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>6.465</b>	<b>119.1</b>	<b>120.5</b>	<b>118.2</b>	<b>117.9</b>	<b>117.4</b>
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	127.6	121.2	120.9	119.4
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	121.6	123.0	123.1	122.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	120.3	114.3	114.1	112.7
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रीकेमिकल उत्पाद	0.454	120.2	119.9	122.9	121.9	123.0
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	112.4	115.5	114.4	114.5
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	116.7	118.8	118.8	118.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	118.7	114.0	113.4	113.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	107.0	98.9	98.4	97.5
<b>1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.993</b>	<b>123.5</b>	<b>123.2</b>	<b>126.4</b>	<b>125.6</b>	<b>125.9</b>
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	123.2	126.4	125.6	125.9
<b>1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>2.299</b>	<b>109.6</b>	<b>109.9</b>	<b>108.3</b>	<b>108.1</b>	<b>108.3</b>
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.0	99.7	99.3	98.8
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	91.6	94.0	93.4	93.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	118.2	114.8	114.7	115.2
<b>1.3.13 अन्य अघात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.202</b>	<b>115.9</b>	<b>115.5</b>	<b>116.7</b>	<b>116.8</b>	<b>115.8</b>
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	122.0	126.8	126.2	120.9
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	111.5	109.7	109.8	109.3
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	95.8	101.3	102.3	103.4
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.2	114.5	114.5	112.7
1.3.13.5 सीमेंट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	113.0	118.5	118.7	118.6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	120.5	120.9	121.1	121.3
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	118.7	122.7	121.8	120.4
1.3.13.8 अन्य अघात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	139.5	90.4	89.8	84.9
<b>1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण</b>	<b>9.646</b>	<b>112.2</b>	<b>114.8</b>	<b>104.6</b>	<b>104.8</b>	<b>103.6</b>
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	119.0	96.2	96.5	95.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	117.8	121.6	104.1	103.9	102.1
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	101.2	93.6	93.3	92.9
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	110.2	111.5	104.2	103.6	102.7
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	119.6	123.0	107.9	106.5	103.3
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	114.3	99.9	100.6	98.9
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	114.1	98.3	101.1	98.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	127.6	124.5	125.3	124.7
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	112.9	106.9	107.1	106.5
1.3.14.10 कार्टिंग	0.925	109.8	110.7	115.1	115.1	115.7
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	136.7	145.1	149.8	147.8
<b>1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.155</b>	<b>115.1</b>	<b>116.0</b>	<b>114.7</b>	<b>115.1</b>	<b>115.0</b>
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	114.2	114.0	113.5	113.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	129.6	121.9	122.4	125.0
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	105.9	103.8	100.9	106.0	106.3
1.3.15.4 धातु की फॉजिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	93.8	101.6	102.0	99.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.5	100.3	100.3	100.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	125.1	123.2	123.7	122.5
<b>1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.009</b>	<b>111.8</b>	<b>113.1</b>	<b>110.2</b>	<b>110.1</b>	<b>109.8</b>
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	101.3	98.0	97.3	97.5
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	135.1	135.1	135.1	135.1

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018		2019	
			अक्टूबर	अगस्त	सितंबर (अ)	अक्टूबर (अ)
			1	2	3	4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	117.3	117.2	117.6	117.5
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	105.5	99.0	98.9	97.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	111.2	110.5	110.5	112.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	138.5	138.7	138.7	136.5
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	101.9	100.3	100.3	102.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	107.2	109.5	109.5	109.5
<b>1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण</b>	<b>2.930</b>	<b>111.7</b>	<b>111.7</b>	<b>110.9</b>	<b>110.5</b>	<b>111.2</b>
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	106.7	108.0	107.6	108.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	118.3	117.5	117.1	117.0
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	128.5	106.6	106.3	108.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	112.3	109.9	109.1	109.7
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	109.8	112.1	111.7	112.5
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	121.0	120.5	119.5	120.6
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.9	107.7	108.7	107.7
<b>1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>4.789</b>	<b>111.3</b>	<b>111.5</b>	<b>113.6</b>	<b>113.9</b>	<b>112.8</b>
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	102.5	105.0	105.0	104.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	118.8	120.3	120.4	120.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.0	111.5	111.8	111.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	110.2	110.8	111.7	111.6
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.2	77.4	79.8	80.0	80.1
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	110.0	112.4	112.6	111.7
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	130.2	135.2	135.2	128.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	117.6	120.6	121.0	120.9
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	102.5	108.0	108.8	107.9
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	76.5	74.5	76.1	75.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	128.0	123.7	121.5	120.4
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	118.9	118.7	118.6	117.6
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	123.2	127.6	127.8	127.1
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	66.6	66.6	66.6
<b>1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण</b>	<b>4.969</b>	<b>112.8</b>	<b>113.4</b>	<b>113.0</b>	<b>112.9</b>	<b>114.6</b>
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	114.0	114.5	114.4	115.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	112.8	111.3	111.2	114.0
<b>1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>1.648</b>	<b>111.7</b>	<b>111.8</b>	<b>117.7</b>	<b>118.0</b>	<b>118.0</b>
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	103.6	106.6	106.6	106.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	106.8	113.9	114.3	114.4
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	128.7	128.2	128.2	128.0
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	124.8	124.7	125.7	125.9
<b>1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण</b>	<b>0.727</b>	<b>127.3</b>	<b>127.7</b>	<b>131.9</b>	<b>132.2</b>	<b>130.8</b>
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	127.7	131.9	132.2	130.8
<b>1.3.22 अन्य विनिर्माण</b>	<b>1.064</b>	<b>107.0</b>	<b>107.6</b>	<b>114.3</b>	<b>113.8</b>	<b>116.7</b>
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	104.5	111.6	111.0	114.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	167.5	173.4	176.0	166.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	128.8	129.1	129.1	129.2
1.3.22.4 खेल और खिलाड़ियों	0.005	132.2	131.1	137.1	136.5	135.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.6	162.1	162.1	162.5
<b>2 खाद्य सूचकांक</b>	<b>24.378</b>	<b>138.1</b>	<b>139.9</b>	<b>147.3</b>	<b>147.2</b>	<b>150.6</b>

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 22: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2017-18	2018-19	अप्रैल-सितंबर		सितंबर	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	127.1	128.7	128.8	123.3
<b>1 क्षेत्रवार वर्गीकरण</b>							
1.1 खनन	14.37	104.9	107.9	99.5	100.5	94.5	86.5
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	128.6	129.9	131.6	126.5
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	161.7	167.9	162.9	158.7
<b>2 उपयोग आधारित वर्गीकरण</b>							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	123.4	124.9	120.0	113.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	106.5	95.5	115.0	91.2
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	123.2	134.7	125.6	134.4
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	138.5	137.0	137.2	128.4
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	132.8	126.2	136.9	123.4
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	136.8	143.9	145.6	145.0

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सरकारी खाते और खज़ाना बिल

## सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - अक्टूबर			
	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वर्तमान)	2018-19 (वर्तमान)	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
<b>1 राजस्व प्राप्ति</b>	<b>1962761</b>	<b>907634</b>	<b>788829</b>	<b>46.2</b>	<b>45.7</b>
1.1 कर राजस्व (निवल)	1649582	683486	661113	41.4	44.7
1.2 करेतर राजस्व	313179	224148	127716	71.6	52.1
<b>2 पूंजीगत प्राप्ति</b>	<b>119828</b>	<b>26826</b>	<b>19181</b>	<b>22.4</b>	<b>20.8</b>
2.1 ऋण की वसूली	14828	9461	9080	63.8	74.4
2.2 अन्य प्राप्ति	105000	17365	10101	16.5	12.6
<b>3 कुल प्राप्ति (1+2)</b>	<b>2082589</b>	<b>934460</b>	<b>808010</b>	<b>44.9</b>	<b>44.4</b>
<b>4 राजस्व व्यय</b>	<b>2447780</b>	<b>1453632</b>	<b>1279494</b>	<b>59.4</b>	<b>59.7</b>
4.1 ब्याज भुगतान	660471	289565	292093	43.8	50.7
5 पूंजी व्यय	338569	201273	177099	59.4	58.9
<b>6 कुल व्यय (4+5)</b>	<b>2786349</b>	<b>1654905</b>	<b>1456593</b>	<b>59.4</b>	<b>59.6</b>
<b>7 राजस्व घाटा (4-1)</b>	<b>485019</b>	<b>545998</b>	<b>490665</b>	<b>112.6</b>	<b>117.9</b>
<b>8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}</b>	<b>703760</b>	<b>720445</b>	<b>648583</b>	<b>102.4</b>	<b>103.9</b>
<b>9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)</b>	<b>43289</b>	<b>430880</b>	<b>356490</b>	<b>995.4</b>	<b>735.3</b>

स्रोत : महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19		2018		2019				
	1	2	अक्टूबर 26	सितंबर 20	सितंबर 27	अक्टूबर 4	अक्टूबर 11	अक्टूबर 18	अक्टूबर 25
			3	4	5	6	7	8	
<b>1 91-दिवसीय</b>									
1.1 बैंक	18521	37881	11341	24901	20356	18326	20826	20364	
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	19150	7369	10155	10456	8338	8115	9730	
1.3 राज्य सरकारें	26999	62572	69796	70211	70131	65049	67689	71344	
1.4 अन्य	27747	73454	88183	70022	76182	80350	81032	82056	
<b>2 182-दिवसीय</b>									
2.1 बैंक	31953	38022	73205	77199	74598	77877	77275	80120	
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	36983	44696	48024	47611	40881	34117	33701	
2.3 राज्य सरकारें	28036	35728	8035	8104	8100	8082	7942	7327	
2.4 अन्य	18567	26928	32473	27026	27008	28587	33144	27799	
<b>3 364-दिवसीय</b>									
3.1 बैंक	48811	51073	62007	62849	62972	62870	63555	62695	
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	70020	66713	67912	65445	62811	61378	61223	
3.3 राज्य सरकारें	18892	18092	17960	18060	18000	16950	16950	17930	
3.4 अन्य	62393	57477	55746	53578	55221	57243	57147	57226	
<b>4 14-दिवसीय मध्यवर्ती</b>									
4.1 बैंक									
4.2 प्राथमिक व्यापारी									
4.3 राज्य सरकारें	165605	129484	141042	131653	77125	73572	79850	128165	
4.4 अन्य	252	467	452	375	485	1000	261	220	
<b>कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#</b>	<b>412704</b>	<b>527380</b>	<b>537523</b>	<b>538041</b>	<b>536079</b>	<b>527363</b>	<b>529170</b>	<b>531515</b>	

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

## सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य	संख्या	कुल अंकित मूल्य					
			प्रतियोगी		गैर-प्रतियोगी				प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>91-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
अक्टूबर 1	9000	57	94338	2102	28	8998	2102	11100	98.69	5.3241
अक्टूबर 9	9000	55	75902	79	25	8921	79	9000	98.72	5.2006
अक्टूबर 16	9000	62	110191	5511	44	8989	5511	14500	98.74	5.1183
अक्टूबर 23	9000	52	88887	6430	21	8970	6430	15400	98.75	5.0772
अक्टूबर 30	9000	48	103917	6003	12	8997	6003	15000	98.76	5.0361
<b>182-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
अक्टूबर 1	4000	62	29330	0	17	4000	0	4000	97.36	5.4381
अक्टूबर 9	4000	54	21302	0	27	4000	0	4000	97.41	5.3323
अक्टूबर 16	4000	47	22850	1	6	3999	1	4000	97.45	5.2478
अक्टूबर 23	4000	54	37689	0	11	4000	0	4000	97.47	5.2056
अक्टूबर 30	4000	55	27042	0	32	4000	0	4000	97.47	5.2056
<b>364-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
अक्टूबर 1	3000	74	17345	225	25	2850	150	3000	94.77	5.5338
अक्टूबर 9	3000	55	13520	0	23	3000	0	3000	94.88	5.4111
अक्टूबर 16	3000	66	16238	1	11	2999	1	3000	94.92	5.3666
अक्टूबर 23	3000	81	15560	1021	30	2999	1021	4020	94.96	5.3221
अक्टूबर 30	3000	65	17115	0	27	3000	0	3000	94.98	5.2998

## वित्तीय बाजार

## सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
अक्तूबर	1, 2019	4.00-5.45	5.25
अक्तूबर	3, 2019	4.00-5.45	5.22
अक्तूबर	4, 2019	4.00-5.45	5.16
अक्तूबर	5, 2019	3.50-5.05	4.85
अक्तूबर	7, 2019	3.70-5.25	5.12
अक्तूबर	9, 2019	3.70-5.25	5.07
अक्तूबर	10, 2019	3.70-5.20	5.07
अक्तूबर	11, 2019	3.70-5.50	5.04
अक्तूबर	14, 2019	3.70-5.20	5.06
अक्तूबर	15, 2019	3.60-5.25	5.05
अक्तूबर	16, 2019	3.60-5.25	5.05
अक्तूबर	17, 2019	3.60-5.25	5.04
अक्तूबर	18, 2019	3.60-5.25	5.06
अक्तूबर	19, 2019	3.60-5.25	4.86
अक्तूबर	22, 2019	3.60-5.30	5.09
अक्तूबर	23, 2019	3.60-5.25	5.06
अक्तूबर	24, 2019	3.60-5.40	5.06
अक्तूबर	25, 2019	3.60-5.27	5.08
अक्तूबर	29, 2019	3.70-5.25	5.08
अक्तूबर	30, 2019	3.70-5.35	5.09
अक्तूबर	31, 2019	3.70-5.35	5.10
नवंबर	1, 2019	3.70-5.25	5.04
नवंबर	2, 2019	3.20-5.15	4.86
नवंबर	4, 2019	3.70-5.25	5.03
नवंबर	5, 2019	3.70-5.25	5.04
नवंबर	6, 2019	3.70-5.25	5.07
नवंबर	7, 2019	3.70-5.25	5.05
नवंबर	8, 2019	3.70-5.25	5.02
नवंबर	11, 2019	3.70-5.25	5.06
नवंबर	13, 2019	3.70-5.25	5.09
नवंबर	14, 2019	3.70-5.35	5.06
नवंबर	15, 2019	3.70-5.35	5.07

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा सहित।

**सं. 27: जमा प्रमाणपत्र**

मद	2018		2019		
	अक्टूबर 26	सितंबर 13	सितंबर 27	अक्टूबर 11	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	154067.75	168671.00	188101.00	181011.00	171396.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	10241.76	6149.62	25997.21	3073.99	4406.72
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.98-8.45	5.33-6.65	5.30-6.76	5.31-6.35	5.33-7.28

**सं. 28: वाणिज्यिक पत्र**

मद	2018		2019		
	अक्टूबर 31	सितंबर 15	सितंबर 30	अक्टूबर 15	अक्टूबर 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	587688.66	506326.90	459742.10	486121.25	462308.75
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	94931.15	71069.70	94892.90	106083.50	80459.45
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.87-10.38	5.29-9.93	5.30-11.99	5.19-13.22	5.03-14.08

**सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर**

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018		2019				
		अक्टूबर 19	सितंबर 20	सितंबर 27	अक्टूबर 4	अक्टूबर 11	अक्टूबर 18	अक्टूबर 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	31280	31169	32753	34535	20121	24812	22434	19676
2 नोटिस मुद्रा	4930	9944	7702	662	6385	383	5169	995
3 मीयादी मुद्रा	740	419	591	660	1357	545	855	771
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	213010	309711	310190	250695	317322	279729	349002	271001
5 बाजार रिपो	200970	288325	246359	167207	236125	175746	242956	194202
6 कार्पोरेट बांड में रिपो		1887	1191	871	251	180	80	40
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	60502	71264	82200	82120	64144	62360	61785
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65800	61720	91751	97160	89725	78755	76575	41074
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4320	3148	3832	8198	3469	4411	5660	3699
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3380	1730	3746	9037	4001	5139	4293	4462
10.2 182-दिवसीय	1450	1733	2272	3621	4097	5912	4400	1391
10.3 364-दिवसीय	1620	2052	5772	6024	6240	4573	2162	3580
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1400	2428						
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970	72813	107373	124040	107530	98790	93089	54206
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	3010	161	355	152	148	2	128

**टिप्पणी :** मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

## सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(करोड़ ₹)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रैल-अक्टूबर)		2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर)*		अक्टूबर 2018		अक्टूबर 2019 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 इक्विटी शेयर</b>	<b>129</b>	<b>16754</b>	<b>97</b>	<b>13700</b>	<b>49</b>	<b>59508</b>	<b>14</b>	<b>182</b>	<b>6</b>	<b>333</b>
1ए प्रीमियम	124	16083	95	13270	48	37975	14	137	5	283
1.1 पब्लिक	119	14606	93	12572	38	8087	14	182	4	98
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	91	12221	37	7936	14	137	3	78
1.2 राइट्स	10	2149	4	1128	11	51420	-	-	2	235
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	4	1049	11	30038	-	-	2	205
<b>2 अधिमान शेयर</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 बांड और डिबेंचर</b>	<b>25</b>	<b>36680</b>	<b>13</b>	<b>28040</b>	<b>23</b>	<b>8766</b>	<b>2</b>	<b>707</b>	<b>3</b>	<b>973</b>
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	13	28040	23	8766	2	707	3	973
3.1.1 पब्लिक	25	36680	13	28040	23	8766	2	707	3	973
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 कुल (1+2+3+4)</b>	<b>154</b>	<b>53434</b>	<b>110</b>	<b>41740</b>	<b>72</b>	<b>68274</b>	<b>16</b>	<b>889</b>	<b>9</b>	<b>1306</b>
4.1 पब्लिक	144	51284	106	40611	61	16854	16	889	7	1071
4.2 राइट्स	10	2149	4	1128	11	51420	-	-	2	235

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

\* : आंकड़े अनंतिम हैं।

## बाह्य क्षेत्र

## सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018		2019			
			अक्टूबर	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	2307726	196406	173714	180561	185650	186250	187382
	मिलियन अमरिकी डालर	330078	26674	25017	26241	26094	26110	26377
1.1 तेल	करोड़ ₹	325929	31254	18298	23992	23494	25100	25750
	मिलियन अमरिकी डालर	46554	4245	2635	3487	3302	3519	3625
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1981797	165152	155416	156570	162156	161149	161632
	मिलियन अमरिकी डालर	283525	22429	22382	22754	22792	22591	22752
2 आयात	करोड़ ₹	3585672	328974	284294	273909	281446	263203	265628
	मिलियन अमरिकी डालर	514078	44678	40942	39808	39559	36897	37392
2.1 तेल	करोड़ ₹	986275	103865	77184	66350	77381	64054	68400
	मिलियन अमरिकी डालर	140921	14106	11115	9643	10876	8979	9628
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2599397	225109	207110	207559	204066	199149	197228
	मिलियन अमरिकी डालर	373158	30572	29826	30165	28683	27918	27763
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1277945	-132567	-110580	-93348	-95796	-76953	-78246
	मिलियन अमरिकी डालर	-184000	-18004	-15925	-13566	-13465	-10788	-11014
3.1 तेल	करोड़ ₹	-660346	-72611	-58886	-42359	-53887	-38954	-42650
	मिलियन अमरिकी डालर	-94367	-9861	-8480	-6156	-7574	-5461	-6004
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-617599	-59956	-51695	-50989	-41909	-38000	-35596
	मिलियन अमरिकी डालर	-89633	-8143	-7445	-7410	-5891	-5327	-5011

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

## सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018		2019				
		नवंबर 23	अक्टूबर 18	अक्टूबर 25	नवंबर 1	नवंबर 8	नवंबर 15	नवंबर 22
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड़ ₹	2801520	3137627	3139068	3161242	3189825	3219968	3219474
	मिलियन अमरिकी डालर	392785	440751	442583	446098	447808	448249	448596
1.1 विदेशी मुद्रा आरिक्तियां	करोड़ ₹	2617070	2910248	2911171	2931325	2962020	2991738	2990717
	मिलियन अमरिकी डालर	367700	408811	410453	413654	415828	416472	416725
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	155360	191215	191868	193835	191683	191868	192307
	मिलियन अमरिकी डालर	20998	26861	27052	27353	26910	26709	26796
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1052	1046	1046	1046	1046	1046	1046
	करोड़ ₹	10370	10250	10219	10228	10256	10309	10333
	मिलियन अमरिकी डालर	1457	1440	1441	1443	1440	1435	1440
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	18720	25914	25810	25855	25866	26053	26118
	मिलियन अमरिकी डालर	2630	3640	3637	3648	3630	3633	3635

\* अंतर, यदि कोई हो तो पूर्णांकन के वजह से है।

## सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरिकी डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	अप्रैल-अक्टूबर	अप्रैल-अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130,423	121,532	132,894	133,720	7,573	6,045
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	22,163	24,500	24,710	137	1,540
1.2 एनआर (ई) आरए	92,017	85,573	92,552	93,045	6,087	3,376
1.3 एनआरओ	15,236	13,796	15,842	15,965	1,349	1,128

## सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-अक्टूबर	अप्रैल-अक्टूबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
<b>1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)</b>	<b>30712</b>	<b>20103</b>	<b>23350</b>	<b>3120</b>	<b>1931</b>	<b>2155</b>
<b>1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)</b>	<b>43302</b>	<b>27691</b>	<b>29623</b>	<b>4544</b>	<b>2550</b>	<b>3027</b>
<b>1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश</b>	<b>62001</b>	<b>37293</b>	<b>40127</b>	<b>6257</b>	<b>4475</b>	<b>4952</b>
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45055	27752	29696	4756	2797	3269
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2429	1822	2925	72	55	61
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	36315	22178	22604	3918	2150	2496
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5622	3363	3778	709	536	654
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	389	389	58	56	58
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13672	7722	7687	1150	1115	1150
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3274	1820	2744	351	564	533
<b>1.1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश</b>	<b>18699</b>	<b>9602</b>	<b>10504</b>	<b>1713</b>	<b>1925</b>	<b>1925</b>
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18452	9415	10457	1700	1918	1918
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	186	46	13	7	7
<b>1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)</b>	<b>12590</b>	<b>7588</b>	<b>6274</b>	<b>1424</b>	<b>619</b>	<b>872</b>
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7201	4496	3601	794	439	896
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3032	1769	1781	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5202	2558	2724	585	565	361
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	2845	1235	1832	208	638	638
<b>1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)</b>	<b>-618</b>	<b>-11701</b>	<b>4980</b>	<b>-3758</b>	<b>-56</b>	<b>2040</b>
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1820	1820	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2225	-15289	7311	-3783	684	2780
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-1768	2332	-26	740	740
<b>1 विदेशी निवेश अंतर्वाह</b>	<b>30094</b>	<b>8402</b>	<b>28329</b>	<b>-637</b>	<b>1875</b>	<b>4195</b>

## सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		अक्टूबर	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4	5
<b>1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण</b>	<b>13,787.6</b>	<b>1,093.6</b>	<b>1,875.8</b>	<b>1,592.4</b>	<b>1,523.8</b>
1.1 जमाराशियां	455.9	29.7	33.7	46.9	39.6
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.5	9.0	6.8	7.4	8.7
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.9	29.7	25.5	34.7	38.8
1.4 उपहार	1,370.2	90.9	177.2	129.3	148.4
1.5 दान	8.7	0.3	10.3	1.6	0.7
1.6 यात्रा	4,803.8	373.8	784.7	642.9	579.0
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,800.9	192.9	281.6	242.8	256.8
1.8 चिकित्सा उपचार	28.6	2.6	2.7	2.2	3.2
1.9 विदेश में शिक्षा	3,569.9	344.0	531.2	467.2	432.7
1.10 अन्य	242.2	20.8	22.2	17.4	16.1

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और  
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2018	2019	
			नवंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5
<b>36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)</b>					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	71.64	73.23	72.54
1.2 रीर	119.71	114.01	113.05	116.78	115.68
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	72.97	74.50	73.84
2.2 रीर	121.94	116.32	115.05	119.11	118.05
<b>6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक</b>					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	62.40	63.90	63.28
1.2 रीर	129.19	121.70	121.25	126.70	125.96
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	91.89	94.10	93.18
2.2 रीर	100.00	94.20	93.86	98.07	97.50

**सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण**

(राशि मिलियन अमरिकी डालर में)

मद	2018-19	2018	2019	
		अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	79	118	100
1.2 राशि	28,387	1,402	4,139	2,877
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	1	1	2
2.2 राशि	13,537	9	750	538
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1,020	80	119	102
3.2 राशि	41,924	1,411	4,889	3,415
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	7.00	6.10	5.30
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	1.53	1.17	1.46
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.20-11.50	0.00-11.30	0.00-10.50

## सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>समग्र भुगतान शेष (1+2+3)</b>	<b>286992</b>	<b>298331</b>	<b>-11338</b>	<b>302166</b>	<b>288182</b>	<b>13984</b>
<b>1 चालू खाता (1.1+1.2)</b>	<b>155749</b>	<b>171552</b>	<b>-15803</b>	<b>160686</b>	<b>175031</b>	<b>-14345</b>
<b>1.1 पण्य</b>	<b>83389</b>	<b>129140</b>	<b>-45751</b>	<b>82729</b>	<b>128941</b>	<b>-46212</b>
<b>1.2 अदृश्य मर्चे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)</b>	<b>72360</b>	<b>42413</b>	<b>29947</b>	<b>77957</b>	<b>46091</b>	<b>31867</b>
1.2.1 सेवाएं	48200	29524	18676	52197	32166	20031
1.2.1.1 यात्रा	6448	5914	534	6950	6203	747
1.2.1.2 परिवहन	4863	4776	87	5344	6104	-760
1.2.1.3 बीमा	606	373	233	588	409	179
1.2.1.4 जीएनआईई	170	278	-108	151	307	-155
1.2.1.5 विविध	36114	18183	17930	39164	19143	20021
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	20121	1516	18605	22811	1812	20998
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9436	9479	-43	11475	11715	-239
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1111	744	367	1287	519	769
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	522	232	290	700	284	415
1.2.2 अंतरण	18803	1772	17031	19963	2012	17951
1.2.2.1 आधिकारिक	41	225	-184	35	307	-272
1.2.2.2 निजी	18763	1547	17216	19928	1705	18224
1.2.3 आय	5356	11117	-5760	5797	11913	-6116
1.2.3.1 निवेश आय	4213	10514	-6301	4446	11274	-6829
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1144	603	541	1352	639	713
<b>2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>131243</b>	<b>126456</b>	<b>4787</b>	<b>141032</b>	<b>113150</b>	<b>27882</b>
<b>2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)</b>	<b>77688</b>	<b>76261</b>	<b>1427</b>	<b>88393</b>	<b>69659</b>	<b>18734</b>
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	17235	7663	9573	21215	7323	13891
2.1.1.1 भारत में	16960	3834	13126	20830	3976	16854
2.1.1.1.1 इक्विटी	12914	3821	9093	16492	3957	12535
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3228		3228	3193		3193
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	817	12	805	1145	19	1126
2.1.1.2 विदेश में	276	3829	-3554	384	3347	-2963
2.1.1.2.1 इक्विटी	276	2326	-2050	384	1336	-952
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	770	-770
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	745	-745	0	1241	-1241
2.1.2 संविभाग निवेश	60453	68598	-8145	67178	62335	4843
2.1.2.1 भारत में	59138	68244	-9106	67073	61916	5156
2.1.2.1.1 एफआईआई	59138	68244	-9106	67073	61916	5156
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	49357	52107	-2749	50491	47378	3112
2.1.2.1.1.2 ऋण	9781	16137	-6356	16582	14538	2044
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1315	354	961	105	419	-314
<b>2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)</b>	<b>18774</b>	<b>23046</b>	<b>-4272</b>	<b>22450</b>	<b>12597</b>	<b>9853</b>
2.2.1 बाह्य सहायता	1876	1350	526	3021	1551	1470
2.2.1.1 भारत द्वारा	12	31	-19	5	30	-25
2.2.1.2 भारत को	1864	1319	545	3016	1521	1495
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	4749	6057	-1308	10001	3608	6393
2.2.2.1 भारत द्वारा	1718	1519	199	881	742	140
2.2.2.2 भारत को	3031	4538	-1507	9119	2866	6253
2.2.3 भारत को अल्पावधि	12149	15639	-3490	9428	7438	1990
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	5613	15639	-10026	8028	7438	590
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	6536	0	6536	1400	0	1400
<b>2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)</b>	<b>28806</b>	<b>18745</b>	<b>10061</b>	<b>16877</b>	<b>20761</b>	<b>-3884</b>
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	28806	18231	10575	16877	20378	-3501
2.3.1.1 आस्तियां	11158	5690	5468	5503	10076	-4573
2.3.1.2 देयताएं	17648	12541	5106	11375	10302	1072
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	15578	12067	3512	10780	8026	2754
2.3.2 अन्य	0	513	-513	0	383	-383
<b>2.4 रुपया ऋण चुकोती</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-60</b>
<b>2.5 अन्य पूंजी</b>	<b>5975</b>	<b>8381</b>	<b>-2406</b>	<b>13312</b>	<b>10073</b>	<b>3239</b>
<b>3 भूल-चूक</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>-322</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>
<b>4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)</b>	<b>11338</b>	<b>0</b>	<b>11338</b>	<b>0</b>	<b>13984</b>	<b>-13984</b>
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	11338	0	11338	0	13984	-13984

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

## सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	1922549	1998504	-75956	2101454	2004201	97254
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1043356	1149222	-105867	1117517	1217281	-99764
1.1 पण्य	558619	865100	-306482	575351	896736	-321385
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	484737	284122	200615	542166	320545	221621
1.2.1 सेवाएं	322893	197782	125111	363010	223703	139307
1.2.1.1 यात्रा	43194	39615	3579	48335	43139	5196
1.2.1.2 परिवहन	32574	31994	581	37162	42451	-5289
1.2.1.3 बीमा	4060	2497	1563	4089	2846	1243
1.2.1.4 जीएनआई	1138	1865	-727	1052	2133	-1081
1.2.1.5 विविध	241926	121810	120116	272372	133133	139238
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	134790	10153	124636	158640	12604	146036
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	63210	63496	-286	79808	81470	-1663
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7446	4986	2460	8953	3608	5346
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	3496	1556	1940	4865	1976	2889
1.2.2 अंतरण	125962	11871	114092	138837	13991	124846
1.2.2.1 आधिकारिक	273	1508	-1235	242	2136	-1894
1.2.2.2 निजी	125689	10363	115326	138595	11855	126740
1.2.3 आय	35882	74470	-38588	40319	82851	-42532
1.2.3.1 निवेश आय	28220	70433	-42213	30918	78408	-47490
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7662	4037	3625	9401	4443	4958
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	879193	847122	32071	980828	786920	193908
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	520428	510868	9561	614739	484452	130287
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	115458	51333	64126	147540	50932	96608
2.1.1.1 भारत में	113612	25681	87931	144867	27655	117212
2.1.1.1.1 इक्विटी	86514	25598	60915	114698	27522	87176
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	21623	0	21623	22208	0	22208
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5475	83	5392	7961	133	7828
2.1.1.2 विदेश में	1847	25652	-23805	2673	23277	-20604
2.1.1.2.1 इक्विटी	1847	15580	-13734	2673	9291	-6618
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5078	-5078	0	5357	-5357
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	4993	-4993	0	8628	-8628
2.1.2 संविभाग निवेश	404970	459535	-54565	467199	433520	33679
2.1.2.1 भारत में	396161	457162	-61000	466467	430607	35860
2.1.2.1.1 एफआईआई	396161	457162	-61000	466467	430607	35860
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	330642	349060	-18419	351144	329501	21644
2.1.2.1.1.2 ऋण	65520	108102	-42582	115323	101107	14216
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8809	2374	6435	732	2913	-2181
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	125766	154384	-28619	156133	87608	68525
2.2.1 बाह्य सहायता	12567	9043	3524	21010	10790	10221
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	36	211	-174
2.2.1.2 भारत को	12486	8834	3652	20974	10579	10395
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	31814	40576	-8762	69552	25089	44463
2.2.2.1 भारत द्वारा	11511	10176	1335	6131	5157	974
2.2.2.2 भारत को	20303	30400	-10097	63421	19932	43489
2.2.3 भारत को अल्पावधि	81385	104766	-23381	65571	51730	13841
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	37600	104766	-67165	55835	51730	4105
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	43784	0	43784	9737	0	9737
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	192971	125569	67401	117376	144387	-27011
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	192971	122132	70839	117376	141724	-24348
2.3.1.1 आस्तियां	74749	38118	36631	38270	70077	-31806
2.3.1.2 देयताएं	118221	84013	34208	79106	71648	7458
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	104358	80835	23523	74973	55820	19153
2.3.2 अन्य	0	3438	-3438	0	2662	-2662
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	154	-154	0	418	-418
2.5 अन्य पूंजी	40028	56146	-16118	92580	70054	22525
3 भूल-चूक	0	2160	-2160	3109	0	3109
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	75956	0	75956	0	97254	-97254
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	75956	0	75956	0	97254	-97254

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

## सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)</b>	<b>155748</b>	<b>171530</b>	<b>-15782</b>	<b>160686</b>	<b>175002</b>	<b>-14316</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)</b>	<b>131589</b>	<b>158664</b>	<b>-27074</b>	<b>134926</b>	<b>161107</b>	<b>-26181</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)</b>	<b>83389</b>	<b>129140</b>	<b>-45751</b>	<b>82729</b>	<b>128941</b>	<b>-46212</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	84567	120697	-36129	82205	117492	-35287
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-1178	0	-1178	524	0	524
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		8443	-8443		11449	-11449
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>48200</b>	<b>29524</b>	<b>18676</b>	<b>52197</b>	<b>32166</b>	<b>20031</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	25	10	15	33	18	14
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	40	207	-167	45	413	-368
1.अ.ख.3 परिवहन	4863	4776	87	5344	6104	-760
1.अ.ख.4 यात्रा	6448	5914	534	6950	6203	747
1.अ.ख.5 निर्माण	1010	649	361	754	754	0
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	606	373	233	588	409	179
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1111	744	367	1287	519	769
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	228	2087	-1859	319	2091	-1771
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	20746	1882	18864	23604	2207	21397
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9436	9479	-43	11475	11715	-239
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	496	565	-69	532	631	-99
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	170	278	-108	151	307	-155
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	3021	2561	461	1114	796	318
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>5356</b>	<b>11117</b>	<b>-5760</b>	<b>5797</b>	<b>11913</b>	<b>-6116</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1144	603	541	1352	639	713
1.आ.2 निवेश आय	3563	10337	-6774	3230	11074	-7844
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1789	4391	-2602	1590	4634	-3044
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	34	2361	-2326	46	2503	-2457
1.आ.2.3 अन्य निवेश	210	3574	-3363	163	3922	-3758
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1530	12	1518	1431	15	1415
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	650	177	472	1216	200	1016
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>18803</b>	<b>1750</b>	<b>17053</b>	<b>19963</b>	<b>1982</b>	<b>17981</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएव	18763	1547	17216	19928	1705	18224
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	18172	1141	17031	19303	1217	18086
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	591	406	184	625	487	138
1.इ.2 सामान्य सरकार	40	203	-163	34	278	-243
<b>2. पूँजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>111</b>	<b>94</b>	<b>17</b>	<b>87</b>	<b>910</b>	<b>-824</b>
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	66	16	51	11	824	-813
2.2 पूँजी अंतरण	45	78	-33	76	86	-10
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>142471</b>	<b>126384</b>	<b>16087</b>	<b>140946</b>	<b>126253</b>	<b>14692</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)</b>	<b>17235</b>	<b>7663</b>	<b>9573</b>	<b>21215</b>	<b>7323</b>	<b>13891</b>
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	16960	3834	13126	20830	3976	16854
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	16142	3821	12321	19685	3957	15728
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	12914	3821	9093	16492	3957	12535
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3228		3228	3193		3193
3.1.अ.2 ऋण लिखत	817	12	805	1145	19	1126
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	817	12	805	1145	19	1126
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	276	3829	-3554	384	3347	-2963
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	276	3084	-2808	384	2106	-1722
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	276	2326	-2050	384	1336	-952
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		770	-770
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	745	-745	0	1241	-1241
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		745	-745		1241	-1241
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>60453</b>	<b>68598</b>	<b>-8145</b>	<b>67178</b>	<b>62335</b>	<b>4843</b>
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	59138	68244	-9106	67073	61916	5156
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	49357	52107	-2749	50491	47378	3112
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	9781	16137	-6356	16582	14538	2044
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1315	354	961	105	419	-314
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>3631</b>	<b>5113</b>	<b>-1482</b>	<b>6703</b>	<b>5182</b>	<b>1521</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>49813</b>	<b>45010</b>	<b>4803</b>	<b>45850</b>	<b>37429</b>	<b>8421</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	15578	12580	2998	10780	8409	2371
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूलभूत; एनआरजी)	0	513	-513	0	383	-383
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	15578	12067	3512	10780	8026	2754
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	19853	13572	6281	19119	17511	1608
3.4.3.अ भारत को ऋण	18122	12021	6101	18232	16739	1493
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	1730	1550	180	887	772	115
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	102	635	-533	46	176	-131
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	12149	15639	-3490	9428	7438	1990
3.4.6 अन्य खाते प्रायः/देय-अन्य	2132	2585	-453	6477	3894	2582
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार						
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>11338</b>	<b>0</b>	<b>11338</b>	<b>0</b>	<b>13984</b>	<b>-13984</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.						
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	11338	0	11338	0	13984	-13984
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>142471</b>	<b>126384</b>	<b>16087</b>	<b>140946</b>	<b>126253</b>	<b>14692</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	70823	65114	5709	77415	59219	18196
4.2 ऋण लिखत	58178	58685	-507	57054	49156	7898
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	13470	2585	10885	6477	17878	-11402
<b>5. निवल भूल-यूक</b>		<b>322</b>	<b>-322</b>	<b>447</b>		<b>447</b>

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2018			अप्रैल-जून 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)</b>	<b>1043352</b>	<b>1149073</b>	<b>-105721</b>	<b>1117515</b>	<b>1217075</b>	<b>-99561</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)</b>	<b>881511</b>	<b>1062882</b>	<b>-181371</b>	<b>938361</b>	<b>1120439</b>	<b>-182078</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)</b>	<b>558619</b>	<b>865100</b>	<b>-306482</b>	<b>575351</b>	<b>896736</b>	<b>-321385</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	566511	808541	-242030	571705	817114	-245409
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-7893	0	-7893	3646	0	3646
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	56559	-56559	0	79622	-79622
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>322893</b>	<b>197782</b>	<b>125111</b>	<b>363010</b>	<b>223703</b>	<b>139307</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	165	67	98	227	127	100
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	270	1385	-1116	312	2872	-2560
1.अ.ख.3 परिवहन	32574	31994	581	37162	42451	-5289
1.अ.ख.4 यात्रा	43194	39616	3579	48335	43139	5196
1.अ.ख.5 निर्माण	6767	4346	2421	5245	5244	1
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4060	2497	1563	4089	2846	1243
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7446	4986	2460	8953	3608	5346
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1528	13981	-12453	2221	14539	-12318
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	138980	12609	126370	164159	15349	148809
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	63210	63496	-286	79808	81470	-1663
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3322	3786	-465	3700	4390	-690
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1138	1865	-727	1052	2133	-1081
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	20239	17153	3086	7746	5534	2213
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>35882</b>	<b>74470</b>	<b>-38588</b>	<b>40319</b>	<b>82851</b>	<b>-42532</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7662	4037	3625	9401	4443	4958
1.आ.2 निवेश आय	23869	69247	-45378	22644	77019	-54555
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	11985	29417	-17433	11059	32231	-21172
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	229	15813	-15585	321	17407	-17086
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1408	23939	-22531	1136	27274	-26138
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	10248	78	10170	9949	107	9842
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	4351	1186	3165	8454	1389	7065
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>125959</b>	<b>11722</b>	<b>114237</b>	<b>138835</b>	<b>13785</b>	<b>125049</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, विद्युत्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	125689	10363	115326	138595	11855	126740
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	121733	7642	114090	134248	8465	125782
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	3957	2721	1236	4347	3390	957
1.इ.2 सामान्य सरकार	270	1359	-1089	239	1930	-1691
<b>2. पूंजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>746</b>	<b>629</b>	<b>117</b>	<b>603</b>	<b>6331</b>	<b>-5728</b>
2.1 अनुत्पादित वित्तरण आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	444	104	340	76	5731	-5655
2.2 पूंजी अंतरण	302	525	-224	527	600	-72
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>954406</b>	<b>846641</b>	<b>107765</b>	<b>980227</b>	<b>878048</b>	<b>102179</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)</b>	<b>115458</b>	<b>51333</b>	<b>64126</b>	<b>147540</b>	<b>50932</b>	<b>96608</b>
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	113612	25681	87931	144867	27655	117212
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	108137	25598	82538	136906	27522	109384
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	86514	25598	60915	114698	27522	87176
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	21623	0	21623	22208	0	22208
3.1.अ.2 ऋण लिखत	5475	83	5392	7961	133	7828
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	5475	83	5392	7961	133	7828
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1847	25652	-23805	2673	23277	-20604
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1847	20659	-18812	2673	14649	-11976
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1847	15580	-13734	2673	9291	-6618
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5078	-5078	0	5357	-5357
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	4993	-4993	0	8628	-8628
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	4993	-4993	0	8628	-8628
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>404970</b>	<b>459535</b>	<b>-54565</b>	<b>467199</b>	<b>433520</b>	<b>33679</b>
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	396161	457162	-61000	466467	430607	35860
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	330642	349060	-18419	351144	329501	21644
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	65520	108102	-42582	115323	101107	14216
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8809	2374	6435	732	2913	-2181
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>24326</b>	<b>34253</b>	<b>-9927</b>	<b>46618</b>	<b>36037</b>	<b>10581</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>333696</b>	<b>301521</b>	<b>32176</b>	<b>318871</b>	<b>260305</b>	<b>58565</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	104358	84273	20086	74973	58482	16490
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	3438	-3438	0	2662	-2662
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	104358	80835	23523	74973	58200	19153
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	132993	90915	42078	132966	121783	11183
3.4.3.अ भारत को ऋण	121401	80531	40870	126799	116416	10383
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	11592	10385	1208	6167	5367	799
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	681	4252	-3571	318	1226	-908
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	81385	104766	-23381	65571	51730	13841
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	14279	17315	-3036	45043	27084	17959
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>75956</b>	<b>0</b>	<b>75956</b>	<b>0</b>	<b>97254</b>	<b>-97254</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	75956	0	75956	0	97254	-97254
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	0	0	0	0	0
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>954406</b>	<b>846641</b>	<b>107765</b>	<b>980227</b>	<b>878048</b>	<b>102179</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	474441	436196	38245	538390	411846	126544
4.2 ऋण लिखत	389731	393130	-3399	396793	341864	54930
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	90235	17315	72920	45043	124338	-79295
<b>5. निवल भूल-चूक</b>	<b>0</b>	<b>2160</b>	<b>-2160</b>	<b>3109</b>	<b>0</b>	<b>3109</b>

टिप्पणी : पी: प्रारंभिक

## सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399218	160927	372276	169964	399218	172926	417272
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	106542	356524	111122	382105	112844	399381
1.2 अन्य पूंजी	58841	17113	54385	15752	58841	17113	60082	17891
2 संविभाग निवेश	4699	260313	3070	254254	4699	260313	5012	267073
2.1 इक्विटी	590	147479	1941	144433	590	147479	1806	151162
2.2 ऋण	4109	112834	1129	109821	4109	112834	3206	115912
3 अन्य निवेश	54538	419296	41343	391991	54538	419296	54511	429581
3.1 व्यापार ऋण	924	105191	1357	99584	924	105191	2140	107224
3.2 ऋण	9884	168129	7034	156573	9884	168129	9765	173982
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	16294	124506	25158	130644	24169	133846
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	16658	11328	18574	15332	18437	14529
4 रिज़र्व्स	412871		405740		412871		429837	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078827	611079	1018521	642072	1078827	662287	1113926
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436755		-407441		-436755		-451640

## भुगतान और निपटान प्रणाली

## सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़ ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		अगस्त	सितंबर	अक्टूबर		अगस्त	सितंबर	अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 आरटीजीएस</b>	<b>1366.30</b>	<b>118.79</b>	<b>114.42</b>	<b>128.92</b>	<b>171552061</b>	<b>14842138</b>	<b>14298230</b>	<b>13861415</b>
1.1 ग्राहक लेनदेन	1332.96	116.56	112.28	126.66	118436812	9829147	9383142	8937536
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	33.07	2.21	2.11	2.24	17251375	1694482	1700328	1475446
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.267	0.024	0.023	0.024	35863874	3318509	3214761	3448433
<b>2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली</b>	<b>36.17</b>	<b>3.34</b>	<b>2.83</b>	<b>2.60</b>	<b>116551038</b>	<b>10510799</b>	<b>10186796</b>	<b>10134698</b>
2.1 सीबीएलओ	1.30	—	—	—	18140463	—	—	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	11.11	1.30	1.01	0.90	50931587	6471125	5929702	6266764
2.2.1 एकमुश्त	8.06	0.93	0.67	0.53	9355007	1292195	952087	777816
2.2.2 रिपो	2.162	0.186	0.179	0.185	27124989	2162777	2075682	2220319
2.2.3 त्रिपक्षीय रिपो	0.89	0.18	0.17	0.18	14451590	3016154	2901933	3268630
2.3 विदेशी समाशोधन	23.76	2.05	1.82	1.71	47478988	4039674	4257094	3867933
<b>3 पेपर समाशोधन</b>	<b>11237.61</b>	<b>878.22</b>	<b>828.04</b>	<b>898.07</b>	<b>8246065</b>	<b>637093</b>	<b>591754</b>	<b>660305</b>
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	11116.69	875.55	826.55	896.75	8153592	635055	590478	659144
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	120.92	2.67	1.50	1.32	92473	2039	1277	1161
<b>4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन</b>	<b>71132.65</b>	<b>7299.24</b>	<b>7091.86</b>	<b>8399.57</b>	<b>25875581</b>	<b>2136863</b>	<b>2140501</b>	<b>2274223</b>
4.1 ईसीएस नामे	9.26	0.04	0.00	0.00	1260	7	—	—
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	53.57	3.38	0.01	0.00	13235	914	15	—
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	23188.87	2212.60	2167.00	2424.00	22793608	1796153	1811781	1860790
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	17529.09	2003.10	2041.60	2369.30	1590257	189113	183747	212660
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	30351.84	3080.12	2883.25	3606.27	1477221	150676	144958	200772
<b>5 कार्ड</b>	<b>160462.56</b>	<b>14240.58</b>	<b>13892.43</b>	<b>15176.60</b>	<b>4512210</b>	<b>405536</b>	<b>389350</b>	<b>457099</b>
5.1 क्रेडिट कार्ड	17723.61	1804.31	1802.88	2033.79	607946	60011	59845	71517
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	97.71	8.58	8.18	8.23	4533	410	392	411
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	17625.90	1795.73	1794.71	2025.56	603413	59601	59453	71106
5.2 डेबिट कार्ड	142738.96	12436.28	12089.55	13142.81	3904264	345525	329505	385582
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	98596.15	8143.08	7940.22	8592.32	3310789	287448	273786	315432
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	44142.81	4293.19	4149.34	4550.49	593475	58078	55718	70150
<b>6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)</b>	<b>46072.29</b>	<b>4070.66</b>	<b>4033.61</b>	<b>4848.26</b>	<b>213323</b>	<b>18324</b>	<b>17835</b>	<b>18658</b>
6.1 एम-वॉलेट	41412.86	3491.18	3402.11	3393.25	183295	15462	14675	15109
6.2 पीपीआई कार्ड	4658.88	579.49	631.50	1455.01	29941	2861	3161	3549
6.3 पेपर वाउचर	0.54	0.00	0.00	0.00	87	—	—	—
<b>7 मोबाइल बैंकिंग</b>	<b>62003.19</b>	<b>10157.79</b>	<b>11076.39</b>	<b>12525.39</b>	<b>2958407</b>	<b>328043</b>	<b>470168</b>	<b>532731</b>
<b>8 कार्ड बकाया</b>	<b>9529.02</b>	<b>8778.96</b>	<b>8881.84</b>	<b>8969.81</b>	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	470.89	517.65	525.90	533.59	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	9058.13	8261.30	8355.94	8436.22	—	—	—	—
<b>9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)</b>	<b>221703</b>	<b>228170</b>	<b>227886</b>	<b>229374</b>	—	—	—	—
<b>10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)</b>	<b>3722229</b>	<b>4409250</b>	<b>4589727</b>	<b>4825074</b>	—	—	—	—
<b>11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)</b>	<b>290307.30</b>	<b>26610.82</b>	<b>25963.18</b>	<b>29454.00</b>	<b>291086405</b>	<b>25232243</b>	<b>24409707</b>	<b>23957966</b>

टिप्पणी: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्क्युरिटीज सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

# अवसरिक श्रृंखलाएं

## सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2017-18	2018		2019	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
<b>1. लघु बचत</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>72,898.00</b>	<b>5,921.00</b>	<b>10,415.00</b>	<b>8,567.00</b>	<b>9,839.00</b>
	<b>बकाया</b>	<b>803,971.00</b>	<b>791,997.00</b>	<b>880,698.00</b>	<b>889,396.00</b>	<b>899,191.00</b>
<b>1.1 कुल जमाराशियां</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>58,332.00</b>	<b>4,620.00</b>	<b>8,579.00</b>	<b>6,358.00</b>	<b>7,130.00</b>
	<b>बकाया</b>	<b>527,310.00</b>	<b>519,772.00</b>	<b>593,432.00</b>	<b>599,790.00</b>	<b>606,920.00</b>
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17,145.00	1,511.00	2,915.00	2,318.00	2,360.00
	बकाया	109,210.00	106,694.00	130,185.00	132,503.00	134,863.00
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-162.00	-19.00	-30.00	-21.00	-19.00
	बकाया	3,138.00	3,032.00	2,917.00	2,896.00	2,877.00
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	5.00	-68.00	-1.00	4.00	0.00
	बकाया	-43.00	-46.00	-12.00	-8.00	-8.00
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	1,625.00	527.00	1,036.00	966.00	928.00
	बकाया	181,691.00	180,801.00	189,759.00	190,725.00	191,653.00
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	12,264.00	1,039.00	1,232.00	1,190.00	1,184.00
	बकाया	41,718.00	40,590.00	52,072.00	53,262.00	54,446.00
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	19,633.00	1,500.00	2,317.00	2,508.00	2,451.00
	बकाया	99,292.00	97,390.00	116,728.00	119,236.00	121,687.00
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	59,818.00	59,068.00	67,662.00	68,920.00	70,179.00
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	4,597.00	4,559.00	5,617.00	5,734.00	5,824.00
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6,140.00	6,036.00	6,860.00	6,888.00	6,910.00
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	28,737.00	27,727.00	36,589.00	37,694.00	38,774.00
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	7,868.00	130.00	1,110.00	-607.00	215.00
	बकाया	92,320.00	91,357.00	101,799.00	101,192.00	101,407.00
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	-45.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	बकाया	-37.00	-68.00	-37.00	-37.00	-26.00
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	21.00	22.00	21.00	21.00	21.00
<b>1.2 बचत प्रमाणपत्र</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>7,943.00</b>	<b>790.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,623.00</b>	<b>1,732.00</b>
	<b>बकाया</b>	<b>206,676.00</b>	<b>205,953.00</b>	<b>215,815.00</b>	<b>217,569.00</b>	<b>219,257.00</b>
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	-65.00	583.00	1,124.00	1,159.00	1,262.00
	बकाया	87,174.00	86,205.00	92,374.00	93,533.00	94,795.00
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-956.00	-1.00	5.00	9.00	3.00
	बकाया	-71.00	1,104.00	288.00	297.00	300.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-15,592.00	-1,280.00	-1,895.00	-1,655.00	-1,609.00
	बकाया	37,981.00	38,877.00	24,496.00	22,841.00	21,232.00
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	24,588	1,489	2,259	2,095	2,065
	बकाया	70,612	68,783.00	87,154.00	89,249.00	91,314.00
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-29.00	0.00	7.00	15.00	12.00
	बकाया	-140.00	-145.00	-74.00	-59.00	-47.00
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-3.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00
	बकाया	-64.00	-64.00	-81.00	-81.00	-82.00
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	11,184.00	11,193.00	11,658.00	11,789.00	11,745.00
<b>1.3 लोक भविष्य निधि</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>6,623.00</b>	<b>511.00</b>	<b>336.00</b>	<b>586.00</b>	<b>977.00</b>
	<b>बकाया</b>	<b>69,985.00</b>	<b>66,272.00</b>	<b>71,451.00</b>	<b>72,037.00</b>	<b>73,014.00</b>

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर है।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

## सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
<b>(क) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>5602830</b>	<b>5758103</b>	<b>5921026</b>	<b>6072243</b>	<b>6314426</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	41.41	40.51	40.28	39.05	39.66
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.37	0.33	0.31	0.36	0.42
3. बीमाकृत कंपनियां	24.61	24.57	24.34	24.88	24.86
4. म्यूच्युअल फंड	1.41	0.64	0.35	0.64	0.77
5. सहकारी बैंक	2.51	2.38	2.29	2.17	2.01
6. वित्तीय संस्थाएं	0.97	1.01	1.05	1.05	1.15
7. कॉरपोरेट	1.01	1.05	0.97	0.99	0.92
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.65	3.60	3.22	3.27	3.31
9. भविष्य निधियां	5.71	5.54	5.47	5.35	4.87
10. भारतीय रिजर्व बैंक	11.76	13.81	15.27	15.67	14.99
11. अन्य	6.58	6.55	6.46	6.57	7.05
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.97	2.00	2.02	1.99

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
<b>(ख) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>2566833</b>	<b>2669393</b>	<b>2777229</b>	<b>2826935</b>	<b>2905169</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	34.66	34.00	33.87	32.57	32.53
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.58	0.60	0.58	0.81	0.72
3. बीमाकृत कंपनियां	33.74	33.90	33.04	33.94	33.39
4. म्यूच्युअल फंड	1.05	1.23	1.20	1.24	1.12
5. सहकारी बैंक	4.75	4.67	4.55	4.65	4.24
6. वित्तीय संस्थाएं	0.43	0.37	0.42	0.44	0.33
7. कॉरपोरेट	0.17	0.22	0.29	0.32	0.28
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.10	0.09	0.09	0.08	0.05
9. भविष्य निधियां	21.04	21.29	22.15	21.88	22.36
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.48	3.64	3.81	4.08	4.98
11.1 राज्य सरकार	0.07	0.07	0.11	0.14	0.16

खजाना बिल					
श्रेणी	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
<b>(ग) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>565750</b>	<b>529826</b>	<b>412704</b>	<b>524618</b>	<b>538041</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	47.84	53.76	57.56	53.60	50.81
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.86	2.06	2.68	1.85	1.92
3. बीमाकृत कंपनियां	4.55	4.74	6.61	5.13	5.55
4. म्यूच्युअल फंड	10.69	5.65	2.78	13.00	14.08
5. सहकारी बैंक	1.20	1.21	2.48	2.54	2.55
6. वित्तीय संस्थाएं	1.67	1.88	2.49	2.14	1.82
7. कॉरपोरेट	6.67	1.86	2.23	1.67	1.57
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.02	0.08	0.07	0.01
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	25.50	28.72	23.10	19.99	21.70
11.1 राज्य सरकार	21.36	24.04	17.91	15.59	17.91

## सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्रामियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (स.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
<b>1. कुल वितरण</b>	<b>3285210</b>	<b>3760611</b>	<b>4265969</b>	<b>4515946</b>	<b>5516932</b>	<b>6071777</b>
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
<b>2. कुल प्रामियां</b>	<b>3189737</b>	<b>3778049</b>	<b>4288432</b>	<b>4528422</b>	<b>5364245</b>	<b>6003162</b>
2.1 राजस्व प्रामियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्रामियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्रामियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्रामियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्रामियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
<b>3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]</b>	<b>836563</b>	<b>952410</b>	<b>1064704</b>	<b>997097</b>	<b>1174823</b>	<b>1247962</b>
<b>3क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार</b>						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
<b>3ख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार</b>						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	26.4	29.0	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्रामियां	25.6	27.4	27.9	26.5	28.2	28.5
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्रामियां	19.2	20.0	20.4	19.8	22.1	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्रामियां	16.2	16.7	17.1	17.4	18.5	18.5
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.8	6.2	5.9

...: उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान  
 स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

## सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सितंबर 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1441	20	923	13	626	2
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	9	2	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	448	27	303	1
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	309	24	935	22	175	9
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	1346	3	-	-	-	-
16	मणिपुर	67	2	-	-	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	133	12	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	236	30	615	28	347	6
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	830	13	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	1666	20	-	-	-	-

- टिप्पणी :**
- राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
  - राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
  - प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
  - : नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

## सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2019 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7776	766	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1161	1	--	0
3	असम	4033	49	--	4000
4	बिहार	6620	--	--	14000
5	छत्तीसगढ़	4148	--	1	5700
6	गोवा	560	281	--	0
7	गुजरात	12821	448	--	0
8	हरियाणा	1948	1121	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	1200
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	3959	--	--	9500
13	केरल	2017	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	866	--	0
15	महाराष्ट्र	36693	402	--	23000
16	मणिपुर	353	94	--	0
17	मेघालय	573	28	9	0
18	मिज़ोरम	517	37	--	0
19	नगालैंड	1538	31	--	0
20	उड़ीसा	12555	1359	79	26290
21	पुदुचेरी	302	--	--	1031
22	पंजाब	227	--	8	0
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6213	--	45	11583
25	तेलंगाना	5311	1155	1	0
26	त्रिपुरा	307	5	--	0
27	उत्तरप्रदेश	--	--	180	0
28	उत्तराखंड	2963	75	--	0
29	पश्चिम बंगाल	10366	500	214	0
	<b>कुल</b>	<b>122963</b>	<b>7216</b>	<b>667</b>	<b>98103</b>

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	3000	1834	4000	3184	4170	3003	24248	17249
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	-	-	-	-	-	-	472	472
3	असम	7760	6797	10595	8089	1200	1200	1000	1000	1000	1000	3700	3700
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	4000	4000	4000	4000	3042	2249	14642	12849
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	1000	1000	1000	1000	-	-	2000	2000
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	300	100	100	100	200	100	1200	800
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	2300	600	2600	1300	3500	2000	19400	12400
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	3000	3000	2500	1300	3500	3500	14501	12601
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	500	500	-	-	400	400	2000	2000
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	400	400	800	800	334	334	3883	3344
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	-	-474	-	-600	-	-252	1500	-344
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	2000	1000	1000	250	8200	8200	13200	10450
13	केरल	20500	16203	19500	14784	2453	2453	600	-750	1400	550	13682	10882
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	1000	1000	-	-1560	-	-	6000	4440
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	-	-2000	2000	-1250	8000	6250	22500	12500
16	मणिपुर	525	278	970	667	200	200	-	-	-	-189	803	614
17	मेघालय	1116	920	1122	863	150	150	100	50	-	-124	450	226
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	100	100	-	-	100	-1	358	257
19	नगालैंड	1135	766	822	355	-	-	150	150	-	-	250	-10
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	-	-	-	-	1000	1000	3000	3000
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	-	-	-	-	200	200	200	200
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	2200	900	2300	1000	2800	1100	15920	8720
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	2000	1000	6000	5000	1700	430	23582	16500
24	सिक्कीम	995	745	1088	795	-	-	238	238	-	-	451	451
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	4000	4000	3575	575	5500	3300	28690	23490
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	2500	1666	3000	2416	3000	2166	18800	13798
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	450	450	-	-	615	465	1065	915
28	उत्तरप्रदेश	41600	37178	46000	33307	7000	5500	6000	4500	9000	6524	26000	17024
29	उत्तराखंड	6660	5830	6300	5289	300	300	300	300	-	-	1600	1000
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	4500	2500	7500	5614	2500	2407	21510	9531
	<b>कुल</b>	<b>419100</b>	<b>340281</b>	<b>478323</b>	<b>348643</b>	<b>44553</b>	<b>31379</b>	<b>48763</b>	<b>28617</b>	<b>60161</b>	<b>44614</b>	<b>285606</b>	<b>201060</b>

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे- आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

### सारणी सं. 8

- एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

### सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

### सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

### सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

### सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

### सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

### सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

### सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

### सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

**सारणी सं. 36**

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

**सारणी सं. 37**

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

**सारणी सं. 38, 39, 40 और 41**

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

**सारणी सं. 43**

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

**सारणी सं. 45**

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

**सारणी सं. 46**

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

#### सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

#### सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा (<https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

## बुलेटिन 2020 के लिए लेख का सांकेतिक कैलेंडर

क्रम सं.	विषय	बुलेटिन जारी करने का माह
1	परिवारों का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण: 2019-20	जुलाई
2	भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय भंडार और प्रवाह, 2018-19	जुलाई
3	भारत का भुगतान संतुलन 2019-20	अगस्त
4	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के वित्त - 2018-19	सितंबर
5	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण: 2019-20	सितंबर
6	केंद्रीय बजट 2020-21 : एक मूल्यांकन	सितंबर
7	भारत के बाह्य कर्ज का स्वरूप	सितंबर
8	कॉर्पोरेट निवेश: 2019-20 में संवृद्धि और 2020-21 की संभावनाएं	अक्टूबर
9	पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, 2019-20	नवंबर
10	निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन: 2019-20	नवंबर
11	अर्ध-वार्षिक समीक्षा: सरकारी वित्त 2020-21	दिसंबर

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित <sup>@</sup> ) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर <sup>@</sup> )	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं।
  - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- \* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

**सामान्य अनुदेश:**

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: [spsdcs@rbi.org.in](mailto:spsdcs@rbi.org.in) है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।  
एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी [spsdcs@rbi.org.in](mailto:spsdcs@rbi.org.in) पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।